खण्ड-252, अंक-2
बुधवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(2 सितम्बर, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 252 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५–१०९
गोडा लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में हुये निर्वाचन के बारे में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१०९–१११
प्रश्नोत्तर	१११–१४३
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१४४
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों के परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१४४
उत्तर प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति से संबद्ध प्रथम परि-नियम (मेज पर रखे गये)	१४४
श्री झिलमिटराम, श्री विजयपालसिंह एवं श्री झारखंडेराय की रिहाई के संबंध में सूचना	१४४
गोंडा लोक सभा निर्वाचन–क्षेत्र में हुये निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	१४४–१५२
कानपुर तथा बाराबंकी जिलों में राजकीय कर्मचारियों द्वारा डेवलपमेंट लोन के नाम से जबरदस्ती धन वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१५२–१५६
अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया द्वारा अध्यापकों से नेहरू कोष का चन्दा जबर्दस्ती वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम के ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१५६–१६१
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	१६१
कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१६२
व्यवस्था का प्रश्न	१६२–१६३
यातायात एवं आबकारी स्थायी समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१६३
यातायात एवम् आबकारी स्थायी समितियों के लिये एक–एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम	१६३
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा (समाप्त)	१६४–१७५
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (जारी) ..	१७५–१९६
प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में साप्ताहिक वक्तव्य	१९६–२०६
नत्थियां	२०७–२१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ सितम्बर, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री

गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरन्जीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री

नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)

योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव,श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री

शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुये निर्वाचन के बारे में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कान्स्टीट्यूशन का वायलेशन हुआ है। श्रीमन्, संविधान का शेड्यूल ३ आप देखें। पेज २३७ पर लिखा हुआ है—

"I.....having been elected (or nominated) a member of the Legislative Assembly (or Legislative Council), do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

जब कोई मिनिस्टर अपने पद की शपथ लेता है तो ये चार शर्तें होती हैं। लेकिन श्रीमन्, अभी हाल ही में जो गोंडा का चुनाव फल घोषित हुआ है वह तो आपने देखा ही होगा। जिस समय यह चुनाव हुआ था उस समय माननीय सी० बी० गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे और सर्वश्री राममूर्ति, बनारसीदास, मुजफ्फर हसन और दाऊदयाल खन्ना मिनिस्टर थे, उस समय की इनर कैबीनेट में

ये थे। श्रीमन्, इसमें श्री निगम, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने भी कान्स्टीट्यूशन का क्लियर वायलेशन किया है। इस संबंध में हिन्दोस्तान के जितने भी बड़े बड़े पत्र हैं उनमें निकला है। इस समय तो मैं आपको 'मे' का उदाहरण दूंगा। 'मे' के पेज १०८ पर लिखा है. . . .

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आप बाद में उठा लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह इनर केबिनेट के मेम्बरों से संबंधित है। वे अब इस सदन में बैठने से डिसक्वालीफाई हो गये हैं। उनको यहां बैठने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को अब बाद में ले लेंगे। आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर हमारे नोटिस में आगया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, यह इस प्रश्न का अवसर नहीं है। प्रश्न पहले समाप्त हो जायं, उसके बाद प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाने की अनुमति दीजिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, जब आपने इजाजत दे दी है ....

श्री अध्यक्ष—

श्री नेकराम जी, मैं एक निवेदन कर दूं। कायदा यह है कि क्वेश्चन आवर के बाद में ही कुछ लिया जाता है। उसके पहले कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जाता। क्वेश्चयन से पहले हाउस का कोई बिजनेस नहीं होता।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुलतानपुर)—

इसलिये श्रीमन्, अब तक जो कुछ कहा गया है वह प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन पहले भी इस प्रकार से वैधानिक प्रश्न उठाये जाते रहें हैं और आपने आज्ञा दी है। श्रीमन्, एक मिनट और मुझे दे दीजिये। आप 'मे' के पेज १०८ को देखें। वहां पर लिखा हुआ है—

"The Sentence upon Lord St. Albans, Lord Chancellor, after he had been convicted by the House of Lords, upon impeachment by the Commons, included the provision that he should be incapable of sitting in Parliament."

आगे उन्होंने दो शब्दों—माल-वर्जन और मिसडामिनियर का प्रयोग किया है और इसकी बिना पर मेम्बर्स को हाउस से डिसक्वालीफाई किया है।

इसके अलावा श्रीमन्, भारत के सब प्रमुख पत्र—हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इंडिया आदि ने लिखा है कि रूलिंग पार्टी के टाप व्यक्तियों ने इस गड़बड़ में भाग लिया, जिसके २,१६० वोट्स को इनवेलिड करार दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट बोल चुके, जैसा कि आपने कहा था। अब आप कृपा करके बैठें। इसको स्टडी करके, इस संबंध में, मैं आपको बतलाऊंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जो सवाल माननीय नेकराम शर्मा ने उठाया है, उस संबंध में एक मिनट कह कर उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस तरह के चुनावों के संबंध में कांस्टीट्यूशन की धारा ३२४

को आप देखें, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि एलेक्शन फ्री, फेयर तथा बिलकुल इंडिपेंडेंट होगा चाहे वह स्टेट का हो या केन्द्र का हो। तो जैसा कि कहा गया है कि गोंडा वाले एलेक्शन के वक्त जो कैबिनेट रैंक के लोग थे या सत्तारूढ़ दल के थे उन्होंने उस इलेक्शन रिजल्ट को इनफ्लुएंस किया है और उसमें इंटरफियर किया, तो क्या वे हकदार हैं इस आदरणीय सदन में बैठने के, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं? फैसले से यह साबित हो गया है कि इन लोगों ने दखलन्दाजी की और कांस्टीट्यूशन की धारा ३२४ का उल्लंघन किया, तो क्या वे मंत्रिगण अधिकारी हैं इस आदरणीय सदन की बेंचों पर बैठने के? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं व्यवस्था दूंगा। जब तक मैं व्यवस्था नहीं देता हूं, तब तक आप कृपा करके शांतिपूर्वक बैठें।

अब मैं प्रश्नों को लेता हूं।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ सितम्बर, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ब्लाक प्रमुख, मेंहदावल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

**१—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के ब्लाक प्रमुख, मेंहदावल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के लिये जुलाई में कोई तारीख निश्चित थी उस तिथि पर मीटिंग न होने का क्या कारण है? आगे उक्त प्रस्ताव के संबंध में कब मीटिंग बुलाई गई है?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां। उक्त मीटिंग की अध्यक्षता परगनाधीश, खलीलाबाद करने जा रहे थे कि रास्ते में एकाएक बीमार हो जाने के कारण वे मीटिंग में न पहुंच सके। इस कारण उक्त मीटिंग उक्त तारीख को न हो सकी। अगली मीटिंग के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मीटिंग रोकने के लिये उस दिन यहां से कोई पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी गया हुआ था?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जी नहीं, यह बिलकुल गलत बात है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन्हें जो रोग था वह प्रशासनिक था या स्वास्थ्य संबंधी था?

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह ब्लाक माननीया मुख्य मंत्री के क्षेत्र में है और कांग्रेस को ओबलाइज करने के लिये ही अधिकारी महोदय आधे रास्ते में ही बीमार पड़ गये?

श्री राममूर्ति--

यह तो मुझे मालूम नहीं है कि वह ब्लाक माननीय मुख्य मंत्री के क्षेत्र में, है लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि जो कार्यवाही मैंने पढ़ी उससे खुद मुझे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन दिक्कत यह है कि यह लीगल मैटर है। मैंने मजीद इनक्वायरी के लिये ला डिपार्टमेंट को भी लिखा है और अगर इस तरह कोई बात हुई है जिसका कि शुबहा माननीय सदस्य के दिमाग में है तो मालूमात करके इस पर मैं सख्त ऐक्शन लूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह सही है कि वे आधे रास्ते में जाकर ही बीमार पड़ गये और आधे रास्ते से जब लौट आये तब बीमार नहीं रहे और उसके दूसरे दिन भी बीमार नहीं रहे ?

श्री राममूर्ति--

मेरी इत्तला है कि जब वे जा रहे थे तो रास्ते में उनके पेट में दर्द हुआ और जब ज्यादा तकलीफ बढ़ गयी तो वे सड़क के किनारे के ही एक गांव में जाकर ठहर गये और कुछ देर ठहरने के बाद फिर शाम को वापस लौट आये। यह मुझे नहीं मालूम है कि वे दूसरे दिन बीमार रहे या नहीं रहे या कितने दिन बीमार रहे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या यह बात सही है कि जिस दिन अविश्वास का प्रस्ताव ब्लाक प्रमुख के खिलाफ आने वाला था उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद बस्ती जिले में किसी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का दौरा था ?

श्री राममूर्ति--

हमारे कागजात में तो इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव जिलाधीश को कब दिया गया और किस तारीख को मत लेना था। तथा अब तक उस प्रस्ताव के विचारार्थ न आने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

मैंने आपको बतलाया कि २२ जून को प्रस्ताव दिया गया था और २० जुलाई इसके लिये तारीख निश्चित थी कि उस दिन विचार किया जायगा। लेकिन मैंने खुद अज किया कि एक माह और गुजर गया और उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। यह ला की बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें कोई प्राविजन नहीं है जिसके अनुसार हम कुछ कर सकें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस दिन वह बीमार हुए उसके बाद जो लोग वहां एकत्रित हुए थे उन्हें और वोटर्स को उन्होंने कोई सूचना दी कि वह बीमारी के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं और क्या कलेक्टर को भी उन्होंने इसकी इत्तला दी ?

श्री राममूर्ति--

जब वह लौट गये तो इसकी इत्तला उन्होंने कलेक्टर को तो दी, लेकिन उन्होंने कोई इत्तला मेम्बर साहबान क्षेत्र समिति को नहीं दी।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९-२०-२१ को माननीय बंशीधर जी दौरा करने गये थे या नहीं ?

श्री राममूर्ति---

अगर गये भी थे या कोई और भी गया था तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को उससे कैसे जोड़ा जा रहा है, वह इसलिये नहीं गये थे कि पेट में दर्द हो तो वह रोक दें।

श्री जगदीश प्रसाद पांडेय---

२१ तारीख को मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट किया और उसके पहले या बाद में कभी भी पूरे साल में उन्होंने पेट के दर्द की शिकायत पर छुट्टी नहीं ली, क्या यह सही है ?

श्री राममूर्ति---

पेट का दर्द तो ऐसा है जो किसी को भी कभी भी हो सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके सचिव जो उनकी बगल में बैठे हैं उस तारीख के आस-पास में दौरे पर उधर गये थे या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर के कमिश्नर निगम साहब के भी पेट में दर्द हो गया है कि वह २ मास की छुट्टी चले गये हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, बार-बार इधर के लोगों ने जानना चाहा कि माननीय बंशीधर जी उस समय उस जिले में गये थे या नहीं, वह सदन में विराजमान हैं...

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने इन्कार नहीं किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

उनको स्पष्ट कहना चाहिये कि हम गये थे या नहीं गये थे, इसमें दिक्कत क्या है जब इस जानकारी के लिये बार-बार मांग हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---

वह इन्कार कहां कर रहे हैं ?

पहूज नदी पर नदीगांव पुल निर्माण का स्थगन

**२---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में नदीगांव ग्राम में पहूज नदी के पुल बनने के आदेश सरकार की ओर से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिये गये हैं पर अभी हाल में वह कार्य कराया जाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वह पुल वहां न बनाया जाकर कहीं और दूसरी जगह (जालौन तहसील) में बनवाये जाने की कोशिश हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

इस पुल के निर्माण का कार्य, चार लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था और मुख्य अभियन्ता को आदेश दे दिये गये थे कि वह इस पुल का आगणन बनाये। अब ज्ञात हुआ है कि इस पुल के निर्माण में लगभग २२ लाख रुपये व्यय होंगे। चूंकि चालू योजना काल में इस पुल के लिये १८ लाख रुपये की अतिरिक्त धन-राशि का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है, इसके निर्माण कार्य को अगली योजना के लिये स्थगित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

इस पुल को जालौन तहसील में किसी दूसरी जगह बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

श्री विजयसिंह—

जब इस पुल के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन आया तो उसका एस्टीमेट ४ लाख रुपये का था और अब यह १८ लाख का हो गया है, तो पहले किस आधार पर ४ लाख में बनाने का विचार किया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पहल तो वह एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बना था और उसके बाद उस काम को जब मौके पर देखा गया और एस्टीमेट बना तो वह २२ लाख का बना, १३ लाख पुल का व्यय है, और ९ लाख एप्रोच रोड्स का खर्च है।

श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नदीगांव ग्राम में पहूंज नदी का पुल बनाने के लिए मध्य प्रदेश से कोंच तथा और नदीगांव से उधर वह रोड बना लें तब क्या सरकार उस पुल के बनाने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जहां तक इस पुल का सम्बन्ध है एक ओर तो मध्यप्रदेश की सड़क है और दूसरी तरफ हमारी सड़क है और यह पुल हमारे लिये और मध्य प्रदेश दोनों के लिये मुफीद होगा इसीलिये इसको बनाने का विचार है और इसे चौथी योजना में शामिल करने की बात सोच रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इससे अन्तर प्रदेशीय या २ प्रदेशों के यातायात का सम्बन्ध है और इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखकर सरकार ने इस की मंजूरी दे दी, लेकिन रुपये की कमी के कारण अब इस को टाला जा रहा है तो क्या दो प्रदेशों से इस का सम्बन्ध होने के कारण क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से एप्रोच करेगी कि ज्यादा रुपया वह इसके लिये दे और योजना न छोड़ी जाय ताकि पुल जरूर बन जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस विषय में सरकार प्रयत्नशील है और हमें उम्मीद है कि पुल के निर्माण का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार दे देगी। इसलिये जब यह बातचीत तय हो जायेगी। पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री विजयसिंह—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ४ लाख रुपया स्वीकार किया था और चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना अपनी अन्तिम सांस ले रही है, सरकार इस पुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर देगी और बाकी जैसे जैसे रुपया मिलता जायेगा इस काम को आगे बढ़ाती जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि जब तक पूरे रुपये का प्रबन्ध न हो जाये कार्य शुरू कर देने से काम अधूरा पड़ा रहता है और उस पर इस हाउस में काफी एतराज होते हैं और यह एतराज की बात भी है। इसलिये जब तक पूरे रुपये का प्रबन्ध न हो जाये इस कार्य को आरम्भ कर के अधूरा छोड़ना हम उचित नहीं समझते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

बी० डी० ओ०, हलदरमऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ०, हलदरमऊ के बी० डी० सी० के सदस्यों ने कोई शिकायती-पत्र श्रीमान् जिलाधीश, गोंडा, श्रीमान्, विकास आयुक्त तथा मुख्य मंत्री को दिनांक २० अप्रैल, १९६४ को भेजा है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री रामसिंह, सदस्य आदि बी० डी० सी० सदस्यों ने बी० डी० ओ०, हलदरमऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक २७ अप्रैल, १९६४ को जिलाधीश को भेजा है। विकास आयुक्त को प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक रहित है।

१—बी० डी० ओ० प्रमुख भगौती के साझे में चलने वाली दूकान में विकास कार्यालय की तिजोरी का उपयोग होना।

२—बिना तस्दीकी दरख्वास्त पर भी तकावी का दिया जाना।

३—प्रमुख को पशुशाला निर्माण हेतु मु० २००.०० रु० अनुदान मिलना जब कि उसकी बुनियाद भी नहीं पड़ी है।

४—काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र के अनुसार साहबास हल के बजाय गोरखपुर से हल मंगाया जाना तथा काश्तकारों को उस का १६ रुपया कीमत बताते हुये उस पर कोई अनुदान प्राप्त न होने की सूचना देना।

५—विकास अधिकारी द्वारा चोरी से प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर के प्रमुख के सभी परिवार के नाम पृथक्-पृथक् सीमेन्ट की परमिट दिया जाना। ट्यूबवेल के नाम पर १९६२-६३ में प्रमुख को ३,५०० रुपया नकद दिया जाना जब कि २७-४-६४ तक उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। उल्लिखित धन एवं सीमेंट का प्रमुख द्वारा निर्मित मकान में प्रयोग किया जाना।

६—प्रमुख के घर के पास की ३ न्याय पंचायतों को छोड़ कर किसी पंचायत में न जाकर फर्जी टी० ए० लेना।

७—मीटिंग का एजेन्डा सदस्यों को न देना।

८—अनुदान या कर्ज की धनराशि के वितरण पर सम्बन्धित ए० डी० ओज, कृषि उत्पादन तथा कल्याण समिति की सम्मति न दिया जाना। पूर्व ही प्रमुख तथा बी० डी० ओ० द्वारा सदस्यों की सूची तैयार होना जो कर्ज पर १० प्रतिशत और अनुदान पर १/२ धन देने को तैयार हैं।

९—७५ प्रतिशत जारी की गई परमिटों में ५ प्रतिशत का कार्य न होना तथा सीमेंट का ब्लैक होना।

१०—बी० डी० सी० की मंजूरी न ले कर चुपके से कार्यवाही लिखना। २० मार्च की मीटिंग में हरिजन अनुदान बांटने के सम्बन्ध में तय हो जाने पर भी उसमें बी० डी० ओ० हेर-फेर करना चाहते हैं।

उल्लिखित शिकायती-पत्रों की जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा कराई गई। अधिकांश शिकायतें निराधार मिलीं। प्रार्थीगणों के लिखित प्रार्थना-पत्र पर कि खण्ड विकास अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उन्हें अब उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो १० शिकायतें, जिलाधीश और विकास आयुक्त के पास भेजी गई हैं, उसमें से कितनी सही शिकायतें हैं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

हमने तो सब बतला दिया।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा अधिकांश शिकायतें गलत पाई गईं, तो उनमें से कुछ तो सही होंगी।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उन्होंने खुद लिखा था कि इसमें अब जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण हो गया है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों ने शिकायती पत्र दिये थे और कितने लोगों ने यह लिख कर दे दिया है कि अब शिकायतों पर जांच की आवश्यकता नहीं है और किस-किस तारीख को लिख कर दिया?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसकी सूचना तो नहीं है कि कितने लोगों ने दिया, लेकिन यह जरूर मालूम है कि जिन्होंने प्रार्थना-पत्र लिख कर दिया था, उन्होंने ही यह लिख कर दिया है कि अब जांच न की जाय।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि अधिकांश शिकायतें गलत पाई गईं और कुछ सही थीं। तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो सही थीं और जो आरोप गम्भीर हैं, उस पर पुनः जांच कर के उचित दण्ड की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यह शिकायतें बड़े गम्भीर किस्म की हैं?

श्री राममूर्ति—

कुछ ऐसी शिकायतें सही पायी गयीं जैसे एजेन्डे का समय पर न भेजना। पहले पंचायत सेक्रेटरी से भेजा जाता था तो बहुत-सी जगह नहीं पहुंता था। अब डाक से भेजा जाता है। इस तरह की बातें ठीक निकलीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों ने पहले प्रार्थना-पत्र दिया था और बाद में कहा कि इनक्वायरी न की जाय तो उनसे जबरदस्ती प्रार्थना-पत्र लिखवाया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जब बी० डी० सी० के सदस्यों के द्वारा शिकायतों की जांच हो रही है तो उसके दरमियान में ही उन्हें कैसे मालूम हो गया कि प्रमुख शिकायतें निराधार हैं और मामूली शिकायतों के लिये लिख देना चाहिये कि इनक्वायरी की जरूरत नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जब जिला कृषि अधिकारी जांच कर रहे थे उसी बीच में बी० डी० ओ० का ट्रांस्फर हो गया तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमें अब कुछ नहीं कहना है।

श्री गंगाप्रसाद--

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सदस्यों ने लिख कर शिकायत दी थी उनसे पूछा भी नहीं गया और ऊपर ही से लिख कर भेज दिया गया। और दूसरे जो १० नम्बर का अनुदान है जिसको हरिजन ग्रान्ट कहते हैं उसको प्रमुख और बी० डी० ओ० ने गलत ढंग से दिया है क्या इस पर जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि बहुत-सी जगह बी० डी० ओ० और क्षेत्र समिति के अधिकारियों में बनती नहीं जिसकी वजह से बहुत सी शिकायतें हो जाती हैं। मुझसे भी बहुत से लोग मिलते हैं और मैं कहता हूं कि ट्रांस्फर कर दूं तो लोग कहते हैं कि हां कर दो। मैं भी इसको अच्छा मानता हूं कि किसी क्षेत्र समिति के स्तर पर बी० डी० ओ० और क्षेत्र समिति के अधिकारियों के बीच कोआपरेशन से काम हो तो अच्छा रहे। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि बी० डी० ओ० का तबादला कर दिया जाता जिससे काम अच्छा चले।

लखनऊ में नरही ताड़ीखाना बन्द करने के आदेश

*२--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नरही, लखनऊ में जोकि एक सम्भ्रान्त परिवारों का बहुत बड़ा मुहल्ला है उसमें पहले एक ताड़ीखाना था, उसको वहां से हटाने के बाद अब पुनः क्यों खोला गया ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

जनता की प्रार्थना-पर और लाइसेंसिंग बोर्ड की सिफारिश पर नरही में ताड़ी खाना खोला गया।

*३--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार ऐसे स्थानों पर नगर के मध्य में बस्ती के बीच में ताड़ीखाने खोलने की इजाजत देती है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त ताड़ीखाने को हटाने की अविलम्ब घोषणा की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आबकारी नियमों में सार्वजनिक स्थानों के निकट स्कूलों, अस्पतालों, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाओं के निकट, बाजारों के प्रवेश स्थान तथा क्रिमिनल ट्राइब्स की बस्तियों के निकट ताड़ीखाना खोलने की मनाही है। यदि जनता किसी आबकारी दूकान के खिलाफ आपत्ति करे तो उस आपत्ति पर पूर्ण विचार करने के आदेश हैं। निर्दिष्ट ताड़ीखाना १-१०-१९६३ से ३०-९-१९६४ तक के लिये नीलाम किया गया था। यदि ताड़ीखाना बीच में बन्द किया जाता तो राजस्व को हानि होती। सरकार ने जनता की आपत्ति पर विचारोपरान्त इस ताड़ीखाने को १-१०-१९६४ से बन्द कर देने के आदेश दे दिये हैं।

*४--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह सही है कि उक्त ताड़ीखाने के खुलने से वहां महिलाओं और लड़कियों का आना-जाना मुश्किल हो गया है, चौराहे पर गन्दी-गन्दी भद्दी बातें होती हैं और ताड़ीखाने में जो कि बस्ती के मध्य में खोलने की अनुमति दी गई है उस के कारण सारे मुहल्ले का वायुमण्डल गन्दगी और निर्लज्ज बातों के कारण विषाक्त-सा बन गया है और क्या उस मुहल्ले के रहने वाले लगभग पांच सौ व्यक्तियों ने चीफ मिनिस्टर तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस वर्ष प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं? यदि हां, तो उस ताड़ीखाने को वहां से न हटाये जाने का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है। मुख्य मंत्री जी को दिये गए प्रार्थना-पत्र पर ही नरही के ताड़ीखाने को १-१०-१९६४ से बन्द करने के आदेश दिये गए हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मंत्री जी बतायेंगे कि जब जनता की शिकायत पर इस ताड़ीखाने को पहले बन्द किया गया था तो दुबारा इसको क्यों खोला गया और कितने उन्हें जनता के प्रार्थना-पत्र मिले जिसकी वजह से जरूरी समझा गया कि दुबारा खोल दिया जाय?

श्री अध्यक्ष--

अब तो गलती दुरुस्त कर दी गयी है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

यह स्थान एक सार्वजनिक मार्ग में है और सार्वजनिक प्लेस पर है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार का आदेश देंगे कि यहां पर दुबारा ताड़ीखाना न खुले?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, यह तो नियमों में भी लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दे दिया जाय कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

भविष्य में यहां पर ताड़ीखाना खोलने की कोई जरूरत नहीं है।

राजकीय चिकित्सालय, झूसी के डाक्टर के विरुद्ध आरोप

*५--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ मई, १९६४ को इलाहाबाद जिले के ग्राम छिवैया, पोस्ट छिवैया का कोई प्रार्थना-पत्र श्री नाथू राम शिक्षक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अग्रसारित हो कर झूसी राजकीय अस्पताल के डाक्टर के दुर्व्यवहार के विरुद्ध मिला है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां, ऐसा शिकायती-पत्र मिला है । शिकायतें इस प्रकार हैं :--

जब १८-३-१९६४ को सायंकाल ३ बजे ग्राम छिवैया, थाना सराय इनायत, जिला इलाहाबाद के सर्वश्री बृजराज सिंह तथा हर प्रताप सिंह, लाठी एवं गड़ासे से बुरी तरह घायल हो कर, राजकीय चिकित्सालय झूंसी लाये गये, तो डाक्टर साहब पानी पीने के लिये कह कर ऊपर कमरे में चले गये । साढ़े ५ बजे उन्होंने घायलों के मुआयने के लिये ५० रुपये मांगे । जब उनसे सांघातिक चोट के लिए मदद करने के लिये कहा गया तो उन्होंने कहा कि बिना रुपया लिये वे कुछ नहीं करेंगे ।

उक्त शिकायत की जांच की गई जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा निदेशक के यहां से आ गई है और सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब इन शिकायतों की जांच रिपोर्ट आगयी तो फिर आगे रोके रखने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अब तो यह विचार किया जा रहा है कि उस को क्या सजा दी जाय । जितनी उसकी गलती होगी, उस को सजा दी जायेगी ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ शिकायतें साबित हो गयी हैं, क्या उनको सर्विस से हटाया गया है या यह प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने दिन में तय हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जैसा मैंने निवेदन किया उन को हटाया नहीं गया । इस पर विचार हो रहा है कि कोई बे जरूरत देर नहीं की जा सकती है ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

अध्यक्ष महोदय, जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत साबित हो गयी तो फिर न हटाने के क्या कारण हैं या उन को सस्पेन्ड न करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी साबित नहीं हुई है । वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब स्वास्थ्य निदेशक की रिपोर्ट शासन के पास आ गई है तो उस रिपोर्ट को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि उस डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, अभी ऐसा नहीं महसूस किया गया है।

फर्रुखाबाद जिले से विकास अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के किन-किन विकास क्षेत्र अधिकारियों के विरुद्ध गत १ साल के अन्दर शिकायतें आई हैं और इन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

गत एक वर्ष की अवधि के अन्दर खंड विकास अधिकारी नबाबगंज, कायमगंज, कन्नौज, हसेरन, मोहम्मदाबाद, उमरदा तथा जलालाबाद के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस में खंड विकास अधिकारी, नवाबगंज, कायमगंज, उमरदा तथा कन्नौज के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच रिपोर्ट पूर्ण की जा चुकी है तथा खंड विकास अधिकारी, हसेरन, मोहम्दावाद एवं जलालाबाद की जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। जिनकी जांच पूरी हो गई उनसे सम्बन्धित दो क्षेत्र विकास अधिकारियों को चेतावनी दी जा चुकी है। शेष के विरुद्ध आरोप निराधार पाये गये।

*७--श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कितने विकास क्षेत्र अधिकारी हैं जिनको कार्य करते हुये तीन साल या तीन साल से अधिक हो चुके हैं ? उनको स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इस जिले में केवल एक क्षेत्र विकास अधिकारी ही ऐसे हैं जिनको इस जिले में एक विकास क्षेत्र में कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक हो गया है। तीन वर्ष से अधिक समय के एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षेत्र विकास अधिकारी को स्थानान्तरण करने हेतु कोई शासकीय आदेश नहीं है। शासकीय आदेश द्वारा विकास अधिकारियों को एक क्षेत्र म रहने की अवधि पांच वर्ष है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से विकास अधिकारी हैं जिनको चेतावनी दी गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

कायमगंज और कन्नौज।

श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कन्नौज के विकास अधिकारी को जो यह ब्लाक दिया गया है तो उनसे और वहां के गैर सरकारी आदमियों से ताल-मेल नहीं बैठ रही है ? क्या वे किसी दूसरे विकास अधिकारी को वहां भेज कर सहूलियत देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

अब यह सोचने की बात है। इस समय क्या कहूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो विकास अधिकारी ३ वर्ष से ज्यादा और ५ वर्ष से कम एक जगह पर हैं, उनके खिलाफ शिकायत है तो भी ट्रांसफर न करने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति--

शिकायत इतनी है जिसके लिये उनको चेतावनी दी गई है। कायमगंज के बी० डी० ओ० को इसलिये चेतावनी दी गई कि उसने बिना ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी की आज्ञा के अनुदान बांट दिया और दूसरी यह कि जो परिपत्र आते थे उनको वे पढ़कर नहीं सुनाते थे। उनको चेतावनी दी गई कि आइन्दा वह ऐसा न करें।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि जो तीन वर्ष से ज्यादा रह चुका है और उसके विरुद्ध शिकायत आती है तो उसका ट्रांसफर क्यों नहीं होता? अगर साधारण नियम यह है कि तीन वर्ष के उपरांत किसी बी० डी० ओ० का ट्रांसफर हो जाना चाहिय तो जिनके विरुद्ध शिकायत आ चुकी है और तीन साल हो गये हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं होता?

श्री राममूर्ति--

मैंने अर्ज किया कि यह सोचने की बात है। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कन्नौज के विकास खंड के बी० डी० ओ० ने ऐसे प्रधान से काम कराया जो वास्तविक प्रधान नहीं था और चेक वगैरा दिये गये?

श्री राममूर्ति--

हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन शिकायतें निराधार पाई गईं और जिन व्यक्तियों ने दरख्वास्त दी थी उनसे भी पूछताछ की गई थी?

श्री राममूर्ति--

जांच तो जो वहां रहे होंगे उनसे की गई। बहरहाल डिटेल्स मैं नहीं जानता। लेकिन जांच की गई और शिकायतें निराधार पाई गईं।

श्री रघुनाथसिंह--

कन्नौज के बी० डी० ओ० को चेतावनी दी गई और माननीय सदस्य का कहना है कि अब भी उनसे खींचातानी आरम्भ है और सरकार को शिकायत मिली है तो क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की जा रही है?

श्री राममूर्ति--

मैंने अर्ज किया कि उनको चेतावनी दी गई कि जब किसी प्रधान के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो और ससपेंड करने का मामला हो तो उसको रोका न जाय और संबंधित एस० डी० ओ० को इत्तिला देनी चाहिये। इसमें देर की गई इसलिये चेतावनी दी गई कि आइन्दा ऐसा नहीं होना लाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बी० डी० ओ० ने बिना बी० डी० सी० की अनुमति के अनुदान बांट दिया तो उसको हटाया क्यों नहीं गया ? क्योंकि यह गम्भीर आरोप है।

श्री राममूर्ति--

मैंने अर्ज किया कि दोनों ऐसी बातें हुई हैं जिन पर विचार किया जायगा।

श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३ साल और ५ साल का नियम है तो क्या एक जिले में भी स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है ?

श्री राममूर्ति--

ट्रांसफर तो एक महीने बाद या १५ दिन बाद भी किया जा सकता है। साधारण नियम है कि कोई बी० डी० ओ० एक जगह पर पांच साल तक रह सकता है। लेकिन अगर कोई बी० डी० ओ० अच्छा काम करता है और जनता उससे खुश ह तो वह ५ साल के बाद भी रहे तो कोई बात नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्नौज के बी० डी० ओ० को चेतावनी मिलने के बाद भी खींचातानी चल रही है तो क्या सरकार के पास उसके खिलाफ उसके बाद भी कुछ शिकायतें आयी हैं और यदि हां, उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कई मरतबे हाउस में कहा है कि जिस व्यक्ति ने दरख्वास्त दी है उसको भी सूचना जांच करते समय दी जानी चाहिये और उससे जांच होनी चाहिये। लेकिन अभी जो सप्लीमेंटरी प्रश्न मैंने किया था उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि जो मिल गये उनसे जांच की गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिकायत करने वाले भी जांच करने वाले अधिकारी द्वारा जांच करते समय बुलाये गये थे ?

श्री राममूर्ति--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपने इस प्रकार की स्पष्ट रूलिंग दे रखी है तो उसका पालन आप सरकार से करावें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, वह होना चाहिये।

जिला अस्पताल, गोरखपुर का प्राइवेट वार्ड

*८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के जिला अस्पताल के नवनिर्मित प्राइवेट वार्ड को सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर ने कब स्थानान्तरित किया तथा क्या उसके पहले कोई सार्टिफिकेट सिविल सर्जन से उसने प्राप्त किया था ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रक्खगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

३-१-६४ को। इस तिथि के पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर ने सिविल सर्जन से न तो कोई सर्टीफिकेट प्राप्त किया और न किसी सर्टीफिकेट के प्राप्त करने का प्रश्न ही उठता है।

*९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उपरोक्त प्राइवेट वार्ड में बिजली के पंखे लगे हैं ? यदि हां, तो वह कब से लगे हैं तथा कब से उसे चालू किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां। ये पंखे मई, १९६४ में लगाये गये थे। ११-७-६४ को बिजली आने के बाद २ पंखे चले। चार नहीं चले, उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बाद में बदल दिया और अब वह भी चल रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

बिल्डिग के लिये पी० डब्लू० डी० द्वारा सर्टीफिकेट प्राप्त न करने का एक कारण यह भी था कि पूरी बिल्डिगं कांस्ट्रक्ट नहीं हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसी बात नहीं है। सर्टीफिकेट प्राप्ति के लिये कार्यवाही ३-१-६४ को हो गयी।

श्री कल्पनार्थासिह (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वह वार्ड प्राइवेट लोगों के लिये ६३ में ही खोल दिया गया था और जो विधान सभा के सम्मानित सदस्य वहां रहे उन्होंने प्रार्थनापत्र दिया था और उस वार्ड की हालत उस समय निहायत खराब थी, उसके बावजूद भी वह ६४ में क्यों ट्रांसफर किया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसी जानकारी नहीं है। वह अच्छी हालत में इस समय है।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

पंखे मई में लगाये गये और तमाम मरीज वहां भरती थे तो वहां गरमी में बिजली की लाइन न चलाने का क्या कारण था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

बिजली की लाइन का प्रश्न नहीं है। वह तो हाइडेल से जब सर्विस लाइन आयी तभी से बिजली वहां चल रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

प्रश्न ९ के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि ६ पंखों में से ४ पंखे खराब पाये गये तो वह किस कम्पनी से लिये गये या वह बिजली की कम्पनी से नहीं चल पाये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, बिजली की कमी नहीं थी। जिस समय आये थे उस समय बिजली नहीं थी और बाद में जब बिजली आयी तो उस समय वे ४ नहीं चले। माननीय सदस्य चाहते हैं तो पता लगाकर बता दूंगा कि क्या कारण थे और क्यों वे नहीं चल सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मंत्री जी कह रहे हैं कि ६ पंखे एक ही समय में लगाये गये और उसमें बिजली भी हर वार्ड को दी गई। उनमें २ पंखे चालू हो गये और ४ चालू नहीं हुये। फिर वे ४ पंखे भी चालू हो गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ४ पंखे बदले गये उनके कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि वे क्यों बदले गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वे चालू नहीं थे। उनके दोष का पता नहीं चला। हमारा मतलब हवा से था। वे हवा नहीं दे सके। इसलिये बदले गये।

श्री अध्यक्ष---

उस कम्पनी या व्यापारी से, जिससे पंखे लिये, पूछा गया या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसको हम पी० डब्लू० डी० से पूछकर निवेदन कर देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट वार्ड्स बने हैं वे बुरी तरह से चू रहे हैं। सिविल सर्जन अपने को मजबूर पाता है उनका सर्टिफिकेट देने के लिये पी० डब्लू० डी० इंजीनियर बराबर इस बात को कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दिया जाय। तो जब वे कम्पलीट पोजीशन में नहीं हैं इसकी जांच करने की मंत्री जी कृपा करेंगे कि वे क्यों चू रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

आपके प्रश्न के लिये यह काफी नोटिस है और मैं इसके लिये इन्क्वायरी कराऊंगा।

सहारनपुर जिले में नन्नूलाल को दूध सप्लाई का ठेका देने पर आपत्ति

*१०---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिला के अस्पतालों में पिछले ३ साल में दूध सप्लाई का काम किन-किन ठेकेदारों के पास रहा और क्या यह सही है कि श्री नन्नूलाल ठेकेदार को पानी वाला ७३ प्रतिशत दूध देने पर City Magistrate, Saharanpur की आदलत से २०० रु० जुर्माना हुआ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

प्रथम भाग---

सहारनपुर जिला के अस्पतालों में दूध सप्लाई करने का ठेका निम्नलिखित ठेकेदारों के पास रहा :

१९६१-६२

सहारनपुर चिकित्सालय---श्री भोलानाथ

रुड़की चिकित्सालय---श्री महाबीर प्रसाद

हरिद्वार चिकित्सालय---श्री नन्नलाल

१९६२-६३

सहारनपुर चिकित्सालय--श्री देवीदास
रुड़की चिकित्सालय--श्री नन्नूलाल
हरिद्वार चिकित्सालय--श्री देवीदास

१९६३-६४

सहारनपुर चिकित्सालय--श्री बाबूराम
रुड़की चिकित्सालय--श्री नन्नूलाल
हरिद्वार चिकित्सालय--श्री भोलानाथ

द्वितीय भाग--

जी हां, यह सत्य है ।

*११--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उसी श्री नन्नूलाल ठेकेदार को फिर इस साल हरिद्वार अस्पताल में और पिछले साल सहारनपुर अस्पताल में तथा नन्नूलाल के लड़के देवीदास के नाम से हरिद्वार में पिछले साल ठेका दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्री नन्नूलाल को इस वित्तीय वर्ष में हरिद्वार अस्पताल में ठेका दिया गया है । पिछले वित्तीय वर्ष में न उनको सहारनपुर अस्पताल में और न उनके लड़के देवीदास के नाम से हरिद्वार अस्पताल में ही ठेका दिया गया ।

हरिद्वार चिकित्सालय के लिये आये हुए निविदाओं में से कुछ का भाव एक सा था, अतः खुली बोली बुलवाई गई जिसमें सब से नीची बोली श्री नन्नलाल की रही । इसलिये चालू वित्तीय वर्ष में ठेका उन्हीं को दिया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नन्नूलाल को १९६१-६२ में हरिद्वार अस्पताल का ठेका दिया गया, नन्नूलाल को १९६२-६३ म ठेका दिया गया रुड़की अस्पताल का और १९६३-६४ में भी रुड़की का ठेका दिया गया । सहारनपुर जिले के अस्पतालों का ठेका सिविल सर्जन ने इसी नन्नूलाल या उसके लड़के देवीदास को दिया और सरकार इस बात को मानती है कि उस पर जुरमाना हो चुका है ७३ फीसदी पानी डालकर दूध सप्लाई करने में.....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये । आप बहस कर रहे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

तो इन तमाम चीजों के होते हुये क्या वजह है कि ये ठेके एक ही ठेकेदार को या उसके बेटे के नाम से प्रतिवर्ष क्यों दिये जा रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह प्रश्न मेरे सामने भी इसी प्रकार से था लेकिन जिस प्रकार से पी० डब्लू० डी० या अन्य विभागों के एप्रूव्ड लिस्ट में कंट्रेक्टर होते हैं उसी प्रकार से यहां पर भी किया गया है । होता यह है कि हर आदमी को टेन्डर देने का अधिकार है । वह टेन्डर दता है । उसक साथ में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से नेक चलनी का सर्टिफिकेट भी लेकर वह देता है । उसके बाद उसको ठेका दिया जाता है। इसने भी सर्टिफिकेट दाखिल किया और इसको ठका दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं यह जानना चाहता हूं कि गुड करेक्टर सर्टिफिकेट सिटी मैजिस्ट्रेट का उनके पास है लेकिन उसी आदमी पर २०० रुपया जर्माना भी हुआ है, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को ठेका देने का फिर विचार रखती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस पर हम स्वयं विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

अस्पतालों में अच्छा दूध मिले इस विचार से क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यह ठेका सीमेंट, लोहा, आदि की तरह से न दिया जा कर ऐसे ठेकेदार को दिया जाय कि जो अच्छे से अच्छा माल दे सके उसका, भले ही ठेका सस्ता न हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह बात अवश्य विचार करने योग्य है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब उस ठेकेदार पर जुर्माना हुआ तो उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह कैसे किया जा सकता है ? यहां या तो पूरी जनता को ही ब्लैक लिस्ट में रखा जाय अथवा सबको व्हाइट लिस्ट में रखा जाय ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

जब सिविल सर्जन यह जानते थे कि उस ठेकेदार पर जर्माना हो चुका है तो फिर उसे ठका क्यों दिया गया और क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई विचार है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

जब उस ठेकेदार पर सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां से ही २०० रुपया जुर्माना हुआ और उसी ने उसको गुड करेक्टर सर्टिफिकेट दिया तो उस मैजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का विचार सरकार का है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वह सर्टिफिकेट अलग से आया था और किसी भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का हो सकता है जब कि ठेका दूसरी जगह दिया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी इस जांच के साथ कि ठेका इसी व्यक्ति को क्यों दिया गया यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि जितना दूध इस अस्पताल में सप्लाई होता है उसका बेश्तर हिस्सा सिविल सर्जन और दूसरे डाक्टरों के घरों में जाता है और क्या इसका सबत वह मुझ से लेने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का ठेका उस ठेकेदार को न दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह नीति का प्रश्न है और इसे सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार कार्य किया जाय कि आगे से इस तरह की चीजें न हों ।

श्री अध्यक्ष--

उनका सवाल है कि जिसे आप बेईमान पा चुके हैं क्या उसे फिर तो ठेका नहीं दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिनको बेईमान पायेंगे उन्हीं को सजा दी जायगी ।

जिला अस्पताल, देवरिया

*१२--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया सदर अस्पताल में कितने डाक्टरों की जगहें हैं कितने इस समय मौजूद हैं जो जगहें रिक्त हैं वे कब से रिक्त हैं और रिक्त रहन का कारण क्या है ? देवरिया के महिला अस्पताल में एक महिला डाक्टर से पूरा काम न हो सकने के कारण एक और महिला डाक्टर की कब तक नियुक्ति होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

देवरिया जिला अस्पताल में ५ पी० एम० एस० प्रथम (पुरुष) तथा एक पी० एम० एस० द्वितीय (पुरुष) डाक्टरों के पद हैं इस समय पी० एम० एस० (प्रथम) पुरुष के चार डाक्टर हैं तथा दो डाक्टर पी० एम० एस० (द्वितीय) पुरुष के जिनमें एक रिजर्व डियूटी पर है, वहां काम कर रहे हैं । केवल एक एनेस्थेटिस्ट का पद अक्तूबर, १९६३ से रिक्त है । रिक्त रहन का कारण इस वर्ग में स्पेशलिस्ट डाक्टर की कमी है ।

महिला अस्पताल, देवरिया में एक अन्य महिला डाक्टर की नियुक्ति करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायगा जबकि उस अस्पताल के लिये एक सब-चार्ज के पद की स्वीकृति दे दी जायगी जो अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*१३--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया सदर अस्पताल में कितनी चारपाइयां हैं तथा उनके लिये कितनी स्टाफ नर्सें हैं ? स्टाफ नर्सों की कितनी जगहें हैं, उनकी कमी का कारण क्या है और इस कमी को पूरा करने की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

संयुक्त अस्पताल, देवरिया में ८४ चारपाइयां (Bed Strength) हैं । उनके लिए ९ स्टाफ नर्सों के स्वीकृत पद हैं । केवल ४ स्टाफ नर्सें इस समय काम पर हैं क्योंकि शिक्षित नर्सों की कमी है । शिक्षित नर्सों की संख्या म वृद्धि करने के लिये हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । जैसे जैसे शिक्षित नर्सें उपलब्ध होती जायेंगी इस अस्पताल में भी स्टाफ नर्सें भेजी जायेंगी ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अक्तूबर, १९६३ से जो पद रिक्त है देवरिया अस्पताल में उसकी जगह की पूर्ति किये बगैर उस व्यक्ति को हटाने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह तो ट्रांस्फर्स हुआ ही करते हैं। ६ की स्ट्रेंग्थ आज भी है। जब उपलब्ध होंगे तो यह जगह भरी जायगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

दवाओं के विशेष जानकार की ही कमी देवरिया अस्पताल में है, सर्जन लोग तो हैं, तो फिर ऐसी सूरत में एक दम से दवा के जानकार को हटा करके दूसरी जगह भेज देने के क्या कारण हैं जबकि उस जगह की पूर्ति नहीं की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह चीज नहीं हैं। आज वहां पर यह स्टाफ है---

डाक्टर के० एन० जौहरी, सर्जन, डा० गजेन्द्र विकरम, फिजिशियन, डा० एस० एन० चौबे-पैथालाजिस्ट, डा० ओ० पी० गध, टी० बी० क्लिनिक, डा० नागनाथ-चिकित्सक सब-चार्ज, डा० निरंकार सिंह---रिजर्व।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ८४ चारपाइयों में चार नर्सों का होना अत्यन्त कमी का विषय है। स्टाफ नर्सों के अलावा अन्डर-ट्रेनिंग नर्स यदि उपलब्ध नहीं हैं तो ये चार वहां कैसे काम कर पा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

स्थिति यह है कि हर १० चारपाई के ऊपर एक नर्स होती है। यहां की नर्सों में से ३ नर्सें मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के लिये ९ महीने के लिये गयी हुई हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर आ जायेंगी तो कमी दूर हो जायेगी।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

क्या सरकार जिलों में डाक्टरों के जाने के बारे में उनकी हौसला-अफजाई के लिये कमीशन की सिफारिश के अलावा कोई इनक्रीमेंट भी देने पर गौर करेगी जिससे जिलों में वह जाने के लिये तैयार हों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

जिस डाक्टर का तबादला हुआ उसके स्थान पर किसी अन्य डाक्टर को भेजने का इंतजाम किया गया अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि अभी नहीं किया।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मंत्री जी बतायेंगे कि नर्सों की वृद्धि के लिये क्या सम्भव उपाय किये जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सम्भाव उपाय किये जा रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और सर्विसेज के मुकाबिले में उनको अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके रहने के लिये अच्छी सुविधायें हैं, इसके बावजूद भी कुछ ऐसी हमारी सामाजिक समस्यायें हैं जिनके कारण लड़कियां नहीं आती हैं। आज कल अधिकांश जो कार्य कर रही हैं वह दक्षिण भारत से, केरल वगैरह से आयी हुई नर्सें हैं ?

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैंने पूछा था कि सम्भव उपायों में कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने अपने जवाब में बता दिया है।

श्री मैनेजरसिंह--

नर्सों की जो कमी देवरिया में है उसकी पूर्ति के लिये क्या वहां पर कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलन की कृपा सरकार करेगी ? और जो यह कहा कि कैन्डीडेट्स नहीं मिलते तो क्या उसकी पूर्ति माननीय सदस्य वहां के करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

इल्तफात सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, रामपुर गढ़ावां में जमा खाद का धन

*१४--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इल्तफात सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, "रामपुर गढ़ावां," जिला उन्नाव को प्रांविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा गत वर्ष दी गई रासायनिक खाद का पैसा अभी तक बैंक द्वारा अदा नहीं किया गया है जबकि वह पैसा सोसाइटियों से बैंक द्वारा वसूल कर लिया गया है ? यदि हां, तो बैंक ने उस रकम को किस मद में जमा किया और इस्तमाल किया ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

जी हां। इल्तफात सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, रामपुर गढ़ावां, जिला उन्नाव ने गत वर्ष १९६२-६३ एवं वर्ष १९६३-६४ (३१-३-६४ तक) में पी०सी०एफ० द्वारा अपने सदस्य सोसाईटियों को बांटी गई खाद का पैसा जमा नहीं किया। बैंक ने अपनी सदस्य समितियों को ऋण देते समय उनके स्वीकृत ऋण सीमा में से मुब्लिग २१,०५३ रु० ३५ पैसा उनके सदस्यों को वितरित की जाने वाली खाद के मूल्य भुगतान हेतु काट कर रोक लिया था। बैंक को उक्त रकम को पी० सी० एफ० के उर्वरक खाते में जमा करके उसकी सूचना सम्बन्धित समितियों को देना चाहिये था किन्तु बैंक ने ऐसा नहीं किया वरन् उस रुपये को अपने अन्य खाते में डाल दिया तथा पुनः उस धनराशि को अपने सदस्य समितियों से प्राप्त ऋण की पूर्ति दिखाते हुये उनके हिसाब में मुजरा कर लिया।

*१५--श्री भीखालाल--

क्या यह सही है कि उपरोक्त खाद का पैसा सोसाइटियों से वसूल कर लेने के बावजूद बैंक द्वारा दुबारा बसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास--

यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त खाद का पैसा समितियों से बैंक द्वारा दुबारा वसूल किया जा रहा है। खाद के सम्बन्ध में काटी गई धनराशि को बैंक द्वारा सोसाइटियों से प्राप्य कर्जे में

श्री बनारसीदास--

मुजरा हो जाने के बाद अब विभिन्न सहकारी संघ, जिनके माध्यम से उक्त खाद वितरित की गई थी, वितरित खाद का पैसा वसूल कर रहे हैं जिसको प्रान्तीय सहकारी संघ के उर्वरक खाते में क्रमशः जमा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दुबारा वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीखालाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो गड़बड़ी हुई हैं उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास--

इसमें बैंक द्वारा कुछ अनियमितता हुई है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वैसे शायद यह बैंक सस्पेंडेड भी है।

श्री भीखालाल--

श्रीमन्, अभी पूरी जानकारी माननीय मंत्री जी के पास इसकी शायद नहीं है, वे कार्यवाही कर रहे हैं, इसलिये अभी इस प्रश्न को स्थगित कर दें और बाद को रख दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बाद को फिर प्रश्न पूछ लीजियेगा।

*१६-१७-श्री ऊदल--

[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित ३ सितम्बर, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या १८-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हरदुआं क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

*१८-श्री ऊदल--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआं विकास क्षेत्र, जिला वाराणसी के विकास अधिकारी के खिलाफ वाराणसी से निकलने वाले दैनिक बनारस अखबार में ४ जुलाई, १९६४ को गम्भीर शिकायतों की खबर छपी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं, क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गई एवं जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई। अतः उनके विरुद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गांव सभा व गांव समाज, पूरा का आय-व्यय

*१९--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम पंचायत व ग्राम समाज पूरा, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर के हिसाब-किताब में सन् १९५२ ई० से सन् १९६२ ई० के बीच गबन व अनियमितायें हुई हैं और अब तक कोई आडिट नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट:--तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति--

गांव पंचायत व गांव समाज, पूरा, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर के हिसाब-किताब में सन् १९५२ से १९६२ के बीच कोई गबन नहीं हुआ है। कवल कुछ अनियमितताय हुई हैं। गांव सभा व गांव समाज, पूरा का वर्ष १९५८-५९ का आडिट किया जा चुका है।

*२०-श्री मुरलीधर कुरील--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम पंचायत व ग्राम समाज पूरा, तहसील बिल्हौर (कानपुर) में सन् १९५२ से १९६२ तक कितना आय व व्यय किस प्रकार हुआ है ?

श्री राममूर्ति--

गांव सभा व गांव समाज, पूरा, तहसील बिल्हौर जिला कानपुर की सन् १९५२ से १९६२ तक हुई आय-व्यय क विवरण की एक †प्रति सदन की मज पर रख दी गई है।

बी० डी० ओ०, जगतपुर द्वारा चपरासी से घरेलू काम लेना

*२१--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, जगतपुर, जिला रायबरेली से सम्बन्धित पशु-चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है और प्रत्येक कर्मचारी कितने समय से कार्य कर रहा है ?

श्री राममूर्ति--

चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी हैं जो क्रमशः १-११-६३ व १-१२-६३ से कार्य कर रहे हैं।

*२२--श्री रतीपाल--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, जगतपुर, जिला रायबरेली के बी० डी० ओ० ने अपने घरेलू नौकर की नियुक्ति पशु चिकित्सालय, विकास क्षेत्र, जगतपुर, जिला रायबरेली में की जबकि वह नौकर बी० डी० ओ० साहब के घर पर ही कार्य करता है और वेतन पशु-चिकित्सालय से दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति--

पशु चिकित्सालय, जगतपुर में बी० डी० ओ० ने अपने किसी घरेलू नौकर की नियुक्ति नहीं की है। नियुक्ति केवल पत्र-वाहकों की की गई है जो कि शासकीय कार्य एवं आवश्यकतानुसार घर पर भी आते-जाते हैं।

गोरखपुर जिले में गांव ऊंचा करने का कार्य

*२३--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपा बतायेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितने गांवों को ऊंचा करने की योजना जन-शक्ति या सिंचाई विभाग की है और किस किस वर्ष में कितने-कितने गांव ऊंचे होंगे ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

---

†छापी नहीं गई।

*२४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल कितने गांवों में काम शुरू किया गया और अब तक इनमें से गोरखपुर के किन-किन तहसीलों में कितना कितना काम पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[२ सितम्बर, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विकास खंडों की जीप गाड़ियां

*१—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मितव्ययिता के दृष्टिकोण से विकास खण्डों को दी हुई जीप गाड़ियां वह वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । जीप गाड़ियां वापस लेने से विकास कार्यक्रम के संचालन में बाधा पड़ेगी ।

*२—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने कुछ समय पूर्व यह निश्चय किया था कि विकास खंडों से जीप गाड़ियां वापस ले ली जायं परन्तु बाद में उस निश्चय को बदल दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

प्रदेशीय सरकार द्वारा कभी कोई ऐसा निश्चय नहीं लिया गया था । अतः उसे बदलने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके इस निश्चय के बाद कि जीप गाड़ियां विकास खंडों से वापस ले ली जायं भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को यह आदेश दिया कि जीप वापस न ली जायं ? यदि हां, तो उक्त आदेश की मुख्य बातें क्या है ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंडों से जीप वापस ले लेने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन था । दिनांकित १ मार्च, १९५८ के सत्र द्वारा भारत सरकार ने समस्त प्रदेशों को आदेश प्रसारित किये कि भविष्य में प्रत्येक विकास खंडों में एक जीप गाड़ी तो अवश्य ही रहेगी ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुरी की इमारत

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी में जो आई० टी० आई० है वह किराये की इमारत में चल रही है और इस इमारत का ७५० रु० माहवार किराया होते हुए भी लड़कों के काम करने के लिये काफी कमरे नहीं हैं और कड़ी धूप, बारिश के समय मैदान में काम करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कब तक इमारत बनाने का प्रबन्ध कर दिया जायेगा ?

श्रीमती बनारसीदास—]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुरी किराये की इमारत में चल रही है और इसका वर्तमान किराया ७५० रु० प्रतिमाह है । विद्यार्थियों को धूप में व बारिश के समय मैदान में काम करने से बचाने के लिये अस्थायी शड बनवा दिये गये ह ।

*५-७--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

दिबियापुर सहकारी संघ के मैनेजर को हटाना

*८--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिबियापुर सहकारी संघ, इटावा के मैनेजर राजकर्मचारी, श्री रामनाथ तिवारी का स्थानान्तरण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

दिबियापुर सहकारी संघ, इटावा के मैनेजर को उनके स्थानान्तरण आदेश के अनुसार संघ के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है । वह राजकर्मचारी नहीं हैं बल्कि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अधीन एक सहकारी सुपरवाइजर हैं और उक्त संघ में डेपुटेशन पर थे ।

*९--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार की शिकायतों पर हुआ था ? यदि हां, तो जनता के व्यापक असंतोष को दखते हुए क्या उनका अविलम्ब स्थानान्तरण करेगी ?

श्री बनारसीदास--

उपरोक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण जनहित में फर्रुखाबाद के लिये किया गया था और वह तदनुसार कार्यभार से मुक्त भी कर दिये गये हैं ।

पीलीभीत जिले में सहकारी समितियों के सहायक निबंधक का आवास

*१०--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पीलीभीत के सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां नियम से कम किराया देकर किसी सहकारी क्रय-विक्रय समिति की इमारत में वर्षों से रह रहे हैं और बिजली-पानी मुफ्त प्रयोग कर रहे हैं जबकि उक्त समिति ने केवल ४ मास तक उन्हें रहने देने का प्रस्ताव पारित किया था ? यदि हां, तो अफसरी के दबाव के कारण समिति के इस विषय में अकर्मण्य होने को देखते हुये सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करगी ?

श्री बनारसीदास--

पीलीभीत जिले के भूतपूर्व सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, अगस्त, १९६१ से जुलाई, १९६४ तक पीलीभीत सहकारी क्रय-विक्रय समिति के भवन के एक भाग में समिति के संचालक मंडल के निर्णय व अनुमति से ३० रु० मासिक किराया देकर रहे । उक्त किराये में बिजली व पानी का खर्च शामिल था ।

समिति के संचालक मंडल ने भवन के उसी हिस्से को वर्तमान सहायक निबन्धक को भी किराये पर दे रक्खा है और उनके वेतन के १० प्रतिशत के हिसाब से किराया तय किया है जिसमें बिजली व पानी का खर्च शामिल नहीं है ।

सरजू नदी के भैन्दी घाट का ठेका

*११--श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती) तथा श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले के सरजू नदी के भैन्दी घाट के नीलाम की बोली दिनांक ६ जनवरी, १९६४ को जिला परिषद् की ओर से करायी गयी थी जिसमें सबसे अधिक बोली पांच हजार रुपये की श्री साधूसरन कौल की थी और उनसे २,५०० रुपया जमानत में जमा करा लिया गया था परन्तु ठेका उनको न देकर ठेके के लिये फिर से टेंडर मांगे गये और टेंडर में भी सबसे ऊंची रकम श्री साधूसरन की होने पर भी उन्हें ठेका नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

भैन्दी घाट की बोली जो पहली बार ६-१-६४ को करायी गई थी उसमें सबसे अधिक बोली श्री साधूसरन की ५,००० रु० की थी। यह बोली अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार होने के पश्चात् परिषद् के समक्ष रखी गई, परन्तु परिषद् ने बोली स्वयं स्वीकार न करके अध्यक्ष को अधिकृत किया कि पूरी जांच करके बोली के प्रति परिषद् की तरफ से निर्णय लेवें। अध्यक्ष न जांच पड़ताल क बाद यह निश्चय किया कि टेंडर मांगा जाय टेंडर मांगे जाने पर श्री साधूसरन न भी टेंडर दिया परन्तु किसी भी टेंडर दाता का टेंडर उचित न होने के कारण पुनः टेंडर मांगे गये। दोबारा टेंडर मांगे जाने पर श्री रामानन्द व श्री राम बचन का टेंडर उचित पाया गया और उन्हें घाट का ठेका दे दिया गया।

*१२--श्री भानुप्रताप सिंह तथा श्री बलवानसिंह--

उपरोक्त घाट के लिए दुबारा टेंडर देने के लिये जो तिथि निश्चित की गयी क्या उसके एक दिन पूर्व जिला परिषद् के किसी कर्मचारी द्वारा श्री साधूसरन और उनके साथियों के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप लगात हुये रपट लिखायी गयी ?

श्री राममूर्ति--

श्री साधूसरन और उनके साथियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट लिखाई गई, यह सही नहीं है।

*१३--श्री भानुप्रताप सिंह तथा श्री बलवानसिंह--

जिस व्यक्ति को अन्ततः घाट का ठेका दिया गया उसकी ठेके की रकम श्री साधूसरन की प्रथम बोली और टेंडर की रकमों से कितना-कितना कम है ?

श्री राममूर्ति--

श्री साधूसरन की प्रथम बोली का धन ५,००० रु० १-४-६४ से ३१-३-६५ के अवधि के लिये था और स्वीकृत ठेके का धन ३,८०० रु० १२-६-६४ स ३१-३-६५ तक की अवधि के लिए है। अवधि के अनुपात से स्वीकृत ठेके का धन श्री साधूसरन के प्रथम बोली के धन से २१४ रु० कम होता है। श्री साधूसरन का टेंडर का धन ४,१०१ रु० ५-५-६४ से ३१-३-६५ के अवधि के लिये था और स्वीकृत ठेके का धन १२-६-६४ से ३१-३-६५ तक के लिये ३,८०० रु० का है। अवधि के अनुपात से स्वीकृत ठेके का धन श्री साधूसरन के टेंडर के धन से १७८.५२ रुपये अधिक है।

*१४-१६--श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)--

[हटा दिया गया।]

विकास खंड करनैलगंज व परसपुर में पेय जल योजना

*१७--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वच्छ जल पेय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले के विकास खंड करनैलगंज और परसपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में कहां-कहां हैंड पम्प लगाये गये तथा कूप बनवाये गये और उनके लिये कितने-कितने रुपये का अनुदान दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखि नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०७ पर)

सहकारी डेवलपमेंट फेडरेशन लखनऊ में गबन

*१८--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित जिला सहकारी डेवलपमेंट फेडरेशन (D. C. D. F.) में गत २ मास के भीतर कोई भारी गबन पकड़ा गया ? यदि हां, तो गबन की धनराशि क्या थी ?

श्री बनारसीदास--

जी हां ।

गत जून, १९६४ में जिला सहकारी डेवलपमेंट फेडरेशन, लखनऊ में एक गबन पकड़ा गया । इस गबन की धनराशि २,८९० रु० ७५ पैसे थी ।

*१९--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गबन की जांच विभाग द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास--

जिला सहकारी डेवलपमेंट फेडरेशन के वर्ष ६२-६३ और ६३-६४ के हिसाब का आडिट विभागीय आदेशों द्वारा प्रारम्भ करा दिया गया है । आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर गबन की वास्तविक धनराशि और दोषी व्यक्तियों का पता लग सकेगा । अभी तक संघ के केवल निम्न चार कर्मचारी निलंबित किये गये हैं।

१--श्री बाबादीन शुक्ल, खजांची ।

२--श्री जमुना प्रसाद, भट्ठा मुन्शी ।

३--श्री बी० डी० मिश्र, मैनेजर ।

४--श्री ए० पी० कपूर, एकाउन्टेंट ।

आई० टी० आई० में टेक्निकल सुपरवाइजर का वेतन

*२०--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या यह सत्य है कि जो टेक्निकल सुपरवाइजर, आई० टी० आई० में करीब आठ साल से कार्य कर रहे हैं उनको १६० रुपये वेतन दिया जाता है और जो (मास्टर) इंस्ट्रक्टर हाल ही में नियुक्त किये गये हैं उनको भी १६० रुपये वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो उपरोक्त टेक्निकल सुपरवाइजर, आई० टी० आई० में हैं उनकी भी वेतन-वृद्धि की जावे ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं ।

सुपरवाइजर के पद पर ८ साल से कार्य कर रहे व्यक्ति को कम से कम वेतन १८४ रु० मिलेगा जबकि एक वर्ष से कम (हाल ही में) नियुक्त किये इन्स्ट्रक्टर को १२० रु० मिलेगा इसके अतिरिक्त दोनों को ४५ रु० महंगाई का भत्ता मिलेगा ।

*२१-२३--श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)--

[५ वें गुरुवार के किये प्रश्न संख्या ९२-९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

स्वास्थ्य सेवा निदेशक, डाक्टर डी० एन० शर्मा के विरुद्ध आरोप

*२४--श्री रघुबीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

१८ दिसम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा किसकी उपस्थिति में और किस तारीख को हुई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जांच डा० एन० सी० बनर्जी, उपस्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने ३ व ४ मार्च, १९६३ को, उस तारीख तक प्राप्त शिकायतों की की थी । यह जांच विभागीय थी । अतः किसी की उपस्थिति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सरकार इस बात से सहमत थी कि आरोप निराधार थे, अतः २५ मई, १९६३ के पत्र पर कोई दूसरी जांच नहीं कराई गई थी ।

*२५--श्री भगवानदास यादवेंदु (जिला आगरा)--

[हटा दिया गया ।]

वेतन आयोग

*२६--श्री भगवानदास यादवेन्दु--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार ने अपने समस्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर पुनः विचार करने के लिये जो वेतन आयोग का गठन श्री वी० मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित किया है क्या वह राज्य के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन पर भी विचार करेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

जी नहीं ।

*२७-२८--श्री बंशीलाल तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९--श्री होरीलाल यादव--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०--श्री कमलासिंह यादव--

[हटा दिया गया ।]

*३१-३२--श्री कमलासिंह यादव--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला परिषद् कर्मचारियों की अवकाश ग्रहण आयु

*३३--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा तथा श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिला परिषद् के अध्यापकों तथा नागर क्षत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की आयु ५८ वर्ष से ६० वर्ष कर दी गई है तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों, जिला परिषद् के कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की आयु बढ़ाने पर वे विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

जिला परिषदों के अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा से अवकाश ग्रहण करने की आयु ५८ से ६० वर्ष कर देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि यह उचित नहीं समझा गया कि समानता लाने के लिये कार्य कुशलता को ध्यान में न रखा जाय।

*३४-३५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खंड मनकापुर में स्कूल इमारत के लिये सीमेंट

*३६--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास अधिकारी मनकापुर ने दिलीपसिंह के पुरवा में बनने वाले प्राइमरी स्कूल में सन् १९६१-६२ और १९६३ ई० में कितने बोरी सीमेंट दिया ?

श्री राममूर्ति--

प्रसंगगत स्कूल के लिए सन् १९६२ में २० बोरी तथा सन् १९६३ में १० बोरी सीमेंट दी गयी।

*३७--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त स्कूल के बनाने में कितना धन मनकापुर ब्लाक से दिया गया है और कितना देना बाकी है और उपरोक्त स्कूल की इमारत बन गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

उक्त स्कूल के निर्माणार्थ जिला परिषद्, गोंडा द्वारा विकास खंड मनकापुर के माध्यम से मुबलिग २,२०० रु० की धनराशि प्रधान ग्राम सभा, मिटौरा को दी जा चुकी है। मुबलिग ३०० रु० देना शेष है। स्कूल भवन का कमरा बन कर तैयार है, बरामदों की छत डालनी बाकी है और पूरे भवन का पलस्तर करना बाकी है। प्रधान की रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट के अभाव में काम रुका है। सीमेंट मिलते ही कार्य पूरा कर लिया जायगा।

झांसी में मेडिकल कालेज

*३८--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या सरकार द्वारा बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को व गरीबी को देखते हुये वहां मेडिकल कालेज जनहित में खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मुअत्तल बी० डी० ओज०

*३९---श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९६४ में कितने बी० डी० ओज० मुअत्तल एवं बरख्वास्त किये गये ?

श्री राममूर्ति---

उत्तर प्रदेश में सन् १९६४ में अब तक ३ क्षेत्र विकास अधिकारी निलम्बित किये गये और कोई क्षेत्र विकास अधिकारी बरख्वास्त नहीं किया गया ।

*४०---श्री रघुवीर तथा श्री रघुनाथ---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बी० डी० ओज० किन कारणोंवश मुअत्तल तथा बरख्वास्त किये गये और इनमें से कितने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के हैं ?

श्री राममूर्ति---

एक क्षेत्र विकास अधिकारी न्यायालय में एक अपराध के मुकदमे में मुलजिम होने के कारण, दूसरे क्षेत्र बिकास अधिकारी धन गबन करने आदि के कारण और तीसरे क्षेत्र विकास अधिकारी तकावी अनुदान एवं ऋण संबंधी भुगतान के मामलों में गड़बड़ी एवं ठीक हिसाब न रखने के कारण मुअत्तल किये गये। इनमें से एक क्षेत्र विकास अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं और पिछड़े वर्ग का कोई नहीं है ।

*४१---श्री नाथूराम शिक्षक---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२-४३---श्री कल्पनार्थसिह---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४---श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री शिवनार्थसिह (जिला अलीगढ़)---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

विकास क्षेत्र, सिकन्दरपुर का केन्द्र

*४५---श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव) तथा श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार को पता है कि उन्नाव जिले के विकास क्षेत्र सिकन्दरपुर, सरोसी की विकास क्षेत्र समिति तथा अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी विकास क्षेत्र का केन्द्र एवं कार्यालय अभी तक ग्राम सिकन्दरपुर में नहीं बनाया गया और यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं, इस प्रसंग में क्षेत्र विकास समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित होने की सूचना शासन को नहीं है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सीतापुर की चुनाव कमेटी

*४६—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर आई० टी० आई० के उम्मीदवारों की नई चुनाव कमेटी कब और किस आदेश से बनाई गई ?

श्री बनारसीदास—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीतापुर की चुनाव कमेटी राजाज्ञा सं० १५५३ (ई)/३६-बी—७६६ (ई)-६३, दिनांक ९ अप्रैल, १९६४ द्वारा स्थापित की गई तथा उसमें आंशिक संशोधन राजाज्ञा संख्या ३०२९ (ई) /३६-बी—७६६ (ई)-६३, दिनांक १७ अगस्त, १९६४ द्वारा किया गया।

*४७—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष आई० टी० आई०, सीतापुर के उम्मीदवारों का चुनाव कब किया गया ?

श्री बनारसीदास—

१८ अप्रैल, १९६४ को।

*४८—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चुनाव नई कमेटी द्वारा किया गया या पुरानी कमेटी द्वारा ?

श्री बनारसीदास—

चुनाव पुरानी कमेटी द्वारा किया गया।

*४९—श्री गनेशीलाल चौधरी—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

सिवल अस्पताल, मुजफ्फरनगर के खिलाफ शिकायत

*५०—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सही है कि एक रामस्वरूप नामक व्यक्ति जिसको मजरा ग्राम, जिला मुजफ्फरनगर में डाकुओं ने २५ जून, १९६४ को ७ बजे रात्रि को गोली मारी वह ९ बजे रात्रि को सिविल अस्पताल, मुजफ्फरनगर में लाया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। मरीज लगभग १०.५५ बजे रात अस्पताल में लाया गया और तुरन्त ही भर्ती कर दिया गया था।

*५१—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या यह सही है कि उसका रात्रि को कोई उपचार चार-पांच घण्टे नहीं किया गया और हालत खराब होने पर मरीज के रिश्तेदारों को बाजार से दवा लाने पर मजबूर किया गया तब करीब २ बजे रात्रि को दवा दी गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। तुरन्त ही डाक्टरों ने उसकी जांच की। सब दवाइयां अस्पताल से दी गयीं। उसके इलाज में कोई देरी नहीं की गई और ना ही कोई लापरवाही बरती गई।

*५२--श्री शुगनचन्द मजदूर--

क्या यह सही है कि सिविल सर्जन, मुजफ्फरनगर ने १६ रुपये फीस अपने मकान पर लेकर भी मरीज को नहीं देखा और मरीज लाचार होकर सफदरगंज अस्पताल, दिल्ली पहुंचाया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी नहीं। सिविल सर्जन ने कोई फीस नहीं ली। मरीज के रिश्तेदार अपनी मर्जी से मरीज को अस्पताल से ले गये।

*५३-५५--श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में लेखपालों को चुनाव-भत्ता न मिलना

*५६--श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत पंचायत चुनाव से संबंधित खीरी जिले में लेखपालों द्वारा को जाने वाली सेवाओं के लिये अब तक उन्हें दैनिक व्यय तथा मार्ग-व्यय आदि का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

यह सत्य है कि लगभग १५० लेखपालों में से केवल तीन लेखपालों को गत पंचायत चुनाव से संबंधित खीरी जिले में उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिये दैनिक व्यय तथा मार्ग व्यय दिया जा चुका है। शेष १४७ भत्तों के बिल, संबंधित लेखपालों के पास तहसीलदारों के द्वारा आवश्यक आपत्तियों के साथ लौटाये गये हैं जिनकी अभी तक पूर्ति न हो पाने के कारण शेष लेखपालों को उनके दैनिक व्यय तथा मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया जा सका है।

*५७-५८--श्री रतीपाल--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५९-६०--श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६३--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६४-६५--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६६-६७--श्री बंकटासिंह तथा श्री छेदालाल चौधरी--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर में प्रदर्शन

*६८--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में कानपुर स्थित राजकीय श्रम विभाग के कार्यालय में वहां के कर्मचारियों द्वारा कोई प्रदर्शन किया गया ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास---

जी हां, गत २९ व ३० जुलाई को श्रमायुक्त कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने कार्यालय के बरामदे में नारे लगाये, शोरगुल तथा अनुशासनहीनता का व्यवहार किया।

इन लोगों ने इस संबंध में अपनी कोई मांग लिख कर तो श्रमायुक्त को नहीं दी परन्तु नारों में कहा गया कि दो निलम्बित कर्मचारियों को तुरन्त बहाल किया जाय। इन दो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन हीनता की कार्यवाही चल रही है।

*६९---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

कोषागार कर्मचारियों को भत्ता देने का सुझाव

*७०---श्री रघुनाथसिंह---

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार कार्यालय के जिलाधीश कार्यालय से अलग हो जाने पर इस कार्यालय के कर्मचारियों के लिये सेवा की विभिन्न शर्तें जिलाधीश कार्यालय की सेवा शर्तों के समान ही चल रही हैं ?

श्री जयराम वर्मा---

जी हां।

*७१---श्री रघुनाथसिंह---

विकास योजनाओं के अन्तर्गत नये-नये विभागों और संस्थाओं की स्थापना से कोषागार को कार्य बहुत बढ़ गया है इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की संख्या वृद्धि और उनके अतिरिक्त भत्ता के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---

आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अतिरिक्त भत्ता देने का कोई नियम नहीं है।

*७२---श्री रघुनाथसिंह---

तहसीलों और जिले के अन्य दूरस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के बिल पास होने में समय और यात्रा भत्ता की बचत के लिये क्या सरकार सदर कोषागार के अन्तर्गत, उप-कोषागार कार्यालय, तहसील कार्यालयों से संलग्न खोलने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा---

तहसील कार्यालयों में पहिले से ही उप-कोषागार (सब ट्रेजरीज) हैं। मगर इन सब में बिल नहीं पास होते। कुछ तहसीलों में जहां आवश्यकता समझी गई है बिल भी पास होते हैं और कुछ में तो कोषागार ही खोल दिये गये हैं।

*७३-७५-श्री चन्द्रबलीसिंह---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७६-७८---श्री जगदीशप्रसाद पांडेय---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२-४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

खानपुर में औषधालय न होना

५--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र (सैदपुर), जिला गाजीपुर में ग्राम न्याय पंचायत, क्षेत्र डड़वल और खानपुर में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां स्थापित करने पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

आवश्यक जांच से पता चला कि ग्राम डड़वल के पांच मील की परिधि में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः ग्राम डड़वल में चिकित्सालय स्थापित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। जहां तक ग्राम खानपुर का संबंध है, वहां के छः मील की परिधि में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव है, अतः वहां औषधालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

ए० डी० ओ० सी० नियामताबाद के विरुद्ध शिकायत

६--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वाराणसी जिले के नियामताबाद विकास खंड के ए० डी० ओ० सी० के विरुद्ध कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास अप्रैल, मई, जून, १९६४ में आये हैं और उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बनारसीदास--

वाराणसी जिले के नियामताबाद विकास खंड के ए० डी० ओ० सी० के विरुद्ध, सहायक निबन्धक सहकारी समितियां वाराणसी तथा अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन वाराणसी को सम्बोधित माननीय प्रश्नकर्ता महोदय के ही दो शिकायती पत्र-क्रमशः २-५-६४ व २२-५-६४ जिला नियोजन कार्यालय वाराणसी में प्राप्त हुये थे। दोनों शिकायती पत्रों में ए० डी० ओ० सी० के विरुद्ध यह आरोप थे कि वह खाद बिक्री में अनियमितायें कर रहे हैं और सदस्यों को नकद कर्जा दिलाने में अनुचित रकम मांगते हैं। अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी वाराणसी ने शिकायतों की गोपनीय ढंग से जांच की और आरोप तथ्यहीन पाये।

जगत ब्लाक की जीप

७--श्री गणेशचन्द्र काछी--

४ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के जगत ब्लाक की जीप की मरम्मत अभी तक न होने के कौन-कौन से कारण हैं और अब जीप की मरम्मत किस तारीख तक हो जायगी ?

श्री राममूर्ति--

बदायूं जिले के जगत ब्लाक की जीप, जो तृतीय निर्वाचन की अवधि में खराब हो गई थी, उसके विषय में पहिले तो निर्वाचन विभाग ने अपनी ओर से मरम्मत कराने के लिये बदायूं के मेसर्स नेशनल गैराज को आदेश प्रसारित कर दिये थे। परन्तु उस गैराज ने मरम्मत का

कार्य नहीं लिया। तत्पश्चात् परिवहन विभाग से सम्पूर्ण आवश्यक मरम्मत का विवरण प्राप्त करके निर्वाचन विभाग को सूचित किया गया कि मरम्मत में रु० २,६४२·३२ पैसा लगेगा। अब निर्वाचन विभाग ने कहा है कि उक्त जीप निर्वाचन काल में खराब नहीं हुई अतः वह इसकी मरम्मत के लिये उत्तरदायी नहीं है। इसलिये अब और जांच की आवश्यकता हो गई है कि जीप के खराब होने का उत्तरदायित्व किसका है ?

उपर्युक्त परिस्थिति में जीप की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी है और न इस बिषय में कोई निश्चित तिथि ही इस समय निर्धारित की जा सकती है।

आबकारी इन्स्पेक्टरों का चुनाव

८---श्री गिरवरप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश आबकारी इंस्पेक्टरों के चुनाव में १९६४ ई० में कितने अभ्यर्थी चुनाव में लिये गये ? उनके नाम क्या हैं और उनकी योग्यता क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

आबकारी इन्सपेक्टरों के चुनाव हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सितम्बर-अक्तूबर १९६३ में लिये गये इम्तहान में जिसका नतीजा जून सन् १९६४ में निकला है कुल मिलाकर २१ अभ्यर्थी लिये गये हैं जिनकी नामावली तथा योग्यता का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०८ पर)।

९---श्री गिरवर प्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने (Backward class) पिछड़ी जाति के उम्मेदवार थे और उनमें से कितने अभ्यर्थी चुनाव में लिये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

चूंकि बैकवर्ड क्लासेज (Backward classes) के लिये स्थान सुरक्षित नहीं होते हैं, इसलिये लोक सेवा आयोग ऐसे उम्मेदवारों की कोई सूची नहीं बनाता। अस्तु वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

१०---११---श्री गणेशचन्द्र काछी---

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

रामनगर विकास खंड में पशुशाला निर्माणर्थ अनुदान

१२---श्री गिरजाप्रसाद---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत विकास खंड रामनगर में पशुशाला निर्माणार्थ कब-कब और किसको-किसको गत तीन वित्तीय वर्षों में अनुदान दिये गये ?

श्री राममूर्ति---

वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २०९-२१० पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०९५-ए(१)/३०-क--३-जी-६४, दिनांक ३ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों के परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन*

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७८६/२-बी-१५१-३-६२, दिनांक २७ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को "भारत के संविधान" के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति से सम्बद्ध प्रथम परिनियम*

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

मैं कृषि (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या बी-३०३१/१२-बी--८०४-५९, दिनांक १२ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति से सम्बद्ध प्रथम परिनियम" को, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री झिलमिटराम, श्री विजयपालसिंह एवं श्री झारखण्डेराय की रिहाई के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

गिरिफ्तारी के संबंध में मैंने माननीय सदन को बता दिया था । जो बन्दीकृत महानुभाव थे, वे रिहा कर दिये गये हैं । इनके नाम हैं--

१--माननीय झिलमिट राम, २--माननीय विजयपाल ३--माननीय झारखंडे राय ।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुये निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब जो मेरे पास कामरोको प्रस्ताव आये हैं वे माननीय नेकराम शर्मा, माननीय डा० जेड० ए० अहमद, माननीय चन्द्रजीत यादव तथा माननीय झारखंडे राय के हैं ।

---

*छापे नहीं गये ।

(श्री जेड० ए० अहमद से)

क्या डाक्टर साहब मैं पढ़ कर सुना दूं ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, पहले तो मेरा है ।

श्री अध्यक्ष--

पहले तो उन्हीं का रखा था । खैर मैं आपको ही पहले सुनाता हूं ।

"आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं :--

"चुनाव याचिका श्री डण्डेकर बनाम श्री रामरतन गुप्ता जिसका निर्णय अभी २८ अगस्त, १९६४ को किया गया है, उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे प्रदेश में चुनाव पद्धति, सरकार व जनतंत्र में लोगों की आस्था व विश्वास को ठेस पहुंचा है और जिसका परिणाम जनतंत्र के लिये बहुत घातक हो सकता है । इसलिये आज यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह सदन आज का कार्य स्थगित करके इस विषय पर विचार करे ।

गोंडा के संसदीय चुनाव ट्रिब्युनल के निर्णय से जिसमें कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर श्री चन्द्र मोहन निगम (वर्तमान कमिश्नर, गोरखपुर) और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों ने जालसाजी करके तथा मत पत्रों में परिवर्तन करके कांग्रेस उम्मीदवार कानपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रामरतन गुप्त को विजयी बनाया । और इस जालसाजी के पुरस्कार स्वरूप श्री निगम को पदोन्नति देकर जिलाधीश से कमिश्नर बनाया गया । यह कार्य जनतंत्रीय व्यवस्था में जघन्य अपराध और संसदीय इतिहास में अनोखी घटना है । इस कार्य से हमारे राज्य का प्रशासन कलंकित हुआ है और जनवाद को गहरी ठेस लगी है । न केवल राज्य में बल्कि सारे देश का जनमत इस पर तीव्र प्रतिक्रिया कर रहा है । इस षड़यंत्र के पीछे शासक दल के कुछ प्रमुख नेताओं के हाथ होने का भी अनुमान है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार हेतु सदन स्थगित होता है ।"

इस संबंध में मैं आदरणीय सदन को सूचना दे दूं कि माननीय काशीनाथ मिश्र की भी सूचना आई है । यह नियम ५२ के अन्तर्गत है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब विरोधी दल के इतने नेताओं ने इसी प्रश्न पर आपके सामने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न पेश कर दिया था तो क्या यह जायज है कि उसी प्रश्न पर कामरोको प्रस्ताव लाकर यहां बहस करने लगें ।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त वे उसे प्रेस नहीं कर रहे हैं । जरा सहिष्णुता हो ।

मैं माननीय नेकराम और डाक्टर जेड० ए० अहमद से जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास जजमेंट की सर्टीफाइड कापी है ?

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

सर्टीफाइड कापी तो नहीं है, लेकिन इलाहाबाद से जजमेंट को पढ़कर आया हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हिन्दुस्तान के सब अखबारों में छपा है । क्या आपने कोई अखबार नहीं पढ़ा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं । माननीय नेकरामजी और डाक्टर साहेब काफी चौड़े कंधे के आदमी हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद वहन कर सकते हैं ।

*श्री नेकराम शर्मा--

हमारे प्रदेश में यह जो हुआ, उससे प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रजातंत्र की हत्या हुई है । हत्या में धारा ३०२ लगती है । आप तो बड़े विद्वान लाइयर हैं । इस जजमेंट से प्रतीत होता है कि इस सरकार के कुछ कर्णधारों ने उसमें अबेटमेंट किया यह बात मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४० में स्पष्ट है कि :--

"By the law of Parliament, all persons, whether peers or commoners, may be impeached for any crimes whatever, although impeachments have generally been reserved for extraordinary crimes and extraordinary offenders."

यह इतना भंयकर आफेंस हुआ है कि बैलट में आस्था और विश्वास हिल गया और प्रजातंत्र का गला घोटा गया :--

श्री अध्यक्ष--

लोक महत्व के प्रश्न पर प्रकाश डालिये । आप तो सिर्फ न्यूज पेपर रिपोर्ट पर कह रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--

लोक महत्व का तो आपने मान लिया । अरर्जेंसी यह है कि मजबूर होकर निगम साहेब को छुट्टी भेजा गया । अरर्जेंसी का दूसरा प्रमाण यह है कि देश के सारे मशहूर पेपर्स ने, जैसे हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस,पायनीयर,नैशनल हैराल्ड इत्यादि ने एडिटोरियल लिखे हैं । १, २ सेंटेंस आप पढ़ लें । हिन्दुस्तान टाइम्स कहता है

"The Congress Party would be inviting on itself the charge that it protects its members indulging in corrupt practices."

कोई बात अरजेंट होती है तभी दुनिया के अखबार एडिटोरियल लिखते हैं । जो कुछ गोंडा में हुआ वह शायद आपस भी छिपा नहीं है । आज हमारे स्वर्गीय राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी नहीं हैं । निगम साहेब का प्रोमोशन हुआ । किसने किया ? जो उस गवर्नमेंट के हेड थे, जिस मशीनरी में यह करप्ट प्रैक्टिस थी ।

अनेक सदस्य--

नाम लीजिये ।

श्री नेकराम शर्मा--

आप सब लोग जानते हैं उनकी सलाह से यह प्रोमोशन हुआ । सन् १९६२ नवम्बर में, जिसके खिलाफ डिस्पिलीनरी प्रोसीडिंग्स चल रही थीं । चीफ सेक्रेटरी का खुद छपा है । उस वक्त चीफ मिनिस्टर सी० बी० गुप्ता थे और होम मिनिस्टर भी थे । दोनों पोजीशन वह होल्ड करते थे । जिस समय यह एप्लीकेशन जस्टिस बेग के सामने मूव हुई उस समय हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल, कन्हैयालाल मिश्रा ने रामरतन गुप्ता को रिप्रेजेन्ट किया । अर्जेंसी यह है कि जब सरकार या उसके दूसरे विभाग पार्टी होते हैं तो एडवोकेट-जनरल उसमें नहीं जाते हैं । एक बड़े हायस्ट जुडिशियल अफसर ने टेलीफोन मिस्टर निगम को किया । सी० आई० डी०, सेंट्रल सी० आई० डी० इस बात का पता लगा देगी । हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो । लेकिन यह हुआ कि आर्डर्स हो गये । पहले जब हम बोलते थे तो आप कहते थे कि इलैक्शन पैटीशन चल रहा है । इसी सदन में आपने कहा था कि जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तय हो जाय, जजमेंट हो जाय, तब प्रश्न उठाया जाय। अब क्लीयरिली मध्य प्रदेश के जज ने कह दिया है। हम उन्हें बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सच्ची बात कही। उसके बाद आज तक इस सरकार ने किसी अफसर को सस्पेंड नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अर्जेन्सी का मतलब यह नहीं है कि प्रस्ताव पर बहस हो।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप तो स्वयं इसकी इम्पार्टेन्स मान गये। इम्पार्टेन्ट वही चीज होती है जो अर्जेन्ट हो और अर्जेन्ट वह चीज होती है जो इम्पार्टेन्ट हो। मेरी सूचना है कि श्री सुन्दरम्, इलैक्शन कमिश्नर, ने इम्मीडियट नोट किया है और वह इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि सरकार बतलावे कि उनके पास वहां से क्या सूचना आई है। उनके छुट्टी पर जाने का तो सुना है, लेकिन क्यों वह अभी तक सस्पेंड नहीं हुए? श्रीमन्, तीनों एसेंशियल्स जो हैं कामरोको प्रस्ताव के वह इसमें पूरे होते हैं। यह आपने मान लिया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरे अर्जेन्ट भी है, क्योंकि निगम को छुट्टी भेजा गया है, अभी तक ऐसे अफसरों को सस्पेंड नहीं किया गया है। अर्जेन्ट इसलिए भी है कि जो इस कान्सपिरेसी में थे वह आज भी इस सदन में बैठे हुए हैं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार दे शुड बी आस्क्ड टु रिजाइन और सारे सदन की एक कमेटी बनाकर उनका इम्पीचमेंट होना चाहिये।

श्री जेड० ए० अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो वकील नहीं हूं और न किताबें लेकर आया हूं। लेकिन मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं और आज कोई भी मेम्बर जो इस तरफ बैठा हो या उस तरफ बैठा हो अपने दिल पर हाथ रखकर कहे, सोचे कि क्या यह अर्जेन्ट है या नहीं, पब्लिक इम्पार्टेन्स का है या नहीं? ईमानदारी का तकाजा है और मैं तो कहता हूं कि कोई सियासी आदमी जिसमें कि सियासत की कुछ कदर और कीमत है उसके सामने अन्धकार दिखाई देता है। डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर जब चला गया, उसका आधार ही खत्म हो गया, आज एक के साथ हो सकता है तो कल १०० के साथ हो सकता है, और १०० के साथ हो सकता है तो ४०० के साथ भी हो सकता है, तो अगर यह भी अर्जेन्ट नहीं है, यह भी पब्लिक इम्पार्टेन्ट का नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस सियासी क्षेत्र के अन्दर कोई भी अर्जेन्सी या इम्पार्टेन्स की चीज रह नहीं जायगी। इस आधार पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मौका दीजिये सदन को। हम इसको झगड़ा नहीं बनाना चाहते इस पक्ष का या उस पक्ष का। मैं समझता हूं कि उधर के लोगों को भी इतनी ही तेजी से इस हरकत की आलोचना करनी चाहिए और जो शरारत और षड़यंत्र हुआ उसको खत्म करना चाहिये। हम राय देना चाहते हैं कि ऐसे अफसर रहेंगे या नहीं, ऐसे अफसरों को फौरन सस्पेंड करके हटा दिया जाय। हम जांच कराना चाहते हैं हा उस को एक कमेटी बनाकर कि इसके पीछे सियासी, पोलिटिकल व्यक्ति जो काम कर रहे थे वह कौन थे। मैं स्वयं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी हो जिसमें सभी पार्टी के नुमाइन्दे हों, कांग्रेस के भी हों और इधर के भी हों, वह कमेटी देखे कि क्या पोलिटिकल हैन्ड्स इसमें थे या नहीं थे और थे तो कौन-कौन थे, उनको पकड़ा जाय और खत्म किया जाय और ऐसी चीजें आगे न हों, इसकी गारन्टी पैदा की जाय। अध्यक्ष महोदय, इसलिये इस मोशन को आप स्वीकार करें। आप तो पुराने लीडर्स में से हैं। मैं जानता हूं कि आप महसूस कर रहेहैं कि यह इम्पार्टेन्ट भी है और अर्जेन्ट भी है और मैं उस दल से अपील करूंगा कि वह हमारी दरख्वास्त को मान जाय। इस पर बहस हो। आप बहस को महदूद कर दीजिये। बड़े डिगनिफाइड तरीके से बहस हो। गलत चार्जेज न उठाये जायं। लेकिन मसला सदन के सामने आना चाहिये क्योंकि हमारी सियासी जिन्दगी से यह ताल्लुक रखता है, हमारी जिन्दगी और मौत से ताल्लुक रखता है। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि इसे आप कबूल करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कबूल करेंगे।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय नेकराम शर्मा और माननीय डाक्टर अहमद साहब लाये हैं, इसमें सन्देह नहीं है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी कोई बेईमानी चुनाव के मामले में हो जिससे कि चुनाव का नतीजा उलट-पुलट दिया जाय, तो उसका महत्व है। परन्तु केवल अभी अखबार के पढ़ने से हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। (व्यवधान) जजमेंट डाक्टर अहमद साहब पढ़कर आये होंगे पर श्रीमन्, हम लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा है। तो उस मसले पर आप कैसे बहस करायेंगे और कैसे हम अपनी राय आपको देंगे ? अखबार में पढ़कर हम कोई राय नहीं दे सकते। इसलिये मान्यवर, मेरा पहला निवेदन तो यह है कि जब तक कि यह जजमेंट रिपोर्ट न हो जाय या उसकी सर्टीफाइड कापी सदन में न आ जाय तब तक हमको इस पर बहस नहीं करनी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट को आप देखें। उसमें लिखा है कि ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स पर अन्तिम आर्डर्स या जजमेंट अन्डर सेक्शन ११६-ए आफ दि रिप्रिजेन्टेशन आफ दि पीपुल्स ऐक्ट होंगे। वह ट्रिब्यूनल के जजमेंट को फाइनेलिटी अटैच नहीं करता है। वह जजमेंट सबजैक्ट टू अपील है। उसमें ११६-ए के अन्तर्गत अपील हो सकती है और अगर एक महीने के अन्दर अपील हो गयी तो वह सबजुडिस हो जायगा। अभी यह टाइम निकला नहीं है।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि अगर जैसा कि माननीय मित्र ने कहा ट्रिब्यूनल की ये फाइंडिंग्स हैं और अगर वे ठीक हैं तो यह एक क्रिमिनल अफेन्स बन जाता है। क्रिमिनल अफेन्स अगर कोई हो तो फिर चाहे कोई आफिसर हो अथवा कोई और हो, उसका प्रासीक्यूशन हो सकता है। ऐसी सूरत में मैं आपका ध्यान नियम ६० की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें सबजुडिस मामलों के बारे में कहा गया है। इसमें कोर्ट का कन्टेम्प्ट भी होता है। तो सबजुडिस वे मामले होते हैं जो किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत हों अथवा उनमें जुडीशियल प्रोसीडिंग्स इम्मीनेन्ट हों। इसमें इम्मीनेन्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इस केस में भी अभी अपील का समय है, अपील होने वाली है। अगर हम उस पर विधान सभा में कोई बहस करते हैं तो उन प्रोसीडिंग्स पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिये नियम ६० के अनुसार आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, सरकार से पूछ लिया जाय या और किसी तरीके से यह मालूम करके बता दिया जाय कि इस सिलसिले में अपील हुई है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डाक्टर अहमद ने कहा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो अथवा और कोई पार्टी हो, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स हैं जिस प्रकार से फेयर इलेक्शंस होते हैं, उनमें अगर किसी किस्म की गड़बड़ी पैदा होती हैं तो उसको कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता। गवर्नमेन्ट भी इसको कभी पसन्द नहीं कर सकती। लेकिन अभी वह जजमेंट हमारे सामने नहीं है फिर भी जजमेंट की सर्टिफाइड कापी का बगैर इंतजार किये हुए सरकार की तरफ से जितनी जल्दी हो सकेगा, कल या परसों, एक स्टेटमेंट दे दिया जायगा। हम उस स्टेटमेंट को देने के लिये तैयार हैं और किसी तरह की भी इसमें देरी नहीं करना चाहते।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ एक दो घटनायें और भी हुई हैं जैसे कि डबल लाक में से भी पेपर्स को दीमक खा गयीं। इसके बारे में भी माननीया मुख्य मंत्री सूचना दे दें।

गोंडा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुये निर्वाचन के संबंध में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के १४६ विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

इसके सम्बन्ध में कल माननीया मुख्य मंत्री बयान देंगी, वह नियम ५२ के अन्तर्गत जो काशीनाथ जी का प्रश्न है उसके ऊपर होगा ।

श्री उग्रसेन--

निवेदन यह है कि मेरी चुनाव याचिका से संबंधित प्रिसाइडिंग आफिसर की डायरी ही चुरा ली गयी । लेकिन संबंधित आफिसरों को कोई दंड नहीं दिया गया । हाईकोर्ट के फैसले में यह चीज है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, अगर कल अपील हो गयी तो क्या फिर भी माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दे सकेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

काल्पनिक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता । अगर ऐसी परिस्थिति हुई भी तो हम लोग उस पर विचार कर लेंगे । लेकिन मेरा ऐसा मत है कि अगर अपील हो भी जाय तो जो फैक्ट्स गवर्नमेन्ट के सामने हैं वे तो आपके सामने आ ही सकते हैं । उसमें कोई दिक्कत न होगी ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री से मेरी दरख्वास्त यह है कि जब वे फैसले की कापी मंगवायें तो उसकी सर्टिफाइड कापी इस आदरणीय सदन के हर सदस्य को भी दे दी जाय तो उनकी बड़ी कृपा होगी ।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं । जो आपने कहा था वही आ रहा है, फिर अब आपको क्या शिकायत है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

इसको पढ़ तो दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है । आपने भी वही बात लिखी है जो डाक्टर साहब ने लिखी है । माननीय मुख्य मंत्री कल इस पर बयान देंगी ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । माननीय नेकराम शर्मा ने इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों पर व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं कि एलेक्शन के अन्दर उन्होंने एबेटमेंट किया । मैं समझता हूं कि जब तक कोई निर्णय न आ जाय और नियमानुसार उसकी जांच न कर ली जाय तब तक इस तरह के आक्षेप करना उचित नहीं है । इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो आक्षेप उन्होंने किया है उसे प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय ।

(श्री चन्द्रजीत यादव के खड़े होने पर)

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

श्री चन्द्रजीत यादव भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । पहले उनको सुन लें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के रुख को देख कर यह उचित ही कहा है कि यह एक गम्भीर प्रश्न है और यदि इस पर किसी को किसी तरह की कोई शंका है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है यदि इस पर कल या परसों बहस हो जाय ।....

श्री अध्यक्ष--

बहस के लिये नहीं कहा, उन्होंने बयान देने को कहा है । मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हम लोग माननीया मुख्य मंत्री को सुन लें, उसके बाद फिर अगर आप जरूरत समझें तो कोई और तरीका निकाल लेंगे । पहले फैक्ट्स सामने आ जायं, फिर जो सूरत हो उसके बाद हम आप उसको देख लेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक कामरोको प्रस्ताव आपके सामने रखा गया जिसे आपने महत्व का और अर्जेन्सी का समझ कर पूछा, तो माननीय मुख्य मंत्री खड़ी हो गयीं और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर कल या परसों इस पर बहस की जाय । हम इसका स्वागत करते हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैंने पहले कहा है कि जब तक हमारे पास जजमेंट की सर्टिफाइड कापी न आ जाय, उस परिस्थिति में यहां कोई ऐडजर्नमेंट मोशन आ जाय तो उस पर हम लोग यहां बहस करने की पोजोशन में नहीं हैं । यदि सर्टिफाइड कापी आ जाय तो आई विल पुट दि स्टेटमेंट बिफोर दि हाउस ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकार ने इसका विरोध किया कि इसके लिये कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आना चाहिये । श्रीमन्, आपने सदन में मुझे पुकारा और इसकी महत्ता व अर्जेन्सी को समझ कर इस सवाल को रखा। तो नियमानुसार आपको इस प्रश्न को सदन के सामने रखना चाहिये और यदि ८६ व्यक्ति इसके पक्ष में खड़े होते हैं तो इसे आपको स्वीकार करना चाहिये या इतने सदस्य न खड़े हों तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिये । अब तक यहां का यही नियम रहा है और सदन की परम्परा रही है । मैं समझता हूं कि आपके सामने दूसरा कोई चारा नहीं है सिवा इसके कि इसको सदन के सामने रखें । आपने तो माननीया मुख्य मंत्री को अनुमति दे दी थी ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने अनुमति नहीं दी थी, मैंने तो पूछा था कि आपको क्या कहना है । एक बात मैं निवेदन कर दूं कि जो बातें कामरोको प्रस्ताव के अन्दर आयी हैं उन्हीं के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहती हैं, तो पहले उनको सुना जाय, फिर देखा जायगा । शोभा इसी में है ।

माननीय नेकराम जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना निर्णय दे दूं, तो दे दूंगा। माननीय नकराम जी ने यह बहस की कि यह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है और अर्जेन्ट भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने एक कारण यह बतलाया कि कमिश्नर को ऐडवाइस किया गया है कि वे छट्टी पर जायं। यह भी अखबार की बात है और जितनी बातें हम लोग यहां कर रहे हैं वह अखबारों के आधार पर ही कर रहे हैं व कह रहे हैं। इसलिये पूछने का प्रश्न नहीं था। मैं प्रश्न सरकार से उस वक्त करूं जब मैं समझूं कि आपके पास जो तथ्य हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं, उसके सिवा भी आपके पास कोई मसाला है। अगर आप बहस ही करना चाहते हैं तो बहस कीजिये, पहले मैं निर्णय देता हूं, आप सुनें।

श्री उग्रसेन––

पहले आप मेरे सवाल को सुन लें। आपने मुझे एक मिनट देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष––

जी नहीं, आप बैठें।

अब मैं निर्णय दे रहा हूं तो आप बीच में न बोलें, बाद में आप कहेंगे तो मैं सुन लूंगा।

श्री उग्रसेन––

हम इसको बहुत महत्वपूर्ण समझते थे, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री जेड० ए० अहमद––

यहां इस तरफ अध्यक्ष महोदय, लोगों को कुछ शक है कि माननीय मुख्य मंत्री के बयान के बाद हमारी जबानें बन्द कर दी जायंगी इसलिये आप अभी से हमें इतना एश्योरेंस दे दें कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बाद में सदस्यों को अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया जायगा, इस तरह से ही यह मसला हल हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष––

अहमद साहब, आप प्रश्न कर सकते हैं, बयान नहीं दे सकते लेकिन यह नहीं होगा कि स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं हो सकते।

श्री जेड० ए० अहमद––

श्रीमन्, प्रश्न तो और चीज है लेकिन ऐसे अहम और बड़े सवाल पर लोगों को राय देने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष––

स्टेटमेंट होने पर प्रश्न हो जायेंगे, वादविवाद तो उस समय मुश्किल होगा, लेकिन बाद में देख लेंगे। अगर कोई तरीका होगा तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

अध्यक्ष महोदय, आपसे श्री उग्रसेन जी ने अपनी व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री जेड० ए० अहमद से पहले एक मिनट चाहा था लेकिन आपने उनको समय नहीं दिया तथा जेड० ए० अहमद को समय दे दिया और कहा कि निर्णय हो गया, तो ऐसा अन्तर क्यों किया जाता है कि एक को समय दिया जाता है और दूसरे को नहीं दिया जाता ?

श्री उग्रसेन––

अध्यक्ष महोदय, मैं अब एक सूचना देना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष—

आप के पैरोकार तो रक्षपालसिंह जी हैं, आप अब क्या कह रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, जिन निगम साहब को २ महीने की छट्टी दे दी गई है वह दारुलसफा में घूम-घूम कर अपनी कनवेंसिंग कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनको रोका जाय कि वह वहां ऐसा न करें, वह अपने मुकदमे को इस तरह से सुचेता जी के और चीफ सेक्रेटरी के सामने रखवाना चाहते हैं, यह उचित बात नहीं है, उनको इस सब के करने से रोका जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ५८ व ६१ की ओर दिलाना चाहता हूं ।....

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय,...

श्री लखीसिंह(जिला मथुरा)—

हमारा एक नियम ५२ का बहुत महत्वपूर्ण था....

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियम ५२ के सब पर आदेश दे दिये हैं और उचित कार्यवाही के लिये कर दिया है ।

कानपुर तथा बाराबंकी जिलों में राजकीय कर्मचारियों द्वारा डेवलपमेंट लोन के नाम से जबरदस्ती धन वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा) —

अध्यक्ष महोदय, यू० पी० सरकार की ओर से नये ऋण लेने के पूर्व समस्त जिलाधीशों को कठोर आदेश दिये गये थे कि ऋण के लिये समस्त अभिदान इच्छुक अभिदाताओं से स्वेच्छा पूर्वक ही लिये जायं । माननीय सदस्य की शिकायत मिलने पर सरकार ने कानपुर तथा बाराबंकी के जिलाधीशों से इस विषय में पूछतांछ की और उन्होंने सूचित किया है कि न तो कोई ऐसी अनियमितता ही बरती गई और न ही इनके जिलों में ऐसी कोई स्थानीय शिकायत प्राप्त हुई है जैसा कि श्री रक्षपालसिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही है कि इन बांडों को जारी करने के साथ ही सरकार ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के मैनेजर और डायरेक्टर्स और बम्बई के उन के बड़े अधिकारियों द्वारा उन से सम्बन्ध स्थापित कर के दो प्रतिशत कम पर बांड लेने के लिये राजी किया था ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

बिलकुल गलत बात है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के मैनेजर ने अपनी तमाम शाखाओं को यह आदेश दिया था कि २ परसेंट कम पर यह बाण्ड खरीदे जायें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रक्षपालसिंह जिला फतेहपुर--

जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसमें ही यह रहा है कि जब डी० एस० ओ० के दफ्तर में कोई सीमेंट लेने जाता है तो उनसे कहा जाता है कि ३ रुपया-५ रुपया दिया जाये और कलेक्टर ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों से तय कर लिया है कि वह इतने पर नहीं तो कुछ कम पर ले सकते हैं। तो परमिटों में या दूसरी जगहों पर कुछ पैसा ३ परसेंट या ५ परसेंट पर जनता से रियलाइज किया जाता है और कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उतने कम दाम पर वह बाण्ड बेचे जा रहे हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमने जांच की । ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । एक सूचना मिली है कि संयुक्त समाजवादी दल ने इस लोन का विरोध किया है कि यह बाण्ड न लिये जायें, इसका कानपुर में और दूसरी जगहों पर विरोध किया गया है ।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

आपने अन्तिम रिपोर्ट तो जिलाधीशों से मंगा ली कि वह जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन जिन पर जबरदस्ती की जा रही है, क्या आपने उनसे भी कोई पूंछ-तांछ की है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि धनराशि राजकीय कर्मचारियों के द्वारा जबरदस्ती वसूल की जा रही है, विशेषकर कानपुर में इसलिये विशेष रूप से वहां के सवाल पूछिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में सही बात यह है कि सरकार के आदेश डी० एम० वगैरह को दिये गये हैं कि इतने बाण्डों को पब्लिक के हाथ बेचा जाये ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी बात तो सुन लें । आपके प्रश्न अभी तक ऐसे हो रहे हैं कि वास्तव में जिन्यूनली यानी वास्तव में बाण्ड नहीं खरीदे जा रहे हैं, बल्कि बैंक बाण्डों का कुछ प्रबन्ध कर रहा है। इस सूचना का तात्पर्य यह है, अभिप्राय यह है कि आप वहां के राज कर्मचारियों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह जबरदस्ती रुपया वसूल कर रहे हैं। आपके प्रश्नों में विरोध नहीं होना चाहिये ।

श्री मुकुट बिहारीलाल--

मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा था कि डी० एम० को यह आदेश देने के पश्चात् कि यह बाण्ड बेचे जायें उन लोगों ने बाण्डों को बेचने का प्रयास किया और जब पब्लिक ने उन्हें लेने में असमर्थता प्रकट की, तो उनसे इस बाण्ड का नुकसान ३ परसेंट से ५ परसेंट तक वसूल किया गया है और यह बांड बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ बेंचे गये हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सारे कलेक्टरों को यह क्लीयर इन्स्ट्रक्शन दे दिये गये थे कि किसी को बांड जबरदस्ती न दिये जायें। सब अपनी स्वेच्छा से उसे खरीदें और अगर स्वेच्छा से न खरीदें तो एक दिन में ओवर सब्स्क्राइब्ड गवर्नमेंट का लोन नहीं हो सकता था ।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

संयुक्त समाजवादी लोगों ने इसका विरोध किया, तो क्या उन्होंने सारे विकास ऋण का विरोध किया ह या जबरदस्ती विकास ऋण वसूल करने का विरोध किया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास सूचना नहीं है कि विकास लोन लेने का विरोध किया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो संयुक्त समाजवादी दल के लोगों न इसका विरोध किया ह, उसका उनके पास क्या आधार है । सार प्रदेश और सारे जिले ने इसका संगठित विरोध किया है । वह कौन-कौन स जिल हैं जहां जहां संगठित रूप से इसका विरोध किया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कानपुर के डी० एम० ने यह लिखा है कि--

"S. S. P. raised great hue and cry against the State Development Loan by holding a number of demonstrations and meetings at the various Government officers and rural areas."

और इसी का कारण है कि इन्होंने यहां यह प्रस्ताव रखा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जब सारे सूबे में कहते हैं तो गलत है । आप केवल कानपुर की बात कहें । मैंने स्पष्ट पूछा है कि कानपुर के अलावा बतायें । अगर नहीं है तो इस तरह का लांछन गलत हाउस में सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिये कि संयुक्त समाजवादी दल बिरोध कर रहा है । एक जिले की बात कहिये ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सवाल केवल कानपुर और बाराबंकी के बारे में था और मैंने कानपुर के बारे में यह कहा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी ने सारे सूबे का नाम लिया है । यदि सारे सूबे का नाम लिया है तो आप प्रोसीडिंग्स देख लें और उनसे कहें कि उसको वापस लें ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने वापस कर लिया है ।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश कानपुर ने एस० एस० पी० के बारे में इसलिये शिकायत भेजी है कि हम लोगों ने दरख्वास्त दी है कि वह क्लब में शराब पीते हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इसी से रुष्ट हो कर उन्होंने यह लिखा है ?

श्री अध्यक्ष--

संयुक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से उसका प्रतिवाद हो चुका है और जो मंत्री जी ने कहा उसका भी प्रतिवाद हो चुका है । आप अब विषयांतर न होवें । विषय केवल यह था कि कानपुर और बाराबंकी....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

विषयांतर तो उन्होंने किया है। हमारी तरफ से नहीं।

श्री अध्यक्ष—

विषयांतर हो गया जो मंत्री जी न करते तो अच्छा था। लेकिन उसको परसू करना उचित नहीं है। जो विषय है उस पर कहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या यह सही है कि इन बांडों को न लेकर पब्लिक से ३ से ५ परसेंट तक इसका नुकसान वसूल किया गया और उसकी कोई रसीद भी उनको नहीं दी गयी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, क्या आपकी आज्ञा से माननीया मुख्य मंत्री जी को सुझाव दे सकता हूं कि एस० एस० पी० ने विकास ऋण में विरोध करने से स्पष्ट रूप से अपने को इन्कार किया है। तो मुख्य मंत्री जी एस० एस० पी० को धन्यवाद देने में क्यों संकोच करती हैं?

श्री उग्रसेन—

हम गलत योजनाओं के प्रथम विरोधी हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर वे व्यक्ति जिनसे जबरदस्ती धन वसूल किया गया है लिखकर दरख्वास्त दें तो वे उनकी जांच करवायेंगे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि डिस्ट्रिक्ट अथौरीटीज ने हमें यह कहा है कि ऐसा नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना यह है कि जिनके साथ जबरदस्ती की गयी है, यदि वे लिखकर दें तो क्या आप जांच करवायेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर ये स्पैसिफिक केसेज देंगे तो हम विचार करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यद्यपि यह प्रश्न बाराबंकी और कानपुर से संबंधित है लेकिन क्या सारे प्रदेश में ३–५ प्रतिशत जनता से वसूल किया गया है और जिन्होंने दिया है उन्हें कोई रसीद आदि भी नहीं दी जाती है? तो इस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत अधिक अधिकारी इस धन को हड़प कर रहे हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सूचना गलत है। फिर भी अगर ये लिख कर देखें तो मैं जांच करवा लूंगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप माननीय सदस्यों के लिये तो 'येस' कहते हैं और मंत्रियों के लिए "यस प्लीज" का प्रयोग करत हैं। तो मेरा निवेदन ह कि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ही न करें। दूसरे....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, इस बात का ध्यान रक्खूगा।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया द्वारा अध्यापकों से नेहरू कोष का चन्दा जबर्दस्ती वसूल किये जान के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, सरकार को सूचना मिली है कि नेहरू स्मारक कोष के लिये चन्दा लेने के विषय पर जिला परिषद्, देवरिया ने दिनांक ३०-६-६४ को यह प्रस्ताव पारित किया था कि परिषद् के सब कर्मचारी अपना एक मास का वेतन उक्त कोष के लिये चन्द क रूप म १५ किस्तों में दें। प्रस्ताव में यह स्पष्ट था कि बिना मर्जी के किसी से भी चन्दा नहीं लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् अध्यक्ष जिला परिषद्, ने अध्यापकों की एक सभा दिनांक १०-७-६४ को बुलाई और अध्यापकों से यह अपील की कि वे परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार चन्दा दें। फलस्वरूप कुल ४,४७८ अध्यापकों में से ३,२०० ने यह लिख कर दे दिया कि वे प्रस्ताव के अनुसार चन्दा देंगे। साथ ही परिषद् के शिक्षक संघ न भी अध्यापकों स लिखित अपील की है कि वे उक्त चन्दा दें।

चन्दा जमा करने की बात के पहले ही प्रशासकीय कारणों से केवल ८ अध्यापक मुअत्तल किये गये थे। परिषद् द्वारा इस सत्र में ५०३ अध्यापक स्थानान्तरित किये गये हैं किन्तु ये स्थानान्तरण स्वयं अध्यापकों की प्रार्थनाओं पर किये गये हैं। उस संख्या म तीन या चार अध्यापक एसे हैं जो प्रशासकीय कारणों पर स्थानान्तरित किये गये बताये गये हैं।

उक्त तथ्यों से विदित होगा कि जिला परिषद्, देवरिया के अध्यापकों पर प्रसंगगत चन्दा देने के लिये किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाला जा रहा है और न ही किसी अध्यापक को इस सिलसिले में निलंबित या स्थानान्तरित किया गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो परिषद् ने प्रस्ताव पास किया और अध्यक्ष महोदय ने सब अध्यापकों की बैठक बुलाकर उनके समक्ष निवेदन किया कि वे नेहरू कोष में चन्दा दें, तो क्या यह सही है कि देवरिया के अध्यापकों में जिन्होंने विरोध किया, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और उन्होंने शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को दरख्वास्तें भी दी हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, ऐसी कोई शिकायत शिक्षा विभाग में नहीं आयी है। मैंने पता लगाने की कोशिश की, पर मुझे पता नहीं लग सका। हो सकता है कि चूंकि इस का संबंध विकास विभाग से भी है क्योंकि जिला परिषद् के कर्मचारियों के बारे में है, विकास विभाग में इसकी कोई शिकायत हो। समयाभाव के कारण उनसे कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका है।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो प्रस्ताव जिला परिषद् में पारित किया गया उसकी मंशा यह थी कि परिषद् के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे नेहरू कोष में एक मास का वेतन काट लिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, वैसे तो माननीय सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हैं इसलिये मैं मान सकता हूं कि उनको स्थानीय जानकारी अधिक हो सकती है किन्तु जो प्रस्ताव जिला अध्यक्ष की तरफ से मेरे पास भेजा गया है, उसमें स्पष्ट है कि जिला परिषद् के जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपना एक मास का वेतन १५ किस्तों में चन्दा के रूप में दें और सदस्यों से भी प्रार्थना की गई कि वे यथाशक्ति चन्दा दें।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष माननीय पांडेय जी हर एक अध्यापक को जो दूसरे ब्लाक में भेजे गये हैं। उनको बुलाते हैं और मुअत्तल करते हैं और यह लिखाते हैं कि स्वेच्छा पूर्वक वेतन दे रहे हैं। जब वह दस्तखत कर देते हैं तो बाहर जाने को कहते हैं और वह बिचारा रोता हुआ बाहर चला आता है। यही कारण है कि ३,२०० दस्तखत कराने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वेतन काटें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव यहां दिया था उसमें कोई इस बात का संकेत नहीं था। उनमें केवल दो बातों का संकेत था कि २०० अध्यापकों को निलंबित कर दिया है और बहुतों का स्थानान्तरण कर दिया है किन्तु जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं वक्तव्य दे चुका हूं। उनका कहना यह है कि स्थानान्तरण इस कारण नहीं किया गया कि उन्होंने चन्दा नहीं दिया। यदि माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है और वह लिखकर मेरे पास भेजेंगे तो मैं जानकारी अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एक पर्चा माननीय रामनारायण शुक्ल ने छापा है। मैं उसको उनके पास भेज रहा हूं। वह पूरी जानकारी कर लें और जो निर्णय हो वह सदन के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

आप पर्चा भेज सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां। (माननीय सदस्य ने पर्चा जाकर मेज पर दिया।)

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह रुपया वसूल किया जा रहा है तो मोतीलाल ट्रस्ट का रुपया इसमें क्यों नहीं दे दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरी चीज है।

श्री रामसुन्दर पांडय (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नेहरू कोष में रुपया देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ और कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रस्ताव ३० जून, ६४ को पारित हुआ है और अध्यापकों की बैठक १०-७-६४ को बुलाई और यह निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है कि उसके पश्चात् कितने अध्यापकों का ट्रांसफर हुआ है, जो संख्या मैंने बताई है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नेहरू कोष में अगर अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं हुये तो एजूकेशन कोड में नियम है कि १० परसेंट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होने चाहिये तो इतने अधिक ट्रांसफर क्यों किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, सही बात है, पता लगाऊंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, किसी वस्तु की व्यावहारिकता को देखना चाहिये । अभी हाल में सुरक्षा फंड जो वसूल किया गया था.....

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो बहस है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बहस नहीं है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय कैलाशप्रकाश जी अध्यापकों विशेषकर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की दिन प्रतिदिन गिरती आर्थिक दशा से स्वयं भलीभांति परिचित है तो क्या वे स्पष्ट आदेश देंगे जिला परिषद् के अध्यक्षों को कि नेहरू कोष के लिये धन उन अध्यापकों से न लिया जाय जो सिर्फ ६० रुपये तनख्वाह पाते हैं और उनकी रोटी भी उससे नहीं चल पाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, इस तरह का आदेश विकास विभाग से दिया जा चुका है कि किसी से जबरन इस कोष में चन्दा न लिया जाय लेकिन जो स्वतः देना चाहते हैं तो उससे कहा जाय कि तुम मत दो, यह बात भी मुनासिब नहीं होगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, हमारा सवाल दूसरा था । इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर एक बड़ी धांधली उत्तर प्रदेश में होने वाली है । नेहरू कोष में टाम, डिक, हैरी कोई भी चन्दा जाकर स्वेच्छा से दे सकता है फिर इसमें कलेक्टरों को चापलूसी करने की क्या जरूरत है । नेहरू का ऐसा व्यक्तित्व था कि लोग स्वयं चन्दा देंगे यदि कोई देना चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार सरकार की चापलूसी कलेक्टर लोग करें, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने स्वयं कहा है कि यह मुनासिब नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी स्वयं देवरिया चलकर कमीशन के रूप में बैठेंगे और जांच करेंगे कि मास्टरों से नेहरू कोष में चन्दा लेने के लिये जबरदस्ती की गयी ह ? अगर जांच में वे सिद्ध कर देंगे कि जबरदस्ती नहीं हुई है तो उग्रसेन विधान सभा की मेम्बरी से इस्तीफा भी दे देगा। लेकिन क्या वे देवरिया चलकर स्वयं जांच करेंगे कि नेहरू के नाम को किस तरह से कलंकित किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं हरगिज इस बात को पसन्द नहीं कर सकता कि पंडित नेहरू के नाम पर इन अल्प वेतन भोगी अध्यापकों से जबरदस्ती चन्दा लिया जाय लेकिन मेरे पास सूचना यह है कि इस प्रकार का प्रस्ताव जिला परिषद् में पास किया गया। जिला परिषदों को इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। माननीय सदस्य ने जिलाधीश और जिला परिषद् को एक साथ मिला दिया, यह बात अनुचित है। जिलाधीश शासन के अनुरूप काम करते हैं लेकिन जिला परिषद् इस सदन की भांति चुनी हुई संस्था है। वहां के सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया ह और वह कोई काम, नेक या नानेक करना चाहते हैं वालन्टरीली तो यह बात विचार करने की है कि उनको किस तरह से रोका जा सकता है। माननीय सदस्य के जान के लोग वहां भी जिला परिषद् में सदस्य हैं। किसी माननीय सदस्य ने मेरे पास कोई सूचना इस समय तक तो भेजी नहीं है कि इस तरह से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया जा रहा है।

श्री चन्द्रबलीसिह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हुये कि इस सदन के सदस्यों और जिला परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत में अन्तर है, उसके हाथ में सारे अध्यक्ष हैं, उनका तबादला, निलम्बन, निष्कासन सभी अधिकार है, इस बात का स्पष्ट आदेश देंगे कि सदस्य अगर चाहे तो घूम-घूम कर चन्दा मांग सकते हैं लेकिन अध्यक्ष को किसी सूरत में चन्दा लेने का अधिकार नहीं रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

चन्द्रबलीसिह, उनका कहना यह है कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया है और उसकी स्वीकृत के पश्चात् तो अब यह जिला परिषद् का काम है कि वे अपनी व्यवस्था करें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कोई ऐसा आदेश देंगे कि जिन लोगों से चन्दा जबरदस्ती वसूल किया गया है अगर वे वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिससे पता चल जाय कि कितना चन्दा जबरदस्ती वसूल हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विकास विभाग से जो आदेश गया है उसमें है कि अगर जबरन किसी से चन्दा लिया गया है वह वापस लेना चाहते हैं तो वह वापस ले सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एजेंडा प्रसारित किया गया था परिषद् से उसमें क्या यह कार्यक्रम था कि नेहरू कोष के लिये चन्दा वसूल करने के प्रश्न पर विचार होगा।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो परिषद् में उठाया जा सकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

जिस परिषद् के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में भी जो वसूली की गई, उसका हिसाब भी उस परिषद् ने ठीक तरह से नहीं रखा और उसी परिषद् के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यह जो कृत्य किया जा रहा है इसको देखते हुये क्या राज्य सरकार सभी परिषदों को कोई निश्चित आदेश देगी कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों से चन्दे के वसूल करने में जबरदस्ती न की जाय जैसा कि उनका स्वयं मंशा है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

शिक्षा मंत्री जी ने माननीय सदस्यों को यह बात बतलाई कि जिला परिषदें एक स्टैट्यूटरी बाडी हैं और उनको कुछ अख्तियारात हैं। अगर वहां के मेम्बरान ऐसा रेज्योलूशन पास करते हैं और उनके टीचर चाहते हैं कि हम अपना कोई कोष बनायें तो हम कौन से कानून से उनको रोक सकते हैं। यह उनके हाथ की बात है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

अभी एक पर्चा माननीय कमलासिंह यादव ने आपके पास भेजा है और उसको आपने रख लिया है और संभव है उस पर जांच हो तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंग कि रामनारायण शुक्ल, जिनके नाम से यह पर्चा वितरित किया गया है, उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाये हैं और वे उग्रसेन जी की पार्टी के हैं जो इस चन्दे के प्रश्न को लेकर उस अध्यक्ष को बदनाम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

अगर मेरे पास वह पर्चा आ जायगा तो मैं जरूर पता लगाऊंगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो प्रस्ताव पास किया गया वह प्रस्ताव चैयरमैन की तरफ से पेश किया गया था या वह किसी कर्मचारी की तरफ से आया था ?

श्री कैलाशप्रकाश--

२८ तारीख को यह प्रश्न उपस्थित किया गया था। आज मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। इतना ब्योरा मैं मंगा नहीं सका। इतनी बात यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य जो भी इस संबंध में प्रश्न देंगे या कोई जानकारी करना चाहेंगे उसको मंगाने की कोशिश की जायगी।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि श्री रमाकांतसिंह, सहायक अध्यापक, नदौली १४ अगस्त को बुलाये गये और चन्दे के लिये उनसे कहा गया ? उन्होंने कहा कि मेरे ३ बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं बाढ़ पीड़ित एरिया का रहने वाला हूं और चन्दा देने में असमर्थ हूं। इसके परिणाम स्वरूप उस पर अध्यक्ष ने चार्जशीट लगा दी और उनकी नौकरी समाप्त कर दी और क्या अध्यक्ष ने स्वयं नेहरू कोष के लिये प्रस्ताव किया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---

मुझे इसकी सूचना नहीं है । माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उनको मुझसे अधिक जानकारी हो सकती है । मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्यों कि उनकी जानकारी स्थानीय रूप से बहुत ज्यादा है । अगर किसी अध्यापक के बारे में वह यह समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वह मुझे लिखकर दे दें जिससे मैं निश्चय रूप से पता लगा सकूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

इस बात को देखते हुए कि यह प्रस्ताव २ खंडों में पास किया गया यानी एक में यह कि एक महीने की तनख्वाह ली जाय और दूसरा यह कि १५ किस्तों में काट ली जाय और इस प्रकार परिषद् का निश्चय हो चुका है तो इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो वसूली हुयी उसको रद्द करके उन कर्मचारियों को वह रुपया वापस किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---

प्रस्ताव दो नहीं है । प्रस्ताव एक ही है । एक ही प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें यह चीज पेश हुयी थी।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना यह है कि इस प्रस्ताव के रिप्लेसमेंट का आदेश देंगे ।

श्री कैलाशप्रकाश---

इसके संबंध में विकास मंत्री जी स्पष्ट कह चुके हैं ?

श्री उग्रसेन---

सब बातों पर विचार करते हुये क्या विकास मंत्री जी माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद् : देवरिया को मुअत्तल करके सारे मामले को अपने हाथ में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---

मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि अगर मेरे पास यह शिकायतें आ जायं तो मैं उन पर ला डिपार्टमेंट की ओपीनियन ले लूंगा कि आया हमको कोई अधिकार भी है कि हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना के संबंध में संकल्प

श्री अध्यक्ष---

अब मुझे यह सूचना देनी है कि विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २ सितम्बर, १९६४ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के लिये निम्नांकित समय निर्धारित किया जाय :---

१---उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण---३ सितम्बर, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक।

२---उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण---४, ७, ८ सितम्बर, १९६४ तथा ९ सितम्बर, १९६४ को अपराह्न ३ बजे तक।

कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव

मख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा किय गये समय निर्धारण से सहमत है।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६४ पर विचार एवं पारण,

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इसका विरोध नहीं होता। इसे वापस लेने के लिये प्रस्ताव किया जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मैं जानना चाहता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति कब बुलायी गयी और उसमें कौन-कौन सदस्य बुलाये गये। मुझे उसका कोई निमंत्रण नहीं मिला और उसमें इस तरह का प्रस्ताव कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कमलासिंह जो उसके सदस्य हैं और उनको मैंने मनोनीत किया है। वह मौजूद थे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपको अधिकार है कि किसी दल के मुख्य सचेतक के अतिरिक्त किसी मुख्य सदस्य को परामर्शदात्री समिति में मनोनीत कर दें?

श्री अध्यक्ष---

एस० एस० पी० नयी बनी है। माननीय केशरी प्रसाद जो अभी सचेतक हुए हैं। आपको यह सूचना भेजनी चाहिये थी। नियम है कि मैं माननीय सदस्यों को नाम से मनोनीत करता हूं। ध्यान इस बात का रखता हूं यथाशक्ति कि जो मुख्य सचेतक हों दलों के वे ही सदस्य हों। लेकिन अगर उनमें कोई परिवर्तन हो तो उस पार्टी का यह कर्त्तव्य है कि वह मुझे उसकी सूचना दें और जो पुराने सदस्य हों उनका इस्तीफा आ जाय। तो मैं मुख्य सचेतक को फिर मनोनीत कर दूंगा।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत कार्यक्रम जैसा कि माननीय मंत्री जी ने रखा है, स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी कार्य-स्थगन की तो माननीय बनारसीदास जी ने उसका कुछ भाग निकाल देने का प्रश्न उठाया था। आपने उसे निकाला तो नहीं?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देख लूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर कोई सदस्य झूठ बोल रहा है तो उस पर प्रिविलेज लावें, यह नहीं कि प्रोसीडिंग से उसके कहे हुए वाक्यों को कटवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये मुझे कुछ अधिकार है। अगर मैं समझूंगा कि असंसदीय है तो कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

यातायात एवं आबकारी स्थायी समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार संलग्न सूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित स्थायी समितियों में स्तम्भ ३ में उल्लिखित सदस्यों के स्तम्भ ४ व ५ में निर्दिष्ट क्रमशः कारणों एवं दिनांकों में रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे ।

सूची

क्रम-संख्या	स्थायी समिति का नाम	पूर्व सदस्य का नाम	रिक्त होने का कारण	रिक्तता की तिथि
१	२	३	४	५
१	यातायात स्थायी समिति ..	कुंवर श्रीपाल सिंह	त्याग-पत्र	२७-७-६४
२	आबकारी स्थायी समिति ..	श्री गंगा प्रसाद वर्मा	त्याग-पत्र	३१-७-६४

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार संलग्न सूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित स्थायी समितियों में स्तम्भ ३ में उल्लिखित सदस्यों के स्तम्भ ४ व ५ में निर्दिष्ट क्रमशः कारणों एवं दिनांकों में रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो ।

सूची

क्रम-संख्या	स्थायी समिति का नाम	पूर्व सदस्य का नाम	रिक्त होन का कारण	रिक्तता को तिथि
१	२	३	४	५
१	यातायात स्थायी समिति ..	कुंवर श्रीपाल सिंह	त्याग-पत्र	२७-७-६४
२	आबकारी स्थायी समिति ..	श्री गंगा प्रसाद वर्मा	त्याग-पत्र	३१-७-६४

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

यातायात एवं आबकारी स्थायी समितियों के लिये एक-एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

अब इस सम्बन्ध में यह सूचना देना चाहता हूं कि यातायात स्थायी समिति तथा आबकारी स्थायी समिति (१९६४-६५) में क्रमशः कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा के उक्त समितियों की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु एक-एक सदस्य के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम मैंने स्वीकार किया है --

नाम--निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय--४ सितम्बर, १९६४ को सायंकाल ४ बजे तक।

नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा--४ सितम्बर, १९६४ को ५ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय--९ सितम्बर, १९६४ को सायं-काल ५ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो --दिनांक ११ सितम्बर, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

पिछला निर्वाचन जिस जमाने में हुआ था उस समय विरोधी दल के अधिकतर लोग बाहर थे या निलंबित थे। वैसे तो छोटी-छोटी बातों पर ही निर्वाचन महीनों टलता रहता है तो ऐसी गम्भीर स्थिति में आइंदा निर्वाचन न किये जायं तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--

हम तो आपके आभारी होंगे कि जिस समय निर्वाचन होता हो उस समय हमसे कहें कि इसको स्थगित कीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

हम कहने कहां पावेंगे ?

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९६०-६१ के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा *(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

पिछली बार जब हम उठे तो १ घंटे की चर्चा बाकी थी इस रिपोर्ट पर।

†कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग के बारे में बहुत बातें उस दिन से कही गयी हैं।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुए।)

एक चीज मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोक सेवा आयोग को सरकार अपने पक्ष के लोगों के लिए या जिनसे सरकार ने कुछ काम लिया है इस प्रकार का, जैसे हमारे

---

*२७ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निगम साहब से काम लिया गया है, ऐसे लोगों को एक डाली पकड़ कर लटक जाने के लिए एक रास्ता बना देती है। आप यदि देखें, श्रीमान् जी, तो राधाकृष्ण अग्रवाल जी जो इस लोक सेवा आयोग के सभापति हैं, वे पी० सी० सी० के मंत्री थे---आज वे पब्लिक सर्विस कमीशन के सभापति हैं। नफीसुल हसन साहब भी काग्रेस के सदस्य हैं। बहुत से रिटायर्ड सरकारी अधिकारी उसमें रखे जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वे यह समझे रहते हैं कि अगर वे सरकार के इशारों पर चलेंगे तो आगे रिटायर होने पर उनको इस लोक सेवा आयोग में जगह मिल जायेगी और यदि नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगी। इस नयी शाख पर लटकने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वे हर काम सरकार के कहने के मुताबिक करते रहते हैं। इसलिये रिटायर्ड कर्मचारी इसमें रखे जाते हैं। इस प्रश्न पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास दो तीन ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें वे हर रोग में इस्तेमाल करती है। किसी भी विषय के लिये चुनाव करना हो, चाहे वह टेक्निकल ही क्यों न हो, मगर उनका चुनाव वही लोग करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि उसके लिये ऐसा प्रयास होना चाहिये कि जब भी कोई टैक्नीकल लोगों का चुनाव करना हो तो, हमेशा के लिये न सही, उसी चुनाव के लिये उसमें उसी विषय को जानने वाले कुछ व्यक्तियों को जरूर रखा जाय ताकि सही लोगों का चुनाव हो सके। केवल मात्र उसी चुनाव के लिये ही उनको बुलाया जाय। वे लोग यह देख सकेंगे कि जिन लोगों का चुनाव किया गया है वे वास्तव में उपयुक्त व्यक्ति हैं भी या नहीं।

तीसरी बात मैं लोक सेवा आयोग की भाषा के बारे में कहना चाहता हूं। वहां की भाषा अंग्रेजी है। नतीजा यह होता है कि जिनके बच्चे कान्वेन्ट कालिज के पढ़े हुये होते हैं वे तो उसमें सफल होते हैं और जो किसान मजदूर के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़े होते, भले ही वे काफी योग्य होते हैं, किन्तु वे उसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते। हिन्दी के साथ, श्रीमन्, कितनी ज्यादती हुई है वह आपको मालूम ही है। उस विषय पर तो मैं, जब वह सामने आयेगा, बोलूंगा, परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि किसी भी जगह से जब किसी को हटाया जाता है तो इसमें सबसे प्रमुख कारण उसका यह होता है कि वह अंग्रेजी अच्छी नहीं जानता। यूनिवर्सिटी में भी हर साल दो ढाई हजार लड़के अंग्रेजी के ही कारण फेल किये जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी न पढ़ाई जाय, वह पढ़ाई जाय मगर उनको जो पढ़ना चाहते हैं। उसमे कोई एतराज नहीं है। जनरल इंगलिश सबको पढ़ना पड़ेगा। कम्पलसरी सबजेक्ट जनरल इंगलिश। क्यों साहब? इसकी क्या जरूरत? जब हमें १७ साल हो गये अपने यहां अपने प्रदेश की भाषा देवनागरी लिपि में हमने हिन्दी स्वीकार कर लिया; सन् १९४७ में कौंसिल के प्रस्ताव द्वारा, सन् १९५० में अधिनियम को धारा ३४५ के के अनुसार, १९५१ में अधिनियम की पुष्टि के द्वारा तो फिर यह जो हन्दी के साथ दुर्व्यवहार और विमाता का जो व्यवहार है, वह गलत है। तो मेरे निवेदन का तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग की भाषा जल्द से जल्द, हिन्दी कर देनी चाहिये। उसमें लाभ जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह होगा कि प्रदेश की ९९ क्या शत प्रतिशत जनता भाग ले सकेगी। किन्तु जब तक वह हिन्दी भाषा में नहीं होता है, तब तक श्रीमान् जी, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं जिनके साथ सरकार की इस प्रकार की नाजायज कृपा है, जैसी कि निगम के साथ की गयी और जिसका फैसला एक जज ने किया। किसी सरकार के लिये यह बड़े लज्जा का विषय है कि उसके खिलाफ यह कहा जाय कि साहब वह अधिकारी चुनाव वाला जो था, उसको तरक्की इसलिये दी गई कि उसने एक गलत काम करने में साथ दिया। यह सरकार के लिये एक बहुत बड़ी लांछन की चीज है और मैं तो आप से निवेदन करूंगा कि जैसा कि माननीय सुचेता जी ने कहा है कि वह इसकी जांच कर के सदन के सामने रखेंगी। अगर उन्होंने जांच नहीं किया तो उन्होंने छुट्टी लेने के लिये मजबूर क्यों किया। इसका मतलब है कि सरकार को जानकारी है और जब सरकार को जानकारी है कि कुछ गलत काम कर सकते हैं तो आप के द्वारा मैं निवेदन करूंगा

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कि सरकार को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिये और इस्तीफा देकर सरकार को पुनः अपने ही दल में विश्वास लेना चाहिये, कि उन्हें दल का विश्वास ह कि नहीं। क्योंकि यह काम बहुत ही जबर्दस्त हुआ है, यह अभूतपूर्व है, इस का कहाँ क्या परिणाम होगा, मालूम नहीं।

तो लोक सेवा आयोग के बारे में दूसरी बातें उसी दिन से कही गईं। मैं इन्हीं बातों पर सीमित रह कर, इतना अवश्य कहूंगा कि वहां अंग्रेजी के बदले हिन्दी रखें।

दूसरी चीज जब किसी भी टेकनिकल विषय के लोगों का चुनाव करना हो तो अब तक जो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० को ही हर रोग का इलाज समझा जाता रहा ह, सीमेन्ट फैक्टरी के मैनेजर की जरूरत हो तो आई० ए० एस०, आई० सी० एस०, पी० डब्लू० डी० के ठेकेदार से बात करना हो तो आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, कोई भी काम हो, हर जगह आई० सी० एस०, आई० ए० एस० फिट हो जायेगा, तो वह नहीं होना चाहिये। टेकनिकल मामलों में जिस विषय में चुनाव करना हो, उसके जानकार तथा अधिकारी व्यक्ति भी बुलाये जा सकें, यह मेरी दूसरी मांग है।

इस प्रकार से जो मैंने मन्त्री जी के सामने २ मांगें रखी हैं, मुझे आशा है कि इन पर विचार किया जायेगा। श्रीमन्, मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर जो चर्चा हो रही है, उसमें और बातें तो नजरन्दाज कर भी दी जायं लेकिन इस बात को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, जहां लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद सक्रिय राजनीति और दलगत राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्ति को सौंपा गया है। इससे मान्यवर, इस प्रदेश में इस लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा घटी है। मान्यवर, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश का एक-एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पक्षपात और सिफारिश का बोल बाला है। मैंने, मान्यवर, देखा, पिछले साल डिप्टी इंसपेक्टर्स आफ स्कूल्स का चुनाव हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि बेसिक एल० टी० पास और एम० ए० पास आठ आठ साल के अनुभवी व्यक्ति छांट दिये गये और वहीं उनसे न्यून योग्यता और न्यूनतम अनुभव वाले व्यक्ति चुन लिये गये। मैंने कई उम्मीदवारों को देखा है जो चुने गये और जो छांटे गये, उनके कार्य-कलापों को भी देखा है और उनके व्यक्तित्व को भी देखा है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर चुनाव लोक सेवा आयोग का किस प्रकार से हो रहा है। मैं कष्ट के साथ अनुभव कर रहा हूं कि लोक सेवा आयोग ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को महसूस करेगी और शीघ्र से शीघ्र लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अग्रवाल साहब, उनको तत्काल हटाने की व्यवस्था करेगी।

एक बात का और भी खतरा है, मान्यवर। सरकार कुछ अफसरों को नाजायज प्रलोभन में फंसाती है और उनसे अपने दल गत और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कराने का उपक्रम करती है। माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने ठीक ही जिक्र किया गोंडा के चुनाव से संबंधित अधिकारियों का। यदि इस प्रकार का कार्य इस प्रकार के अनुचित कार्य करने की छूट आप अधिकारियों को देंगे और उन्हीं को आप प्रोत्साहन देंगे, तरक्की देंगे, तो इससे आपकी शाख बढ़ने वाली नहीं है। भले ही तात्कालिक लाभ आपको हो जाय लेकिन आने वाले वर्षों में आपको बहुत बड़ा नुक्सान इससे हो सकता है। इस गोंडा वाले काँड का जिक्र अगर गांव-गांव में किया जाय....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मैनेजरसिंह जी, गोंडा वाली बात का सम्बन्ध सीधा इससे है नहीं। आपने संकेत कर दिया। उतना काफी है।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं आप की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बात की चर्चा गांव-गांव में हो, गोंडा वाली बात गांव-गांव में कही जाय तो इसका बहुत बुरा असर सरकार के खिलाफ पड़ेगा। इसलिये स्थिति की गम्भीरता को सरकार को महसूस करना चाहिए। आज यह देखा जाता है कि बहुत से अधिकारी जो सरकार की खुशामद करते हैं या खुशामद के काम करते हैं उन को अवकाश के बाद जिम्मेदारी के बड़े-बड़े पद दे दिये जाते हैं। यह खतरे की बात है। यदि जनतंत्र में लोक सेवा आयोग पर विश्वास नहीं होगा तो जनतंत्र पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसलिये लोक सेवा आयोग के जो सदस्य रखे जायं दलगत भावना से परे होकर उनका चुनाव हो और सभी प्रकार के सम्बन्धों को अलग रख कर यह चुनाव किया जाय। माननीय नवलकिशोर जी बैठे हैं। कभी-कभी बहुत विरोध करते हैं सरकार का और अपने आंकड़ों से सरकार का मुंह बन्द कर देते हैं। अब अगर इनका मुंह बन्द करने के लिए सरकार इनको वहां से हटा कर यहां बैठा दे, तो भले ही आप उनसे पिंड इस प्रकार छुड़ा लें या और कुछ लाभ हासिल कर लें, लेकिन उनको ऐसे आसन पर बैठाकर आप जनता का विश्वास नहीं प्राप्त करेंगे। अब अगर मान लीजिए यह वहां के अध्यक्ष हो जायं और मैं ही इनके पास पहुंच जाऊं कि माननीय नवलकिशोर जी, अमुक आदमी मेरा है, उसका चुनाव हो जाना चाहिए, तो माननीय नवलकिशोर जी इतना नहीं कहेंगे कि बंगले से निकल जाओ . . .

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आपकी बात मैं मानूंगा नहीं।

श्री मैनेजर सिंह—

यह मैं जानता हूं कि आप पार्टी बाज आदमी हैं किसी विरोधी की बात आप नहीं मानेंगे परन्तु पार्टी का कोई होगा तो मान लेंगे। इसलिये मैं अधिक तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को महसूस करे कि चाहे उसकी निगाह में अग्रवाल जी को बिठा कर पक्षपात हुआ हो, या न हुआ हो, लेकिन फिर भी जन साधारण की निगाह में यह बात है कि सरकार ने अग्रवाल जी को पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना कर पक्षपात को बढ़ावा दिया है। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिये। इससे सबक लेकर भविष्य में सरकार को ऐसे सदस्यों को नियुक्त करना चाहिये जो निष्पक्ष हों और ईमानदार हों।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। चूंकि हम समझते हैं कि मुल्क की परिस्थितियां, मांगें और जरूरतें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और ऐसे समय में यह पब्लिक सर्विस कमीशन मुल्क की व्यवस्था के लिये सरकारी अधिकारियों को चुनता है और उसके द्वारा जिन लोगों को उपयोगी समझा जाता ह उनको नौकरी पर रखा जाता है। हमारे प्रदेश के ८६ प्रतिशत लोग रूरल एरिया में रहते हैं और उनकी सारी समस्यायें रूरल एरिया से जुड़ी हुई हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं या छोटे-मोटे उद्योग-धंधे करते हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों के अफेयर्स को कन्ट्रोल करने के लिय खास प्रकार के आफीसरों की आवश्यकता है, किन्तु जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन स चुने जाते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी जिन्दगी, शिक्षा दीक्षा शहरों में ही हुई

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

है उनको यह पता नहीं कि मुल्क हिन्दुस्तान के अन्दर, देहात के अन्दर कौन-कौन से कारोबार होते हैं, उसे देहात की जमीन, नदी, पहाड़ और हल आदि चीजों की कोई जानकारी नहीं होती। जो रूरल एरिया का आदमी या मजदूर है उसको वह निम्न श्रेणी का समझता है और अपने को सभ्य समझता है जिसने हल को कभी नहीं छुआ है। जिस मुल्क में जाति-पांति और ऊंच नीच इसी आधार पर मानी जाती है कि जो खेती बाड़ी करता है, जो लेबर करता है वह निम्न श्रेणी का है, निकृष्ट है। ऐसी स्थिति में पले हुए लोगों को अफसर बनाया जाता है, वे उन लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं और लेबर की डिगनिटी को महसूस नहीं करते हैं। वह अफसर जो इन लोगों को निम्न श्रेणी का और कमीना समझता है, उन्हीं लोगों की व्यवस्था करने के लिये पी० एस० सी० से चुना जाता है। यह तो अंग्रेजों की लोगेसी है और वे अपने राज्य की जड़ों को इनके द्वारा मजबूत किया करते थे। ब्रिटिश पार्लियामट में एक निष्पक्ष एम० पी० ने इस बात की घोषणा की थी कि "गवर्नमेन्ट आफ इंडिया हज गाट दि परफेक्ट जीनियस फार दि सेलेक्शन आफ दी अन फिटिइस्ट–सरवाइल ऐंड दि वैनल" "The govt. of India has got the perfect genius for the selection of the unfittest the servile and the venal" इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अंग्रेज सरकार की जड़ों को मजबूत करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी और इस प्रकार का कडर बनाया था और इस प्रकार क लोग मुल्क हिन्दोस्तान को लूटने के लिये अपन को भागीदार बनात थ। इस प्रकार के लोगों को हो मुल्क हिन्दुस्तान क अन्दर नौकरी में जगह दी जाती थी और म समझता हूं कि वह प्रणालो और नियम व कानून जो कि अंग्रेजो हुकूमत के जमान में इस मुल्क में लागू था, आज भी वही व्यवस्था हमारे चुनावों के ऊपर लदी हुई है।

मैं समझता हूं कि आज अब वह समय आ गया है जबकि मुल्क हिन्दुस्तान के लोगों को यह चेतावनी ले लेनी चाहिये कि सरकार के आफिसर्स जो हमारे देश के अन्दर बनाये जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान होते हैं तो जीती जागती पोथी पढ़ कर सर्विस में जाते हैं बल्कि वे नावेल, शेक्सपियर, मेथमेटिक्स, साइंस आदि को पढ़ कर ही आते हैं जिन्हें इतना तक मालूम नहीं है कि उनक मुल्क में खेती-बारी में कौन जानवर इस्तेमाल में आते हैं, जिन्हें पता तक नहीं कि खरीफ की फसल कब और कैसे बोयी जाती है तथा कब काटी जाती है। जिन्हें पता तक नहीं ह कि मुल्क हिन्दुस्तान में कौन-कौन फसलें मुख्तलिफ आबहवा में पैदा होती है तथा हल जोतने के लिये या खेती करने के लिये कौन-कौन से औजार किसान इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूं कि जो लोग इम्तहान में ऊंचे अंक प्राप्त किये हों केवल ऐसे लोगों को ही सरकारी नौकरियों में आने का हक नहीं है। ऐसे आफिसर्स जो मुल्क की समस्या को समझें, जो मुल्क के रहने वालों को दिक्कतों व कठिनाइयों का हल निकालने में अपने को समर्थ पा सकें, ऐसे लोगों को हो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूट करना चाहिये। जिनको कमर बल खाती हो, जो चौबीस घंटे अपने को सजाने में हो लगे रहते हों, जो देहातों में जाकर किसानों की झोपड़ियों के पास जाना अपनी बेइज्जती समझते हों और यह समझते हों कि वहां जाने से उनकी कोट पतलून खराब हो जायगी, इस प्रकार के लोगों को सरकारी नौकरियों में रखने से मुल्क का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार क लोगों के द्वारा देश का दुख दर्द दूर हो सकेगा? मेरा तो इसमें कतई विश्वास नहीं है कि वे देश के दुख दर्द को समझ सकेंगे और उसे दूर कर सकेंगे। इसलिये मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस प्रणाली को बदलना बहुत जरूरी है।

अक्सर हमारी सरकार की ओर से पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर ऐसे ही लोग बनाये जाते हैं जो सारी जिन्दगी सरकारी दफ्तरों में काटे होते हैं और जिनका ब्रेन काम करते-करते आउट आफ आर्डर हो गया होता है उससे उनके दिमाग का संतुलन नहीं रह पाता। ऐसा आदमी जिसके दिमाग का संतुलन खो चुका हो, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की कुर्सी पर बैठ कर मुल्क की सेवा के लिये अच्छे नौजवानों को चुन सकेगा, इसमें मैं कतई विश्वास नहीं रखता

हूं। मैं समझता हूं कि यह तो एक फिजियोलाजी व जायोलाजी का कानून है कि अगर कोई व्यक्ति इन दो साइंस से वंचित है या शरीर दुखी हो तो दिमाग कभी सुखी नहीं रह सकता। दुखी शरीर के अन्दर असंतुलित दिमाग होता है और जब दिमाग ही असन्तुलित हो तो कोई व्यक्ति सन्तुलित बात नहीं सोच सकता और न कर सकता है। इसलिये मैं अदब के साथ दरख्वास्त करता हूं कि सरकार को चाहिये कि हमारे मुल्क के अन्दर सही लोगों को स्थान मिले। सरकार की नौकरियों में सेवा करने के लिये आवश्यक है कि आफिसरों की तन्दुरुस्ती पर ध्यान दिया जाय। हम समझते हैं कि हमारे माननीय मंत्री राममूर्ति जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उनके पास विकास विभाग है जिसका सम्बन्ध देहात की जिन्दगी से बहुत है। हमारे जितने भी ब्लाक्स खुले हुए हैं उनमें जो बी० डी० ओ० है वे देहातों के अन्दर ही काम करते है और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां की सड़कें कब खुदी हैं, कैसी खुदी हैं, वहां के कुएं कैसे हैं, कितने कुएं खोदे गये, कितनी नहरें बनीं, कितने गांवों में विकास के कार्य हुये, मकानों का क्या प्रबन्ध कहां हुआ, भेड़ बकरी और जानवर पालने का काम है इस तरह से जो भी काम है उनका सुपरविजन वही कर सकता है जिसको वहां की देहात की जिन्दगी का परिचय है और वहां की समस्याओं को जानता है। इसलिये सबसे पहले उसकी सेहत अच्छी होना चाहिये, दूसरे उसे देहाती क्षेत्रों के विषय में जानकारी हो और परिचय हो, ४४ करोड़ जनता जो हमारे देहातों में निवास करती है उसकी जिन्दगी से जानकारी उन्हें होना आवश्यक है और उनसे उनका प्रेम और मोहब्बत होना चाहिये। आज उनमें उस हालत को सुधारने का दर्द होना चाहिये, एक फिक्र होनी चाहिये। न कि उनमें आज नफरत है और वह लोग उनसे बात करना उनके पास रहना पसन्द नहीं करते। इस तरह की जो जानकारी आज हमारे नौजवानों को मुल्क की जिन्दगी की नहीं है उससे मुल्क का अनहित होता है और गुलामी की जहनियत का नतीजा यह होता है कि ऐसे लोग मुल्क की सेवा के काम, मुल्क को उठाने के काम को ठीक तरह से नहीं कर सकते और वही नाकाबिल अफसर भेज दिये जाते हैं क्योंकि वह लोग ही बाजार में और शहरों में मिलते हैं। इन लोगों का शहर की जिन्दगी से गहरा सम्बन्ध होता है और शहर की जिन्दगी की खराबियों से भी संबध होता है, जिनके ऊपर ४२० की जिन्दगी छाई रहती है और उससे वह लोग कभी भी बरी नहीं हो सकते। इसीलिये आप देखते हैं कि बड़ी बदनामी है तमाम ब्लाक अफसरों की और दूसरे लोगों की, वह सब पैसा पैदा करने और ठाठ बनाने में लगे रहते हैं। उनकी अलग-अलग लाखों की कोठियां खड़ी हो रही हैं और लोग बताते हैं कि हमारी आपकी कोई कोठियों की गुंजायश नहीं है, वहां तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बात होने लगती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब कृपया आप रिपोर्ट पर आ जायं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं रिपोर्ट के बेसिस पर ही कह रहा हूं। अगर रिपोर्ट उन कारनामों की है जो कि हमारे मुल्क में नहीं होने चाहिये तो मैं समझता हूं कि वह रिपोर्ट कोई माने नहीं रखती। इसलिये मैं इस प्राबलम की जड़ पर ही ज्यादा जोर दे रहा हूं, जिस दरख्त की जड़ ही खत्म हो जाय तो उसका पल्लव और पेड़ सब मुरझा जाता है। इसलिये बड़े अदब के साथ मैं श्री राममूर्ति जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के लोग जो देहात की जिन्दगी स कोई जानकारी नहीं रखते और जो उसी विचारधारा के हैं कि जब पी० डब्लू० डी० वाले ले रहे हैं तो हमारे लिये कैसे मुमानियत हो सकती है, उनका क्या हो जाता है जो हमारा ही हो जायगा। इस तरह की जहनियत जब उनके अन्दर घुस आई है और जो स्कूल और कालेजों से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर के निकलते हैं वह उनकी समस्याओं पर विचार नहीं कर पाते और न उनको समझते हैं। जिस तरह के प्रकाश को आज जनता में और देहातों में फैलाने की जरूरत है और जो कि एक देहात की और देश की सच्ची सेवा करने की जरूरत है उस नुक्तेनजर से हमें अपने नौजवानों को सर्विसेज

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

में लाना है और उसी तरह के लोगों को कमीशन में भेजना है ताकि उनका चयन ठीक हो सके। यदि उसी में कोई नियम बाधक है तो हमें उनको भी फौरन बदलना चाहिये। हमें मुल्क की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसे लोगों को अपने विकास के कामों में लगाना चाहिये जो कि हमारे वातावरण के अनुसार जनजीवन को ऊपर उठाने में वह उपयोगी हों और जनसेवा वह कर सकें।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करूंगा चाहे इसमें कोई तथ्य कम समझे लेकिन आज की दुनिया में उस ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। जिस तरह से आज हमें समाज और व्यवहारिक नीति चलती हुई दिखाई देती है और जिस तरह से कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने जिनको कि मुल्क की परिस्थितियों का कुछ अनुभव था और जिन्होंने समझा कि पिछले वर्ग के लोगों के लिये कुछ सहूलियत दी जाय और उनको ४० कदम आगे रख दिया और जो दूसरे लोग थे कि जिनमें चलने की क्षमता थी उनको ४० कदम पीछे रख दिया। इसलिये उनके लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स और नौकरियों में रिजर्वेशन का प्राविजन किया गया। इसके माने यह है कि उनको एक कनसेशन दिया गया। आप उसको पूरा नहीं कर सके। यह किसका कसूर है? जिन्होंने सारी बुद्धि और बुद्धि का ठेका ले रखा है, जो सारी बुद्धि और विद्या के कस्टोडियन बने हुये हैं, जो सोचते हैं कि जिनके पास बुद्धि-विवेक और विद्या की कमी है अगर वे विद्या प्राप्त करें तो उनका नाश हो जाता है, जो सोचते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति उनकी कौम का बुद्धि पा जायेगा तो बड़ा विनाश हो जायेगा। इसलिये बुद्धि और विद्या के जो कस्टोडियन बने हुये हैं वह सारे मुल्क की जिन्दगी को संचालित करने का ठेका लिये हुये हैं। मैं समझता हूं कि उनकी संताने इस काबिल नहीं है कि उनका रिजर्वेशन होना चाहिये और उनके लिये सीटें सुरक्षित रहनी चाहिये। ऐसा वातावरण इस मुल्क के ऊपर छाया हुआ है। अध्यक्षता महोदय, आप तो बड़े आदमी हैं, वकील हैं। जब जड़ ही गलत है तो पौधा गलत होगा और उसका फल भी गलत होगा और अगर आप जड़ और पौधे के सम्बन्ध को जोड़ सकें तथा उसे देख सकें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर जो कि एक खास वर्ग से आते हैं जो कि अपर सोसाइटी से आते हैं, जिन्हें नीचे ब्लाक की जिन्दगी से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, जो कभी नीचे के एटम स्फियर में नहीं रहे हैं, जिनको देश के अधिकांश लोगों की जिन्दगी से कोई प्रेम नहीं, जिन्हें देश से कोई प्यार नहीं और जिन्हें प्रेम है अंग्रेजों से, उनकी सभ्यता संस्कृति और रहन-सहन और वातावरण से। जिन्हें अंग्रेजी भाषा से इतना प्रेम है कि कहते हैं कि आज भी देश की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि उनके दिमाग और इनरजी का परिचय इसी से मिल जाता है कि वह ७ समुन्दर पार की विदेशी भाषा को अपनी भाषा बनाना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने हृदय से जो मुल्क की भाषा है, उसे हमें अपनी भाषा बनाना चाहिये। जो वह पुरानी बात और पुराना करैक्टर था और जो पुराना स्तर था कि कोई ऊंचा हो और कोई नीचा हो, उसको आप दूर करें। कम से कम २/३ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐसे मेम्बर होने चाहिये जो देहाती क्षेत्र के रहने वाले हों, वहां के वातावरण में पले हों और वहां की मिट्टी और वहां के जीवन से उन्हें प्रेम हो। ऐसे लोग खास करके डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लास के लोगों की जिन्दगी से वाकिफ हों और उन्हीं लोगों में से होने भी चाहिये। मैं इन बातों का हामी नहीं हूं, लेकिन कान्सटिट्यूशन में इस बात को स्थान दिया गया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात को कार्य रूप में परिणित करके दिखा दिया है, जिसका स्वरूप यह है कि मेरे एक साथी और मेरे क्लास फेलो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के श्री राम प्रसाद टमटा को रेलवे कमीशन का चेयर मैन हमारी सेन्ट्रल सरकार ने नियुक्त किया है। वह महसूस करते हैं कि जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं और गिरे हुये हैं उनके लिये स्थान सुरक्षित कर उनको उठने का मौका दिया जाना चाहिये और इसको कर दिखाया है। मैं नहीं समझता हूं कि इनके पास बुद्धि की कमी है या भोजन की कमी है या विद्या की कमी है या अन्य कोई

कमी है। इस वर्ग का अगर कोई लड़का थर्ड डिवीजन में पास होता है और आपके अपर क्लास का यदि कोई लड़का फर्स्ट क्लास में पास हो जाता है तो आप इसका यह तात्पर्य न समझें कि अपर क्लास के लड़के के पास बुद्धि और दिमाग की अधिकता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उस नीचे क्लास का लड़का आपके लड़के से कहीं अधिक अच्छा है। क्योंकि जो सहूलियतें और फैसेलिटी आप लोगों के लड़कों को मिलती है, वही सुविधायें और वैसा ही वातावरण यदि उनके लिये भी हो तो वह आपके लड़कों से कहीं अच्छे और आगे निकल सकते हैं।

इसलिये मैंने इस बारे में ३ बातों का सरकार से अर्ज किया। इन बातों को पुनः संक्षेप में जिक्र कर देना चाहता हूं क्योंकि हमारे बहुत से भाई नहीं समझे हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा केवल तथ्य ही कहना चाहता हूं। मैं इन बातों का रिपीटेशन इस लिये करना चाहता हूं ताकि वह सही तौर पर दिमाग में आ जायें।

(१) पहली बात तो यह है कि उन्हीं लोगों को नौकरी में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्थान मिलना चाहिये जिनके पास स्वस्थ और मजबूत शरीर है और देहात के कठोर वातावरण में रहने के पूर्ण लायक हैं और वहां के जीवन से परिचित हैं तथा वहां काम कर सकने में पूरी तरह से समर्थ हैं।

(२) दूसरी बात यह है कि जिन लोगों में देश के प्रति प्रेम हो और देश के अधिकांश निवासियों के प्रति उनके हृदय में प्रेम हो तथा उनके जीवन से वह साम्य रखना चाहें। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेम्बर बनते हैं वह उन लोगों में से नहीं होने चाहिये जो जिन्दगी भर कन्ज्यूम हो गये, जिनका दिमाग क्यूज हो गया और ऐसेन्ट्रिक हैं, जो सनकी हैं और बिना बात कैन्डीडेट पर बिगड़ जाते हैं। जब कैन्डीडेट के सारे कागजात आपके सामने मौजूद हैं फिर उस पर बिगड़ना क्या शो करता है? इस प्रकार की नुक्ताचीनी से कैन्डीडेट को परेशान करना गलत है। इस प्रकार के जो मेम्बर हैं वह खुद अपने आप को और मुल्क को धोखा देते हैं।

चौथी बात यह है कि दो बटे तीन देहात के एरिया से मेम्बर होने चाहिये जिनमें बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लास का भी मेम्बर शामिल हो और शहर से केवल एक बटे तीन रिप्रेजेन्टेशन होनें चाहिये। अगर हम उन कौमों को प्रतिनिधित्व किसी न किसी प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन में दे सकें तो आज जो सरकार पर बौछार होती है उससे सरकार बच जायेगी। अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास का आदमी मेम्बर होने लायक नहीं मिलता है तो बैकवर्ड क्लास से ले लीजिये। अगर आपने उनको भी प्रतिनिधित्व दे दिया तो सरकार पर कोई फिर चार्ज नहीं लगा सकता। साथ ही देश में विश्वास भी पैदा होगा कि हम लोग पक्षपाती नहीं हैं और सारे मुल्क के लिये एक नयी और सुन्दर व्यवस्था कर देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर सवा दो बजे तक विवाद होना है। कदाचित् सदन यह चाहेगा कि मंत्री जी भी अन्त में कुछ कहें। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि १०, १२ मिनट इस पर और विचार हो जाय। माननीय ब्रह्मदत्त मायर जी, आप ६, ७ मिनट बोल लें।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आप परिचित होंगे कि स्वर्गीय श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव जो हमारे प्रान्त के प्रभावी सैनिक रहे हैं आजादी की लड़ाई के, वह सन् १९४७ के बाद हमारे प्रान्त के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे थे। उस पद से काम करते हुए उनका जो अनुभव था, इधर स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके भी अनुभव को अगर हम सामने रखें तो आपको याद होगा कि काफी असंतुष्ट थे। एक दफा कुछ लोगों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

नियुक्तियां हुईं हाफिज जी के विभाग में। उन नियुक्तियों के बारे में माननीय गोपीनाथ जी ने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लाये बगैर सरकार ने जो नियुक्तियां की हैं वह अवैधानिक हैं और अनुचित हैं। यह बात उस समय की है जब सरकार के अन्दर उच्च कोटि के लोग थे और बराबर की हिम्मत वाले लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर भी थे। लेकिन इस १०, १२ या १५ वर्ष के अन्दर जो प्रान्त की या देश की स्थिति थी बिगड़ती चली जा रही है। जिस हालत में हम पहुंचते जा रहे हैं, उससे भले ही सरकार को संतोष हो परन्तु जनता के आदमियों को कोई संतोष नहीं है। श्रीमन्, आपको वकील होने के नाते अनुभव होता होगा कि वे किस प्रकार के लोग हैं जिनके सामने आपको जाकर केसेज प्लीड करने का अवसर पड़ता होगा। मेरा मतलब उन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स से है जिनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है। हो सकता है कि इम्तिहान होता हो और होता भी है। उसमें एक वाइवा होता है उसके १५० नम्बर होते हैं। उसके आधार पर जिसको चाहते हैं आगे को पीछे और पीछे वाले को आगे कर देते हैं।

यही चर्चा पिछले दिनों २१ जुलाई, १९६४ को यहां जिस वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की मीटिंग हुयी थी और जिसमें मुख्य मंत्री, सैक्रेटरीज भी थे, हुयी थी। वहां यह हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी भ्रष्टाचार है तो हमारी मुख्य मंत्री जी चकाचौंध हो गयीं और बड़ी हैरान हुयीं कि यह कैसे संभव हो सकता है। मैं भी कुछ घबराया कि कहीं मेरे सुनने या कहने में ही फर्क तो नहीं, लेकिन अभी १०–१२ दिन ही बीते हैं कि एक भाई मेरे पास आये और कहने लगे कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में एप्पीयर होने जा रहा हूं कोई सिफारिश चाहिये। तो मैंने कहा कि मेरा अनुभव तो यह है और हमारे मुख्य मंत्री का भी विचार है कि वहां कोई पहुंच नहीं होती लेकिन वे बजिद थे कि कोई सिफारिश हो। मैंने कहा कि भाई मैं मजबूर हूं। इसी वक्त २–१ कांग्रेसी पुराने साथी वहां पर आ गये। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सिफारिश चाहते हैं और हमारी मुख्य मंत्री कहती कि सिफारिश चलती नहीं तो मैं कैसे सिफारिश कर सकता हूं। मैं उन बुजुर्गों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहुंच कहां नहीं होती। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैंने कहा कि जब मैं सिफारिश को बुरी समझता हूं तो मैं कैसे सिफारिश कर सकता हूं। तो फिर यहां के माननीय सदस्यों द्वारा टेलीफोन चले। मेरी राय है कि हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जो हों वे एप्रोचेबिल न हों।

श्रीमन्, आप स्वयं देखते हैं कि किस प्रकार के लोग उन कुर्सियों पर आते हैं, किस मनोवृत्ति के लोग आते हैं, किस दिल और दिमाग के लोग उन कुर्सियों पर आते हैं। वह सब बातें आपसे छिपी नहीं हैं। इन सब बातों से जनता में अत्यन्त असन्तोष है। मैं आज देखता हूं कि आज १०० में से १०० में नहीं तो १०० में से ९९ में तो अवश्य भ्रष्टाचार है। अभी हमारे यहां रुड़की में एक मैजिस्ट्रेट है। उनके सामने एक केस पेश हुआ कि ४ आदमियों ने एक बैल को चुराया है। उस बैल को २ आदमी आगे से पकड़े हुये थे और २ पीछे से ढकेले जा रहे थे तो कहा गया कि पौजेशन पिछले वालों का है। तो यह समझ में नहीं आता कि अगले वालों को छोड़ दिया गया और पिछले वालों को सजा कर दी गयी। यह जजमेंट मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। और इसी आधार पर वकील लोग तो चंट होते ही हैं बहस करने लगे कि आगे वाले आदमियों का पजैशन नहीं हो सकता है। आगे वालों को छोड़ दिया गया और पीछे वालों को सजा दे दी गई। वकीलों का तो काम ही है कि दिमाग खराब कर दें। लेकिन इस तरह के हमारे मजिस्ट्रेट हैं जिनको इस तरह की जानकारी है। यह लोग बैठे हुये सिवाय काठ के उल्लू के और कुछ नहीं जानते। इस तरह के लोग पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं।

इसी तरह से श्रीमन्, दूसरी चीज लीजिये। आपके जो बी० डी० आफिस आ रहे हैं वे भी इसके ही मारफत आ रहे हैं। नित्य नई-नई नौकरियां निकल रही हैं। लेकिन

मेरा अनुभव यह है कि ज्यादातर जो पोस्ट्स क्रियेट होती हैं उन पर पहले से ही मनोनीत कर लिया जाता है कि इन लोगों को लेना है। अगर सरकार ईमानदारी से चाहती है कि प्रांत की हालत सुधरे, जुडीशियरी अच्छा काम करे और दूसरे अधिकारीगण अच्छा काम करें तो नियुक्ति के समय ही ध्यान देना होगा। अव्वल तो पहले ही अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिये। इसके बाद नियुक्तियां की जानी चाहिये। यह वही कर सकता है जो अनएप्रोचेबिल हो और किसी के प्रभाव में न आ सकता हो। लेकिन दुख की बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जिन आदमियों को हमारे ऊपर थोप रही है, वह ठीक नहीं है भले ही वह इंटैगरीटी के हों क्योंकि इंटैगरीटी का आदमी उसे ही समझा जाता है जो पकड़ा न गया हो, चोर वही है जो पकड़ लिया जाता है। कोई आदमी उसी समय तक ईमानदार है जब तक कि उसकी बेईमानी प्रकट नहीं होती है। ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े तो यह बड़ी कठिन समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। सवाल इसमें आता है कि क्या किया जाय? आज आम जनता में एक ही बात फैली हुई है कि सारी जगह भ्रष्टाचार है। हमारे केन्द्र के नेता माननीय नन्दा जी ने पहली बार सरकारी रूप में इसको माना है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय माथर जी, यदि आप चाहें कि मंत्री जी भी इस चर्चा में कुछ कहें तो आपको अपना भाषण समाप्त करना पड़ेगा।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

श्रीमन्, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अधिष्ठाता महोदय, पिछली बार जब लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो यह सारी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही थीं और माननीय काशीनाथ जी ने लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में जिन बातों का जिक्र किया था वही माननीय त्रिपाठी जी ने अपनी स्पीच के शुरू में कहीं। जनतंत्र में न्यायालय और लोक सेवा आयोग का दर्जा बराबर का होता है। काशीनाथ जी ने यह भी कहा था कि यह भी अच्छा नहीं होता कि किसी जज के संबंध में या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के व्यक्तिगत कार्य के संबंध में कुछ चर्चा करें। लेकिन जितनी स्पीचें हुई हैं उनमें ज्यादा जोर इस पर दिया गया है। इसमें कहां लोक सेवा आयोग के सुझावों और सरकार के बीच मेल नहीं बैठता और सरकार ने कहां-कहां उनके सुझाव को नहीं माना, इस चर्चा का विषय यह होना चाहिये था। कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। उसने जो सुझाव दिये सरकार उसके विपरीत कोई कार्य नहीं करती, लेकिन यह नहीं कहा गया चर्चा में....

श्री अधिष्ठाता—

इसके माने यह है कि उस संबंध में असंतोष नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपत्ति तो यह होनी चाहिये थी.....

श्री मैनेजरसिंह—

हम तो यह मानकर ही चलते हैं कि लोक सेवा आयोग भी निष्पक्ष नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस समय आपके स्पष्टीकरण से क्या हो सकता है?

श्री बंशीधर पांडेय—

अब इस विवाद के बीच में यह कहा गया कि एक पालिटिकल आदमी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसे पोलिटिकल आदमी इस देश में हैं जिन्होंने जब उस पद को संभाल लिया तब उन्होंने राजनीति को छोड़कर बड़े अच्छे ढंग से काम किया। जिस वक्त की यह रिपोर्ट है उस वक्त राधाकृष्णन जी को छोड़कर और कमीशन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो किसी भी पार्टी से संबंधित था। लेकिन ५५ में जब वह चले गये, तो मेरी पूरी जानकारी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो उनका रेपुटेशन है वह सारे लोग जानते हैं। अभी हाल ही में मैं दिल्ली में था वहां पर जो ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा थी, तो चार मंत्री सेन्ट्रल के थे, उनके सामने बात हुई, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मामले में यह कहा जा सकता है कि और किसी मामले में पर कैपिटा इनकम में या इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पीछे हो, लेकिन जहां तक अफिसर्स का संबंध है उत्तर प्रदेश सारे भारत में सबसे आगे है और भारत के सारे प्रदेशों में उसका काडर सबसे अच्छा है। (एक आवाज निगम साहब के बारे में भी कहिये)। अब एक एसोसियेशन को लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा करेंगे तब तो बोक जस्टिस, जस्टिस कोई भी नहीं रहेगा जिससे संबंधित कोई न कोई आदमी यहां न बैठा हो, मिनिस्टर हो, ब्लाक का अफिसर, आई० ए० एस० या पी० सी० एस० कोई भी हो किसी न किसी से संबंधित होगा ही।

अभी हमारे रावत जी ने कहा कि ब्लाक अधिकारी जो सारे भारत में छाये हुये हैं उनका रूरल टर्न बिलकुल नहीं है। अब जो चुनाव होता है वह किन्हीं नियमों के आधार पर होता है और वे सारे नियम जो यहां हम लोग चर्चा करते हैं उनको नोटिस लेकर ही बनाये जाते हैं। जब हम निष्पक्ष तरह से काम करना चाहते हैं तो मायर साहब कहते हैं कि लोग सिफारिश करते हैं। मुझे माफ किया जाय मैं इधर और उधर के बैठने वालों की चिट्ठियां पेश कर सकता हूं जिनकी सिफारिश लगी हो, या न लगी हो लेकिन उन्होंने उनके बारे में मंत्रियों से कहा है और पत्र लिखे हैं। यह नेचिल्ले वर एक सुप्रीम बाडी है, यहां साढ़े ७ करोड़ लोग जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और सारी सरकार को चलाते हैं। कमीशन का जहां तक संबंध है आपको जानकर खुशी होगी कि राधाकृष्णन जी के अलावा कौन-कौन उसके मेम्बर थे। श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी आई० ए० एस०, श्री गिरीशचन्द्र, एम० ए० एल-एल० बी०, श्री भानसिंह विष्ट, सी० आई० ई०, एम० ए०, सी० ए० एस० और डा० मुहम्मद हम्मीद फारूकी, बार-एट-ला ऐसे उसके मेम्बर थे। उनके समय में इन लोगों ने कहा कि कोई इम्तहान नहीं होता था और जिसको चाहें ले लेते हैं। एक बात यह कही गई कि स्थान बाद में बनता है, लेकिन उस स्थान पर आदमी का चुनाव पहले हो जाता है। यह बात बिलकुल तथ्य से परे है। वहां पर इस प्रकार से नहीं हो सकता है। जो आदमी वहां पर बैठते हैं उनमें सभी तरह के लोग होते हैं। इतिहास, भूगोल, न्याय और टैक्नीकल योग्यता के लोग वहां पर विद्यमान रहते हैं। कभी-कभी उस समिति की सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष भी करते हैं। वे बहुत छानबीन करके बाद में किसी आदमी का चुनाव करते हैं। इस कारण यह कहना कि लोगों को पहले तय कर लिया जाता है और स्थान बाद में होते हैं यह बिलकुल बेबुनियाद बात है।

एक बात यह कही गई कि चुनाव के लिये कोई रूल नहीं हैं। आजकल जितने भी रूल बने हुये हैं वे सब पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति से बने हुये हैं। उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा जाता है और उसकी सहमति प्राप्त की जाती है। उसके बाद उन नियमों के अनुसार काम किया जाता है। इस रिपोर्ट को यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केवल ४ स्थानों पर गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से असहमति प्रकट की है। जो हमने माननीय सदस्यों को मेमोरेन्डम दिया है उसमें केवल इन ४ स्थानों का जिक्र है। इन ४ स्थानों के अलावा और कहीं पर नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे सुझावों को माना जाता है। इसी संबंध में एक बात यह भी कह दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक सलाहकार संस्था

है। कमीशन के सुझावों को कुछ अदल बदल भी करने का अधिकार सरकार को रहता है। सरकार चाहे तो कमीशन के सुझावों में कुछ परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिये मैं निवेदन करूं कि उन स्थानों के लिये उन संस्थाओं ने स्वयं कहा कि ये बहुत दिनों से आफिशियेट कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिफारिश की है और जिस व्यक्ति के लिये की है उससे यह उनका व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसलिये उस व्यक्ति को रखा गया। इसलिये ऐसे स्थानों पर सरकार विवश हो जाती है और ऐसे स्थान पर संस्था की राय को ही मानना होता है।

इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में और भी बहुत सी बातों का चर्चा किया है जो इससे संबंधित नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार करेगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

†श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मेरा वैधानिक प्रश्न है। वह यह है कि मैं आपका ध्यान १३१ रूल की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया है कि:--

"Power to ask for papers connected with a Bill—After a Bill has been introduced any member may demand that copies of papers, if any,on which the Bill is based and which are not confidential, be placed on the table of the House."

इसके मुताल्लिक हमने एक चिट्ठी माननीय मित्तल साहब के पास भेजी कि इस पर जो कमेटी की रिकमेन्डेशन हों उसकी कापी हमको दी जाय। लेकिन आज तक उस कमेटी की जो रिकमेंन्डेशन्स हैं या जो सुझाव हैं उसकी प्रति हमको नहीं मिली। कृपया वह प्रति हमको दिलाने की कृपा की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मैं यह समझता हूं कि माननीय कमलासिंह जी ने जो आपत्ति उठाई है वह अपनी जगह पर ठीक है। प्रक्रिया नियमावली के १३१ में यह स्पष्ट दिया है कि किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह उस कागज को मांग सकता है जिस पर विधेयक आधारित हो। इसके कारण और उद्देश्य में भी कुछ सिफारिशों का जिक्र है तो यह ठीक है कि वे रेकमेंडेशन्स सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये थीं। मैं आशा करता था और उचित होता कि वे रखी गयी होतीं, लेकिन अब भी मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में प्रयत्न करें।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, वह रेकमेंडेशन्स सदन की मेज पर आ रही हैं। मैंने उनके लिये कह दिया है। चूंकि वह अंतरिम सिफारिशें थीं इसलिये वह छपायी नहीं गयीं और जो खाद्यान्न के बारे में कमेटी ने अपनी राय दी है, सिफारिश की है उसके साथ बहुत सी सिफारिशें हैं। तो

---

*२७अगस्त, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

जबतक वह रिपोर्ट पूरी न हो जाय तबतक उसका जाहिर करना भी शायद नियमों के विरुद्ध होता इसलिये भी दिक्कत हुई इस रिपोर्ट को पूरी की पूरी यहां भेजने में। लेकिन इससे संबंधित जितना हिस्सा है उसके लिये मैंने कह दिया है कि यहां भेज दिया जाय और वह थोड़ी देर में यहां पहुंच जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह ठीक है। जो संबंधित सिफारिशें हैं उनको यहां देने से काम चल जायगा। आप उनको मंगवा दें।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

स्पष्टीकरण के लिये समय नहीं है। मैंने वित्त मंत्री जी को बुला लिया है। उनके बाद आप पूछ लीजियेगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन यहां पेश किया है मैं समझता हूं कि वह मूल अधिनियम के स्कोप के बाहर है। यह अधिनियम सेल्स टैक्स का है और इसके अन्तर्गत मंत्री जी क्रय कर भी लगा लें यह सम्भव न होगा। अगर मूल अधिनियम के नियम सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स के होते तो इसकी व्यवस्था हो सकती थी। माननीय मंत्री महोदय ने यह भी व्यवस्था की है कि एक ही ट्रांजैक्शन होने पर खरीदने वाले को सेल्स टैक्स भी देना पड़े और परचेज टैक्स भी देना पड़े। तो मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं की जा सकती कि बिक्री-कर के अन्तर्गत क्रय-कर भी वसूल कर लिया जाय। यह सम्भव न होगा।

श्री अधिष्ठाता——

माननीय रक्षपाल जी ने जो आपत्ति उठायी है मैं समझता हूं कि यदि उन्होंने जो विधेयक वितरित हुआ है उसे देखने का कष्ट किया होता तो वह न उठाते। जो विधेयक वितरित हुआ है उसमें उन धाराओं का उल्लेख भी है जिनमें संशोधन प्रस्तावित है। यदि उनको केवल पढ़ने का कष्ट कर लिया जाय, तो वह देखते कि जो प्रस्तावित धारा ३—डी है, जिसमें उनको यह आपत्ति है कि इसमें परचेज-टैक्स, सेल्स-टैक्स ऐक्ट की परिधि के बाहर चला जाता है, वह प्रस्तावित की जा रही है पहले की ३—डी धारा के स्थान पर। पहले की ३—डी धारा जो है मूल अधिनियम की, उसमें स्वयं परचेज टैक्स का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त और भी जो मूल अधिनियम है उसमें पहले ही सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स, दोनों का प्राविधान यही सदन कर चुका है। इसलिये आपकी यह आपत्ति निराधार और निर्मूल है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ कहने के पूर्व सदन से इस बात के लिये माफी मांगना चाहूंगा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में कुछ अशुद्धियां रह गयी हैं जिनका सुधार विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों की सेवा में भेजने के पूर्व नहीं किया जा सका। मैं उन की तरफ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये संकेत कर देना चाहता हूं ताकि उनका सुधार कर लिया जाय।

इसके उद्देश्य और कारण की पंक्ति ८ में शब्द है "पहली बिक्री"। यह बिक्री नहीं है। यह है "पहले क्रय"। इसी तरह से नवीं लाइन में "बिक्री कर लगाने की पद्धति" जहां आया है, वह "बिक्री कर" नहीं है, "क्रय कर" है। इसी तरह से बारहवीं पंक्ति में "पहली बिक्री के उन लेन-देनों पर" जो लिखा है वह है "पहले क्रय के उन लेन-देनों पर"। तो ये अशुद्धियां रह गयी थीं, इस वजह से मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना उचित समझा।

अधिष्ठाता महोदय, इस समय खाद्यान्न, गुड़ और कुछ वस्तुओं पर बहुपदीय विक्रय-कर लगता है। इसके संबंध में जनता की और व्यापारियों की भी शिकायत रही है और बार-बार उन्होंने इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना यह रहा कि खाद्यान्न ऐसी आवश्यक बस्तु पर बहुपदीय बिक्री-कर लगे यह किसी तरह से उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कच्चे आढ़तिये हैं, व्यापारिक अभिकर्ता हैं उनकी भी इस संबंध में शिकायत रही कि उनका दायित्व बिक्री-कर देने के लिये नहीं है, क्योंकि वह व्यापारी नहीं हैं, वह तो केवल किसानों और क्रेता के बीच में मध्यवर्ती का काम करते हैं। उनके ऊपर जो बिक्री-कर लगाया गया उसकी बहुत धनराशि तो बकाया पड़ी है। इन कठिनाइयों को देख कर सरकार को बिक्री-कर की वसूली को बन्द करना पड़ा और एक बहुत बड़ी धनराशि उनके ऊपर बकाया रह गयी और उनका मसला एक गम्भीर मसला बन गया। यही नहीं, बिक्री-कर में बड़ी गड़बड़ भी होती रही। उन बिक्रियों पर जो कनसाइनमेंट बेसिस पर प्रदेश के बाहर रहने वाले व्यापारियों के पास माल भेजा जाता है, बिक्री कर वसूल होता नहीं रहा, चोरी होती रही। इस प्रकार सरकार को काफी घाटा भी होता रहा। इन सब बातों पर बिक्री-कर कमेटी ने जो सरकार द्वारा इस काम के लिये नियुक्त की गयी थी अच्छी तरह से विचार किया। कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। प्रश्नावली जारी करके व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव मांगे गये। व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने उपस्थित हो कर अपनी गवाहियां दीं। उनमें अधिकतर की तरफ से यह मांग होती रही कि यह बहुपदीय बिक्री-कर विशेषकर खाद्यान्न, गुड़ आदि से उठा दिया जाय और उसके स्थान पर या तो एक पदीय बिक्रय-कर अंतिम बिक्रय पर लगाया जाय या एक पदीय क्रय-कर के प्रथम प्वाइन्ट पर लगाया जाय। कमेटी के सामने यह उन्होंने मांगें रखीं और कमेटी ने उस पर अच्छी तरह से विचार किया और विचार करने के उपरान्त वह इस राय पर पहुंची कि अगर एक पदीय क्रय-कर लगा दिया जाय तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और करापवंचन जो काफी मात्रा में होता है वह भी काफी कम हो जायेगा। कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जहां और बातों के बारे में दी, वहां इस बारे में भी दी और उस पर सरकार ने तुरन्त विचार किया और यह उचित समझा कि उसकी सिफारिशों को शीघ्र स्वीकार किया जाय। अक्सर यह शिकायत की जाती है कि समिति की सिफारिशों पर विचार करने में काफी देरी सरकार की ओर से होती है। लेकिन इस संबंध में सरकार ने अन्तरिम रिपोर्ट आने पर ही तुरन्त उसके सुझावों को स्वीकार कर लिया।

(इस समय २ बज कर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

उन सुझावों को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक है कि एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और सदन की भी स्वीकृति लेकर उसके लिये व्यवस्था की जाय। इस विधेयक के द्वारा अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि खाद्यान्न आदि वस्तुओं पर बजाय बिक्री कर के क्रय-कर लगाया जाय और यह क्रय कर एक पदीय होगा और क्रय के पहले पद पर ही लगाया जायगा। आपको मालूम होगा कि खाद्यान्न कन्ज्यूमर्स तक पहुंचने के पहले आम तौर से २ हाथों से गुजरता है। इसलिये यह बात देखते हुये कि इस परिवर्तन से जो सरकार को आमदनी होती है उसमें कमी न हो, यह किया गया है। कमेटी के सामने लोगों की यह भावना मौजूद थी कि लोग इस टैक्स को कम पसन्द करते हैं और उसके प्रति उनकी आलोचनायें भी हुआ करती थीं। समिति ने यह भी देखा कि ऐसा कर देनें से करापवंचन भी काफी

[श्री जयराम वर्मा]

मात्रा में रुक जायेगी। अतः समिति ने सरकार से यह सिफारिश की कि सरकार इस बात को अच्छी तरह से विचार करके दर नियत कर दे। अभी तक खाद्यान्नों पर बिक्री-कर जो वहुपदीय था वह एक पैसा प्रति रुपये था और गुड़ पर २ पैसे प्रति रुपये था। अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि खाद्यान्नों पर, जिसमें अनाज और दालें भी शामिल हैं, क्रय-कर का दर २ पैसा प्रति रुपये तक होगा। यानी वह अन्तिम सीमा है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त जो वस्तुएं क्रय-कर की सीमा में लाई जायेंगी उन पर क्रय-कर ५ पैसा प्रति रुपये तक होगा। सरकार ने इस विधेयक के द्वारा यह अधिकार माननीय सदन से मांगा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या सैलेक्ट कमेटी ने यह सिफारिश की है कि खाद्य पदार्थों के ऊपर २ पैसा प्रति रुपये और अन्य पदार्थों पर ५ नये पैसे प्रति रुपये के हिसाब से टैक्स लगाया जायेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

यह कमेटी ने नहीं सिफारिश की है। कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि खाद्यान्न ग्राहक तक पहुंचने के पहले अमतौर से २ हाथों से गुजरता है। इसलिये इस तरह का तर्क किया जा सकता है कि अगर सरकार की आमदनी को इस मद से कम नहीं करना है तो टैक्स की दर दुगनी होना चाहिये। लेकिन कमेटी के सामने लोगों की यह भावना रही कि लोग इसके बारे में आपत्ति करते रहते हैं और कमेटी के सामने यह बात भी रही कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से करापवंचन काफी मात्रा में कम हो जावेगी इसलिये सरकार इन सब बातों पर विचार करके तब कोई दर निश्चित करे। कमेटी ने किसी दर की सिफारिश नहीं की है। सारे फैक्ट्स सरकार के सामने रख दिये हैं और सरकार से अपेक्षा की है कि सरकार दर खुद नियत करे और इस विधेयक द्वारा सरकार यह अधिकार ले रही है कि खाद्यान्नों पर २ पैसा प्रति रुपये तक टैक्स की दर हो सकेगी और खाद्यान्न के अतिरिक्त जो और सामान क्रय कर की.....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

उदाहरणार्थ, जैसे कि.....

श्री कमलासिंह यादव—

उदाहरण के लिये कौन-कौन सामान होंगे,.....

श्री जयराम वर्मा—

सरकार ने अभी यह निश्चित नहीं किया कि किन-किन सामानों को इस परिधि के अन्दर लाना है। जब वह लायेगी तो वह हर एक सामान के बारे में अलग-अलग निर्णय करके, फिर टैक्स की दर लगायेगी। अब इसके द्वारा एक और व्यवस्था की जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि जो कच्चे आढ़तिये थे, या जिनको व्यापारिक अभिकर्ता कह सकते हैं, वे बराबर इस बात का विरोध करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि उनके ऊपर टैक्स का दायित्व नहीं होना चाहिये। तो इस विधेयक के द्वारा हमने इस बात का प्रस्ताव रखा है कि वह टैक्स के दायित्व से बरी कर दिये जांय। उनको लाइसेन्स लेना पड़ेगा। लाइसेन्स की व्यवस्था उनके लिये की जा रही है और उनके लिये यह जिम्मेदारी रखी जा रही है कि वह अपने यहां सब हिसाब किताब रखें और पूरा विवरण जो किसानों से उनके यहां माल आता है और जिस रजिस्टर्ड व्यापारी को वह माल देते हैं उसकी सूचना या जो सूचना सरकार मांगे, वह बराबर सरकार को वे देते रहेंगे जिससे रजिस्टर्ड व्यापारी टैक्स से बरी रहें। अभी तक भी यही व्यवस्था थी कच्चे और पक्के आढ़तियों से हम सिर्फ एक-सा टैक्स लेते थे। लेकिन चूंकि कच्चा आढ़तिया

एक कमजोर तबका है उसके लिये पूरा हिसाब-किताब रखना और यह भी सम्भव नहीं है कि वह पक्के आढ़तिये से विक्रय-कर वसूल करके सरकार को दे। किसान से तो वह ले नहीं सकता है। हमने उस कच्चे आढ़तिये को जो महज एजेंट का काम करता है इस टैक्स की जिम्मेदारी से बरी कर दिया और उससे सहायता ली जायगी जिससे पक्के आढ़तिये जिसे वह माल बेचता है, से टैक्स वसूल किया जा सके। ऐसी व्यवस्था से एक सम्भावना और हो सकती है कि इसमें फिर भी करापवंचन होता रहे। उसे भी रोकने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि जहां क्रय के प्रथम पद पर टैक्स नहीं लगाया जा सकेगा तो उसके स्थान पर विक्रय-कर लगाया जायगा। वह भी एक पदीय होगा। जहां इस तरह से कोशिश की गई कि माल रजिस्टर्ड व्यापारी के पास न जा सके तो उसके साथ में रुकावट की गई है और हम समझते हैं कि इस तरह से चोरी नहीं हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि कम्पलिकेशन निकल गया और कुछ बोझ भी हलका हो गया। छोटे-छोटे व्यापारी जो इस टैक्स के दायरे में आते थे और जिनके लिये हिसाब-किताब रखना सम्भव नहीं था, वे इस टैक्स के दायरे से बच जावेंगे। उनकी परेशानी दूर हो जायगी। इससे करापवंचन काफी मात्रा में रुक जायगा। ऐसे व्यापारी जो प्रदेश के बाहर रहते हैं वे कनसाइनमेंट बेसिस पर हमारे प्रदेश से खरीद लिया करते थे और इस कर से बच जाया करते थे, वे भी अब नहीं बचेंगे क्योंकि अब [illegible]-कर देना होगा बजाय बिक्री-कर के।

खाद्यान्नों पर टैक्स लगाने के लिये व्यापारी का टर्न-ओवर कम से कम २५,००० रुपये होना चाहिये और माल जिसके ऊपर यह क्रय-कर लगेगा उसके लिये टर्न-ओवर की सीमा विक्रय-कर के समान ही १२,००० रहेगी। ऐसी व्यवस्था से, हम समझते हैं, एक बहुत दिनों की मांग पूरी हो जायगी। सबके सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, जो करापवंचन की शिकायत अक्सर होती रहती है जिससे प्रदेश को बड़ी हानि पहुंचती है, वह भी अब नहीं हो सकेगा। इंतजाम में भी आसानी होगी। कच्चे आढ़तियों को जिन्हें टैक्स से बरी किया जा रहा है उनको लाइसेंस लेना होगा और उसकी एक फीस होगी जो १०० रुपये तक हो सकेगी और उनको बहुत सी सूचनायें लाइसेंस लेने के लिये देनी होंगी जिससे वे सरकार की सहायता कर सकेंगे ताकि करापवंचन न हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से इस विधेयक पर विचार करके अपनी स्वीकृति प्रदान करें। यह ऐसा विधेयक है, जिसका मैं समझता हूं, हर तरफ से स्वागत होना चाहिये क्योंकि इससे एक बहुत पुरानी मांग पूरी की जा रही है और छोटे व्यापारियों की कठिनाइयां भी दूर की जा रही हैं।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को १ मास के लिये परिचालित किया जाय जिससे जनमत जाना जा सके।

मान्यवर, यह दास्तां है दिल की, क्या कहूं? जिस वक्त खाद्यान्न की इतनी बुरी हालत है उस वक्त यह सरकार कर लगाने की सोच रही है। यह बहुत ही बुरी बात है। मैं यह समझता था कि आप इसे वापस ले लें तो अच्छा है। इस तूल खामोशी का जोरे बयान में क्या दिखलाऊं, थी बात मेरे दिल की निकली आपकी जबां से। गुलिस्तां की क्या हालत होगी जब हर शाख पर बैठे हैं उल्लू। इन्हीं चन्द शब्दों से खत्म करता हूं।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत करदे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

में दिये जायेंगे । मान्यवर, जैसा कि उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि लोग बिक्री-कर के खिलाफ थे क्योंकि बिक्री-कर कई स्थानों पर लगता था इसलिये माननीय मंत्री जी ने उसको सेल्स टैक्स कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उसको संशोधित कर दिया । अब आप कहते हैं कि यह टैक्स एक पदीय लगेगा । लेकिन जब आपने इसको निर्धारण करने की बात सोची तब आपने यह बात अवश्य सोची होगी कि सरकार की आय कम न होने पाये । अर्थात् आपने यह सोचा होगा कि दो पदीय टैक्स के द्वारा आपको जो आय होती थी उतना आय आपको नये लगाये जाने वाले टैक्स से हो जाय । यही चीज देखकर आपने उसको ५ प्रतिशत कर दिया है और जितना पहले टैक्स से आपको रेवेन्यू मिलता था उसको प्राप्त करने का आपने पूरा प्रयत्न कर लिया है ।

इसके साथ ही साथ आप कहते हैं कि विक्रेताओं को हमने ऐसी छूट दे दी है कि वे भी इसका स्वागत करेंगे । मान्यवर, बिक्री-कर एक ऐसी बला हमारे प्रदेश में आ गयी है जिसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं और सरकार भी यह गारन्टी के साथ नहीं कह सकती कि कहां पर कर वंचना हो रही है । आप कहते हैं कि यह टैक्स एक जगह पर ही लगाया जायगा और जो खरीद करेगा उसको देना होगा और उसका नाम आपने क्रय कर दिया है । अब एक आदमी ने बेचा तो दूसरा खरीदने वाला हुआ । जब दूसरा बेचने वाला हुआ तो तीसरा खरीदने वाला हो गया । अब हर जगह आपकी तरफ से ५ प्रतिशत लगा दिया जायगा । फिर बताइये किस प्रकार से यह एकपदीय होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो विधेयक में ही लिखा हुआ है कि यह टैक्स एक पदीय होगा । एक ही जगह लगेगा ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

लेकिन इसका व्यवहार क्या होगा, मैं वह बता रहा हूं ।

इसलिये आपने इस बिल में जो व्यवस्था की है उससे भी लोग नाजायज लाभ उठायेंगे और कहीं आप उसको रोक नहीं पायेंगे । इसके अलावा खाद्यान्न पर भी आपने दो पैसा टैक्स की बढ़ोत्तरी की है । इससे होगा यह कि एक तो वैसे ही खाद्यान्न की कमी है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, इस टैक्स के कारण और भी कीमतें खाद्यान्न की बढ़ जायेंगी । इसके अलावा जो व्यापारी आपको अब तक हिसाब-किताब दिखा देता था वह उसमें और भी गड़बड़ करेगा । मान लिया किसी व्यापारी को आपकी असेसिंग अथारिटी ने २५ हजार रुपया पर बिक्री-कर देना निश्चित किया । यह चीज वह व्यापारी के रजिस्टर से ही तो निकालेगा । यह तो असेसिंग अथारिटी के विवेक के ऊपर होगा या व्यापारी के कागजात के ऊपर होगा कि वह यह तय करे कि उस व्यापारी के यहां इतने हजार रुपये की बिक्री हुई । जहां आपकी असेसिंग अथारिटी है, जहां उसका रजिस्टर है, इसी बीच में आपके करों की चोरी होती है । जब इस विधेयक के द्वारा व्यापारियों को मालूम होगा कि कर की दरों में दुगने और ढाई गुने तक की वृद्धि हुई है तो स्वाभाविक है कि जैसे पिछली कर निर्धारण नीति में और अन्य स्थानों में चोरी का काम दिखायी पड़ता है इसमें भी दिखाई पड़ेगा । उसी प्रकार की इसमें भी अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी । वैसे अगर आप मेरे सुझाव को मान कर किसी भी जिलें में अपने किसी आदमी को खुफिया तौर पर किसी दूकान पर बैठा कर जांच करवायें तो आपको पता चल जायगा कि सेल्स टैक्स के कारबार में किस ढंग से गड़बड़ी होती है और वह आपके अधिकारियों द्वारा ही की जाती है । यहां पर बैठ कर या सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा आंकड़े देने से इसका पता नहीं चल सकता है । अगर आप इसका पता लगायेंगे तो आपको मालूम होगा कि कर अधिकारी जो जिले जिले में उसका निर्धारण करने के लिये हैं कि वे अपने स्वार्थ को पूरा करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी बुरी तरह से जुटे हुए हैं । आपके यहां रेवेन्यू प्राप्त करने के लिये एक लक्ष्य निर्धारित है कि इस जिले से इतना लाख रुपया सेल्स टैक्स से आना चाहिये और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आपकी जो असेसिंग अथारिटी है वह बिना इसकी जांच किये हुए कि उनकी आमदनी है या नहीं है उन पर

ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। मुझे यह भी बतलाया गया कि यह भी देखा गया है कि जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करके व्यापारियों पर अंकुश लगाते हैं तो वे भी सोचते हैं कि लाओ दूसरा रजिस्टर रख लें और चोर बाजारी करें। इस तरह से वे अपनी आमदनी कम दिखलाते हैं। इससे दूसरी बात यह होती है कि व्यापारियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि वे अपनी आमदनी कम दिखलावें दूसरी तरफ यह भी होता है कि जहां भ्रष्टाचार की इतनी चिल्लाहट होती है, वहां मजबूती के साथ कहा जाता है कि वे निजी स्वार्थ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मनमाने ढंग से कर निर्धारण करते हैं। तो इससे बड़ा भारी दोष उत्पन्न होगा।

इस ऐक्ट की धारा ४ (७) के अन्तर्गत रेवेन्यू प्राप्त करने के लिये असेसिंग अथारिटी को इतना ज्यादा अधिकार दिया गया है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वह जिस तरह से भी चाहे मनमाने ढंग से अपनी कारगुजारी दिखलाने के लिये कि उसने बहुत अच्छा काम किया, कर निर्धारण करता है। यह अधिकार उसके पास इतना ज्यादा है कि व्यापारी के सामने भी एक बड़ी भारी समस्या हो जाती है। मान लीजिये अगर किसी की आमदनी २५ हजार है और कहीं उसने उसके लिये ४० हजार की आमदनी पर कर निर्धारित कर दिया तो भले ही व्यापारी कहता रह जाय, लेकिन उसकी सुनवायी नहीं होती। जब वह अपनी विवरणी पेश करता है कि हमारी आमदनी २५ हजार ही है तब फिर लेन देन का काम शुरू होता है। यदि आप जिले में जाकर देखें कि कितने व्यापारियों पर उनकी आमदनी के अलावा कितना परसेंट कर निर्धारित करते हैं और बाद में अपील के जरिये उनको परेशान करके कितना कम सेल्स टैक्स लेते हैं। मुझे बतलाया गया है कि उनके ऊपर बढ़ा कर तिगुना चौगुना तक कर निर्धारित कर दिया जाता है और बाद में लेनदेन की बात तय हो जाती है तो उसे कम कर दिया जाता है और इस तरह से लक्ष्य की पूर्ति में भी उनको सहायता मिलती है। जहां पर वह छोड़ सकते हैं, वहां पर उतना मारजिन छोड़कर के कर दें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने उन सेल्स टैक्स अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने पहली नोटिस तो काफी बढ़ा कर दी और बाद में किन किन आधारों पर उन्हें घटाकर उसे कम कर दिया। इसका कारण था सेल्स टैक्स अधिकारियों का व्यक्तिगत स्वार्थ, अधिकारियों के लेन देन का इसमें मामला था और जब उन दोनों पक्षों के लेन देन का मामला तय हो गया तो टैक्स कम कर दिया गया। यह इसलिये किया गया कि सरकार का उद्देश्य भी पूरा हो जाये और अधिकारियों का उद्देश्य भी और जब दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो काम चल जायेगा और वह टैक्स बढ़ाकर लेंगे। तो उसे इतनी अधिक ताकत देने का यह परिणाम होता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है।

जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं जिनके पास केवल तराजू और बांट हैं, जिनके पास कोई जगह भी नहीं है, ऐसे लोगों पर भी आपने अंकुश लगा रखा है। जो सर्वहारा वर्ग है, जो केवल दूसरों का गल्ला तौलकर एक तरह से नौकरी पर रहता है, उनको भी आपने बाध्य कर दिया है कि वह या तो अपने इस काम को छोड़ दें या उन्हें लाइसेंस लेना चाहिये, लेकिन अगर आप ऐसा नियंत्रण इन पर लगा देंगे कि जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनकी जो व्यावसायिक प्रवृत्ति है, जिनके जीवन का आधार ही वह है, वही समाप्त हो जायें। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना से आपकी आमदनी तो हो सकती है, लेकिन इसका फल अच्छा नहीं होगा। प्रायः उधर के बैठने वाले लोगों में से यह बातें कहा करते हैं कि पुराने जमाने में यह बातें थी और उसके अनुसार जिसकी जैसी नियत होती है उस की वैसी बरक्कत होती है। वैसा ही चार्ज मैं आपके ऊपर भी लगा सकता हूं। आपका उद्देश्य यह है कि किसी न किसी रूप में आमदनी हो लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, इसको आप नहीं सोचते हैं। आपको उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, आपको उनके दुखों की कोई परवाह नहीं है। आपका लक्ष्य केवल यह है कि आपको आमदनी होनी चाहिये। जब आप किसी न किसी सही या गलत तरीके से केवल अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो आपके अधिकारी भी अपना लक्ष्य किसी न किसी तरह से पूरा करना चाहते हैं, और उनका लक्ष्य है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और जनता के धन से अपनी जेबें भरना। अगर आपकी नियत सही नहीं है तो आमदनी तो आपकी हो जायेगी, लेकिन जो प्रदेश के अन्दर प्रशासन के प्रति एक आस्था पैदा होनी चाहिये वह आस्था धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। जो आपकी कर निर्धारण की नीति है, उसमें जनता की आस्था

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

नहीं रही है और उसमें तो जनता के आस्था की नींव भी हिला दी है। आपको यह समझकर चलना चाहिये कि कर का निर्धारण इस प्रकार का न हो, जिससे किसी की जीविका ही समाप्त हो जाये। धन की सरकार को आवश्यकता होती है और धन कर के द्वारा ही आता है। हर एक देश में कर लगते रहे हैं, बिना कर के कोई शासन चल नहीं सकता है। कर हम इसीलिये लेते हैं कि उन करों को हम वापस कर के जनता को और अधिक से अधिक सुविधायें और आराम दे सकें। आपकी नीति का जो प्रतिफल है, कांग्रेस के भाई इससे सहमत हों या न हों, लेकिन करों की जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, उससे जनता बहुत ही परेशान है और उसकी कठिनाइयों में दिन प्रति दिन वृद्धि होती चली जा रही है और इस शासन के प्रति उसकी आस्था घटती जा रही है। तो एक तरफ जो आप उसे अधिकार देते हैं तो आपको यह सोचना चाहिये कि कर निर्धारण अधिकारियों के जो अधिकार और उनकी जो निरंकुशता जो जिले जिले में दिखाई पड़ती है, उस पर कठोर नियंत्रण करने की भी बड़ी आवश्यकता है।

आप यह कहते हैं कि इसमें गरीब लोग, जो छोटे आढ़ती थे, वह भी लाइसेंस लेकर काम करने लगेंगे, लेकिन जिनके पास खाली तराजू और बांट हैं, जिनके पास कोई जगह नहीं है, जिनको आप आढ़ती समझ लेते हैं, इस सम्बन्ध में हमारे जिले हरदोई का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला और उन्होंने अपनी यही कठिनाई रखी कि हम लोग तो केवल एक काश्तकार का गल्ला जो वह लाया और हमसे कहा कि तौल दो वह हमने तौल दिया, यही करते हैं। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने हमको व्यापारी समझ कर हम पर भी २५,००० रु० का टर्न ओवर समझ कर टैक्स लगा दिया। मैंने ही स्वयं उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था और आपने कहा था कि इसकी व्यवस्था इस बिल में करेंगे। लेकिन आपने उसका कोई ध्यान नहीं रखा। मान लें किसी गांव से एक दरी बुनने वाला अपनी दरी बेचने के लिये लाया और वह उसने बेची तो उस बेचने वाले पर आपने ५ प्रतिशत टैक्स लगाया और जिसने खरीदी उस पर भी ५ प्रतिशत टैक्स लगा दिया। तो दोनों पर टैक्स लग गया। अब सवाल यह उठता है कि आप किस पर टैक्स लगायेंगे? आप बता दें कि क्रय-कर लगायेंगे या बिक्री-कर लगायेंगे, या दोनों लगायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही लगायेंगे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय जो अपना प्रतिवेदन दे जिससे सारे भ्रम दूर हों और उसके प्रतिवेदन पर आधारित एक सुन्दर संशोधन विधेयक आप तब लायें। उससे सभी लोगों का कल्याण होगा और लोगों की परेशानी भी कम होगी।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो मास के अन्दर प्रस्तुत कर दे। (सदस्यों की सूची बाद में प्रस्तुत की जायगी।)

इस विधेयक पर विचार व्यक्त करने के पहले मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज कम से कम १० साल बाद इनकी आंखें खुलीं। शुरू से ही जितने बिल सेल्स टैक्स के आये हैं हम लोगों ने बराबर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स का जो तरीका है यह घातक है देश के लिये और उसी का दुष्परिणाम है कि गल्ला आज प्रदेश में नहीं मिल रहा है। यही नहीं गुड़ जिसके लिये पी० एस० पी० ने सूबे के अन्दर सत्याग्रह किया था उस समय तो सरकार चिढ़ी रही कि बाहर गुड़ नहीं जाने देंगे लेकिन बाद में जब व्यापारियों का दबाव पड़ा तो सरकार ने मजबूर हो कर अपने प्रिय पूंजीपतियों को शह और मदद देने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये अपने आदमियों को परमिट दिये जिसका नतीजा यह हुआ कि हम किसान गुड़ के दाम का फायदा नहीं उठा सके और हमको कम दाम पर प्रदेश में ही गुड़ बेचने के लिये मजबूर किया गया जबकि दूसरे प्रदेशों में गुड़ का भाव ४० रु० मन था। व्यापारियों को परमिट दे कर १६ रु० खरीदे हुए हमारे गुड़ को व्यापारियों ने ५० और ६० रु० के भाव से बेचा। तो मैं तो सरकार से यह सूचना चाहता हूं कि अगर उनकी यह नीति है कि हमें आप अधिकार दीजिये कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स टैक्स वसूल करें तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि टैक्स ऐसा लगे कि किसी के ऊपर अधिक भार न पड़े और वस्तुओं के प्रोड्यूस करने वालों को उचित मूल्य मिले। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जब गुड़ के बारे में आपकी ये धारणायें थीं जिनको लेकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया था.....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी गुड़ के बारे में जिक्र कर रहा था तो मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर ऐसा कानून बने कि जो आदमी पैदा करे उसकी कमायी उसके हाथ में होनी चाहिए और यही हमारी पार्टी का उद्देश्य भी है और इसी कारण से दाम-बांधो का आन्दोलन चलाया गया है। आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिये सदन के सामने। सरकार को तो यह भी पता नहीं कि किन-किन चीजों पर किस किस प्रकार का टैक्स लगाने जा रहे हैं और किन-किन चीजों को एक्जेम्पशन देने जा रहे हैं। अभी मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वे बतायें कि किन-किन चीजों पर वे टैक्स लगाने जा रहे हैं और किन चीजों को वे एक्जैम्पट करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला वे कैसे करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया हुआ है कि सरकार इसको अपने हाथ में लेगी और जब जब मौका होगा उस काम को करेगी। इस सम्बन्ध में धारा ४ पढ़े देता हूं। इसमें लिखा है कि :

"On the issue of a notification under this Section, no tax shall be levied under any other section in respect of the goods so notified."

तो जो नोटिफिकेशन होगा वह सरकार के हाथ में दिया जा रहा है। जब श्री बिपिन बिहारी जी प्रस्ताव कर रहे थे कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, इस बात का जिक्र किया कि अधिकारी बहुत ही जुल्म करते ह। मैं मानता हूं कि अधिकारी जुल्म करते हैं लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सरकार तो चाहती है कि पैसा मिले। जब सरकार का यह ही ध्येय है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले तो अधिकारियों का भी यही ध्येय रहता है कि वे अधिक से अधिक रुपया वसूल करें। आज तरक्की उसी को मिलती है जो गलत तरीके से वसूल करके ज्यादा से ज्यादा रुपया सरकार को देता है। उसी के ऊपर उसकी तरक्की निर्भर है। लेकिन श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोई भी टैक्सेशन हो चाहे सेल्स टैक्स के रूप में हो या इनकम टैक्स के रूप में हो या लगान के रूप में हो सबसे पहल हमें यह देखना होगा कि जिन आदमियों पर किसी प्रकार का टैक्स लगाने हम जा रहे हैं उनकी क्षमता ऐसी है कि हम टैक्स लगा सकें और इसके बाद यह भी देखना पड़ता है कि वे चीजें जिन पर सरकार टैक्स लगाने जा रही है, ऐसी तो नहीं हैं जो हर आदमी के लिये नैसेसिटी आफ लाइफ के लिये जरूरी हैं। यदि हैं तो उनको टैक्स से बरी करना चाहिये। इसी विधेयक के जरिये हम देख रहे हैं कि श्रीमन्, चीज यह है कि खाद्यान्न की स्थिति जो हमारे प्रदेश की है.....

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सब पंखे सीधे चल रहे हैं लेकिन कांग्रेस बेंच की तरफ वाला एक पंखा उल्टा चल रहा है। यह क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इस प्रदेश की खाद्य समस्या इतनी विकट हो रही है कि मैं अभी देखकर आया हूं कि गाजीपुर जिले में अभी तक वर्षा न होने के कारण वहां धान के खेत वैसे ही पड़े हुये हैं और धान की रूपाई भी नहीं हो सकी है। शुरू में जब वर्षा होती है तो हम लोग सावां बो देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बिक्री-कर विधेयक है। इसमें ये सब बातें नहीं आयेंगी, खाद्यान्न के बारे में जिक्र कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जा सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

खाद्यान्न पर सरकार टैक्स लगाने जा रही है। हम उसी की बात कह रहे हैं। अगर दूसरी बात कहें तो आप कहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

खाद्यान्न का जिक्र कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

जब तक संकट की स्थिति है तब तक टैक्स न लगें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आये तो बात कर लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

लेकिन हम सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। मैं बता रहा था कि अवर्षण के कारण दाना तक मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी सरकार अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकी कि अपने प्रदेश के लोगों को अन्न दे सके। जो सरकार इतनी डेवलपमेंट की हामी है और इंडस्ट्री तथा खाद्य के लिये दावा करती है कि हमारा प्रदेश सब से अच्छा है वही सरकार आज १३ वर्ष के बाद भी इस हालत में नहीं आ सकी कि अपने प्रदेश के लोगों को खाना दे सके। तो मैं समझता हूं कि वह सरकार कितनी अच्छी है। इसके बगल में पंजाब सरकार है उससे इस सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम जो कुछ अनाज हो सके हमें देने की कोशिश करें। इसका नतीजा यह हुआ कि उस सरकार ने हमारी सरकार को चावल के चूर का देने का वायदा किया है और आप सोच सकते हैं कि इस चावल के चूर को खाने के लिये हमारे प्रदेश के लोग मुहताज हैं और मुझे गर्व नहीं है लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि इस चूर को हमारे यहां भेजिये। तो श्रीमन्, इसके साथ साथ मैंने मुख्य मंत्री से यह भी प्रार्थना की थी कि जो चोटा होता है जिस पर कुत्ते अपनी जिन्दगी बिताते हैं वही हमको दे दिया जाय। अखबारों में भी लिखा था, पता नहीं वह छपा या नहीं लेकिन हमारी मांग थी कि चावल का चूर और चोटा हमको दिया जाय। जिस प्रदेश की खाद्य स्थिति ऐसी हो कि वहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में अन्न न मिल सके तब खाद्यान्न पर टैक्स लगाने की बात सोचना भी एक बहुत बुरी बात है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि खाद्यान्न पर जो टैक्स बिल में प्रस्तावित है वह हटावें। इससे इस प्रदेश का भला होगा।

इस खाद्यान्न पर टैक्स के लिये कहा जाता है कि कच्चा आढ़तिया चूंकि एकाउन्ट्स वगैरह नहीं दे सकता है इसलिये कच्चे आढ़तिये को छोड़ा जा रहा है और पक्के आढ़तिये से सिंगिल प्वाइंट टैक्स ले रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के आढ़तियों पर मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स नहीं था? वह सेल्स टैक्स के रूप में था, अब आप परचेज टैक्स के रूप में उससे लेने जा रहे हैं। पक्के आढ़तिये का जो लेखा जोखा है उससे सरकार को पता होना चाहिये कि कितना गल्ला उसने खरीदा और कितना बेचा और कितना सेल्स टैक्स उसने वसूल कर लिया। तो सरकार को यह मालूम हो जाना चाहिये कि उसने कितना गल्ला खरीदा और उससे सरकार को यह पता लग जाना चाहिये था कि उसके प्रदेश में कितना गल्ला है और बाहर से कितने गल्ले को मंगाने की जरूरत है। उसके बाद सरकार को देखना चाहिये था कि कितना गल्ला हमारा प्रदेश से बाहर जा रहा है उस पर चेक हो। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि जो समाचार और जो बातें बंगाल की भुखमरी के बारे में हम लोग सुना करते थे वही बातें सुनाई पड़ने लग गयीं। यह सरकार बंगाल की भुखमरी की हालत यहां पर लाने को आतुर है। यह सरकार चाहती है कि जिस प्रकार बंगाल में हुआ उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लोग भी कुत्ते की जिन्दगी व्यतीत करें। मैं समझता हूं कि यह सरकार पैसा पैदा करने के लोभ में जो यह गन्दी नीति चला रही है उसे रुकना चाहिये।

पहले जब सेल्स टैक्स यहां पर लगा था हाफिज जी इस विभाग के मंत्री थी। आज वे पंजाब के गवर्नर हैं। उस समय उन्होंने सदन के सामने बारबार यह आश्वासन दिया कि यदि ऐसी परिस्थितियां आयेंगी कि फूड पर सेल्स टैक्स हटें तो हम फौरन उसे विदड्रा कर लेंगे। लेकिन जहां आज हम यह उम्मीद करते थे कि इस फूड की गम्भीर समस्या को देखते हुये मंत्री जी कम से कम खाद्यान्न पर से इस कर को हटा लेंगे लेकिन मैं देख रहा हूं कि २ पैसा रुपया आज भी टैक्स यह सरकार खाद्यान्न पर जारी रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर शर्म की बात हो नहीं सकती क्योंकि मंत्री जी जब से यह विधेयक सदन में आया है तब से बराबर आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह सरकार अपने वादों की तरफ जो उसने सदन में किये हैं, की तरफ अपना ध्यान ले जाय। और जो कुछ आपने किया है और आपके जो कारनामे हैं उनकी तरफ न जाइये बल्कि कोशिश कीजिये कि जो आपने इस सदन में आश्वासन दिया है उसको किसी तरह से पूरा किया जाय। आज प्रदेश में खाद्य स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिये लोगों की यह मांग है कि खाद्य के ऊपर किसी तरह का टैक्सेशन नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ सरकार कहती है कि ९० प्रतिशत यहां पर जनता खेती पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ यह देखा जाता है और महसूस किया जाता है कि लोग खेती पर भी निर्भर रहें, लेकिन साथ साथ हर आदमी यदि मुमकिन हो सके तो जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सके या अपने स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा कर सके। इसलिये यहां पर उद्योग धन्धों की जरूरत है। जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैंने इस विधेयक को शुरू से आखिर तक पढ़ा है मैंने इसमें यह बात नहीं देखी कि ग्रामोद्योग को किसी तरह से प्रोत्साहन देने की बात है। इस सदन में सरकार की तरफ से बारबार यह आश्वासन दिया गया है कि ग्रामोद्योग के द्वारा जो चीजें उत्पन्न होती हैं उन पर हम कम से कम टैक्स लगायेंगे और यह भी कोशिश की जायगी कि ग्रामोद्योग की वस्तुयें कम दाम पर बाजार में बिकें ताकि जनहित में प्रदेश के लोग किसी न किसी तरह से इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और इस तरीके से ग्रामोद्योग की चीजों को हम प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक इस विधेयक का सवाल है इसको मैंने पढ़ा तो इसके अन्दर ऐसी कोई चीज नहीं पाई जिससे मालूम हो सके कि ग्रामोद्योग की वस्तुओं को किसी तरह से छूट देने का विचार है, उसको किस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी तरह से अभी बिपिन बिहारी जी ने बतलाया कि जो छोटे व्यापारी हैं उन पर भी टैक्स लगने वाला है। मैंने भी इसको पढ़ा तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई। जो मैंने पढ़ा उससे यह मालूम होता है कि १२ हजार से नीचे के व्यापारी जो सेल्स टैक्स अदा करते हैं, वह इस विधेयक के अन्दर नहीं आते फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में वह

[श्री कमलासिंह यादव]

स्पष्ट करें कि वाकई छोटे व्यापारियों को भी इसमें शामिल किया गया है या नहीं। जहां तक मेरा खयाल है मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि १२ हजार से नीचे वाले इसके अन्दर नहीं आते हैं।

जहां तक लाइसेन्स की बात है अगर हरएक आदमी के लिये आप लाइसेन्स लेने की बात कहते हैं तो यह बड़ी भारी घातक चीज सिद्ध होगी। विरोधीपक्ष ने हमेशा सरकार से कहा है कि सरकार की पालिसी ऐसी होनी चाहिये जिससे छोटे आदमियों को राहत मिले और बड़े आदमियों पर टैक्स जितना ज्यादा हो सके वह लगाया जाय ताकि जितना धन उनके स्टैन्डर्ड आफ लिविंग से अधिक उनके पास है वह उनके पास से निकल आये। लेकिन सरकार की नीति में यह देख रहा हूं कि सरकार उल्टे चल रही है इस माने में कि जो रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुयें हैं उन पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है और गरीब आदमियों के उपभोग्य वस्तुओं पर टैक्स लगाकर उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं उनको इससे छूट दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी देखा जाता है कि जब इस सदन के अन्दर कोई मेम्बर सरकार से प्रश्न करता है जो मालूम होता है कि सेल्स टैक्स का बड़े बड़े लोगों पर करोड़ों रुपया बाकी है लेकिन जब हम किसानों की तरफ देखते हैं तो किसी जिले में कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर लगान का रुपया बाकी हो। उन किसानों से रुपया उस समय वसूल होता है जब कि किसानों की फसल खेतों में खड़ी होती है इस तरह से सरकार किसानों को मजबूर करती है कि वह लोगों से लोन लेकर अदा करें। एक तरफ यह होता है कि बड़े बड़े रोजगारी जिनकी सरकार पोषक है उन को हर तरह की छूट दी जाती है। जो टैक्स सरकार वसूल करती है उसके रियलाइज करने में भी देरी होती है, लेकिन किसान भले ही मर जाय, उसकी वसूली ठीक समय से होगी और छूट के समय कहा जाता है कि तकावी के नियम बने हुये हैं, उनमें आयेगा तो छूट मिलेगी। मिल वालों को दिक्कत पड़ने पर इमदाद दी जाती है, लेकिन किसान को दूसरी निगाह से देखा जाता है। तो अगर किसान विरोधी हो कर यह सरकार चलेगी तो यह देश के लिये बड़ा घातक होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी निगाहें उन गरीबों की ओर ले जायं कि जिनका जीवन आज दूभर हो गया है। मेरा जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसे माननीय मंत्री जी मानेंगे और जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है उन पर गौर करेंगे।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का सेल्स टैक्स का इतिहास कोई बहुत गौरवपूर्ण नहीं रहा है। पिछले वर्षों में इतने ज्यादा और जल्दी जल्दी अमेंडमेन्ट्स आये कि बहुत बड़ी तादाद में जो बिला पढ़े लिखे उपभोक्ता हैं, उनका तो कहना ही क्या, वकील, सरकारी कर्मचारी, वे लोग जिनको न्याय करना पड़ता है वे भी उस दौड़ में साथ नहीं चल पाये, उनका साथ चलना असम्भव हो गया। इसी पृष्ठभूमि में यह भी परम्परा इस सदन में रही कि जब कोई अमेंडिंग बिल आया तो साथ में एक आश्वासन दिया जाता था कि एक कम्प्रेहेंसिव बिल आने वाला है। इस पृष्ठभूमि में अगर हम इस नये बिल को देखते हैं तो पुरानी शंकाओं की पुनरावृत्ति हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जो बिल आया है आज सदन के सामने, यह प्रदेश की जनता की मांगों के अनुरूप है। इसके पीछे छोटे उपभोक्ता, छोटे व्यापारी और जनता के विभिन्न वर्गों की मांग है और जैसा उद्देश्य और कारण में कहा गया है, इसी उद्देश्य के लिये सरकार ने एक कमेटी बनायी थी जो अब भी अपना कार्य कर रही है और उसे हाई पावर सेल्स टैक्स कमेटी के नाम से पुकारा जाता है। उसकी सिफारिशें ही इसका आधार हैं। इसलिये मैं, मान्यवर, उस सिद्धांत का, जिसके आधार पर यह बिल बनाया गया है हृदय से स्वागत करता हूं और मैं यह स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों के समक्ष कि इसमें केवल जनता का हित है, बहुत बड़े वर्ग का हित है और विशेषतया उन वर्गों का हित है जो अपेक्षाकृत कम क्षमता रखते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बिल के द्वारा हम केवल एक मूल परिवर्तन करने जा रहें हैं। आजकल खाद्यान्नों पर और दूसरी वस्तुओं पर बहुपदीय कर है। आमतौर से इस सदन में यह मांग होती रही है कि उनमें हम बहुपदीय कर के स्थान पर एक सूत्री कर रखें। उस कमेटी ने सारे प्रदेश में भ्रमण किया और यह कोई गोपनीय बात नहीं कि मैं उसका एक अकिंचन सदस्य हूं। उस नाते मुझे भी विभिन्न वर्गों से जानकारी का अवसर प्राप्त हुआ। तो अधिकांश लोगों की यह मांग रही कि बहुपदीय के बजाय एक-सूत्री करो। मैं समझता हूं कि उस दिशा में जिसकी ओर बहुत काल से इस सदन में और सदन के बाहर मांग होती रही, उसमें यह एक अच्छा कदम है। इसके द्वारा अब यह प्राविधान कर दिया कि परचेज टैक्स गल्ले पर ले लिया जाय और उसके लिये उस वर्ग को उस दायित्व से अलग कर दिया जो छोटा वर्ग था, जिसका नाम तोला था। वह किसान और विक्रेता के बीच में आता था, उसको मुक्ति दे दी गयी और उसका दायित्व उस वर्ग पर डाल दिया गया जो पहले लाइसेन्स डीलर थे उससे जो खरीद करेगा। इसके दो प्रतिकूल परिणाम हुये। एक तो जो छोटे स्तर का व्यक्ति जिसको हिसाब-किताब की सुविधा नहीं होती थी जो कि वास्तव में एक डीलर और व्यवसायी की हैसियत का होता ही नहीं था वह बहुत बड़े दायित्व से मुक्त हो गया। दूसरे छोटे-छोटे दूकानदार जिनके पास न कलम दवात, न कागज का प्रबन्ध, न क्लर्क का उनका बोझ हट गया।

जहां तक इस बिल की आत्मा और सिद्धान्त का संबंध है, मैं इसका पुनः स्वागत करता हूं। लेकिन मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक में तो हमें इसका शरीर दिखाई देता है, लेकिन इसकी आत्मा तो इसके कार्यान्वयन में होगी। आज तो यह उस मूर्ति की तरह से है जिसकी ओर मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले लोगों की दृष्टि ऐसी है जैसे कि उसमें प्राण-प्रतिष्ठा न हुई हो और वह एक पत्थर के टुकड़े की तरह से रहता है। जो बिल यहां पास होते हैं और जो अधिकार सरकार को दिये जाते हैं वह जिन आश्वासनों के आधार पर दिये जाते हैं, जब उनका कार्यान्वयन होता है तो विपरीत परिणाम होता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि जिस पवित्र उद्देश्य के लिये यह बिल लाया गया है कृपया मंत्री जी इसके कार्यान्वयन में ऐसा कदम उठावें जिससे उसका जो मंतव्य है वह बिलकुल नष्ट न हो जाय।

मुझे दो एक बातें इस बिल में खटकती है और शंका होती हैं कि इसके कार्यान्वयन के समय क्या होगा। मंत्री जी ने बताया कि हमने केवल २ पैसे परचेज टैक्स खाद्यान्न पर लगाने का अधिकार लिया है। मैं तो आशा कर रहा था कि शायद साथ ही माननीय मंत्री जी जो गरीबों की भावनाओं से बहुत नजदीक रहते हैं, उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं वह कदाचित यह भी कहेंगे कि हम उस अधिकार का प्रयोग करने नहीं जायेंगे जैसा कि अक्सर कहा जाता है, लेकिन मैं अब भी समझता हूं कि जबकि अधिकतम अधिकार लिया है तो न तो उसके प्रयोग भी परम्परा ही रही है और न औचित्य ही मालूम होता है। मैं उन व्यक्तियों में से सदा रहा हूं इस सदन में और बाहर भी जो विश्वास करते हैं कि खाद्यान्न जैसी गरीब से गरीब आदमी के काम में आने वाली वस्तु में सेल्स टैक्स होना ही नहीं चाहिये। अभी माननीय कमलासिंह जी ने हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की बात कही कि जब वे यहां वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में और जोरदार शब्दों में जिनके कहने पर जो करतल-ध्वनि हुई थी उसकी प्रतिध्वनि आज भी मेरे कानों में गूंजती हुई मालूम होती है। उन्होंने यह घोषणा की थी कि इस सरकार का मंशा खाद्यान्न पर सेल्स टैक्स लगाने का हरगिज नहीं है और जो हमारा टार्गेट है सेल्स टैक्स का जिस वक्त वह पूरा हो जायगा हम उसको खाद्यान्न पर से हटा लेंगे। मैंने पहले अवसरों पर भी इस बात को दोहराया है। उस वक्त जब माननीय हरगोविन्दसिंह जी वित्त मंत्री थे उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि अगर इस तरह का कोई ऐसा आश्वासन दिया जा चुका है तो उसका आदर किया जायेगा। इसके पीछे मेरा तर्क यही है कि अभी भारत सरकार ने एक ऐसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट पास किया जिसमें कुछ वस्तुओं के लिये, जिनको जनता के लिये आवश्यक माना गया है, यह निश्चित किया गया है कि उन पर कोई भी स्टेट सेल्स टैक्स नहीं लगायेंगी। माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि हमने उन अपवादों को देख लिया है

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

और इस पर प्रेसीडेंट की अनुमति भी प्राप्त कर ली है, मगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर विचार करें कि आखिर पार्लियामेंट ने जो संकल्प किया उसका मन्शा क्या है? इस बात का औचित्य सारे देश ने स्वीकार किया है कि जो ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर टैक्स लगाने का बोझ हर आदमी पर पड़ता है उनको उससे बरी रखा जाय। जो ६० रुपये पाने वाला चपरासी है वह भी ४०-५० रुपये खाद्यान्न पर खर्च करता है और जो ३ हजार रुपये पानेवाला अधिकारी है वह भी खाद्यान्न पर करीब-करीब उतना ही खर्च करता है मगर इस टैक्स का बोझ चपरासी को ७५ फीसदी आमदनी पर पड़ेगा जबकि बड़ी आमदनी वाले पर दो या तीन प्रतिशत ही पड़ेगा। केन्द्र ने और देश के विचारकों ने इस बात को जब माना है कि उन वस्तुओं को कर से मुक्त रखा जाय जिनका बोझ गरीब जनता पर पड़ने वाला है तो खाद्यान्न से अधिक कोई दूसरी आवश्यक वस्तु हो नहीं सकती, और उसको उससे मुक्त करना ही चाहिये। उसके लिये मैंने संशोधन भी रखा है, माननीय मंत्री जो चाहें तो मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें और या हमको यह आश्वासन दें कि वे अपने अधिकतम अधिकारों का प्रयोग करने नहीं जा रहे हैं।

दूसरी जो शंका मुझे हुई वह इस विधेयक की प्रस्तावित धारा ४ की उपधारा (५) को पढ़ने से हुई। वह इस प्रकार से है—

"धारा ३ के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड और धारा १८ के उपबन्ध इस धारा के अधीन देय कर के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

अब मान्यवर, जो मूल धारा ३ है ऐक्ट की, उसको भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं वह यह है—

"Provided also that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, enhance the rate of tax on the turnover in respect of any goods or class of goods so, however that the rate does not exceed (three naye paise per rupee) and may, likewise, reduce it, and the tax shall thereupon be payable on the relative turnover at the enhanced or reduced rate as may be applicable:"

अब मान्यवर, इस छोटे से खंड में २ पैसे से ३ पैसे करने का अधिकार भी सरकार को रहेगा। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्रीजी इससे अवगत थे कि नहीं लेकिन यह जो एक पावर बैक डोर से लिया गया है, कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। तो दो पैसे की बात अधिकतम कही जा रही है लेकिन इससे ३ पैसा का अधिकार ले लिया जाता है। मान्यवर, मैं कोई कड़ा शब्द नहीं कहना चाहता। मैंने बैक डोर कहा जिसके लिये मुझे खेद होना चाहिये। लेकिन इसे इसलिये शामिल करता हूं कि अगर आप देखें तो इस विधेयक के अन्त में उन सेक्शन्स की सूची है जिसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। जब मैंने इसे पढ़ा तो पहले तो बिलकुल मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन आखिर में यह बात दिखाई पड़ी कि इस प्राविजो का मतलब यह है कि ३ पैसा का अधिकार भी आपको मिल जाता है। तो अभी से जब कार्यविन्यन की जब यह स्पीड है तो इसको लाने पर क्या होगा। फिर कैसे हम इस प्रदेश की जनता और वर्ग को आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी इच्छा के मुताबिक यह विधेयक आया और आप जो चाहते थे, वही इसके द्वारा होने जा रहा है।

मैं एक बात मान्यवर और कहना चाहता था कि जो मैं भूल गया था। अब सोचता हूं कि उसे भी कह दूं। जब मैं यह बात निवेदन कर रहा था कि खाद्यान्नों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये तो मैं एक बात और कहना चाहता था कि आप टैक्स लगाने के पहले अपने पड़ोसी सबों की तरफ भी जरा देख लें, जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र तो खैर, थोड़ा दूर है, राजस्थान हैं। तो इन सभी जगहों पर खाद्यान्न पर सेल्स टैक्स की दरें अधिकांशतः एग्जेम्पट हैं।

इसके बाद मान्यवर, मैं केवल एक बात का और स्पष्टीकरण चाहूंगा कि और वह यह है कि आपने खाद्यान्नों की परिभाषा में खाद्यान्न और दालें, पल्सेज एन्ड एग्जल्स भी रखी हैं। तो इसका क्या मतलब होगा। धान से चावल पैदा होता है। या अरहर, मूंग, उरद, मसूर ये चीजें हुईं। अगर परचेज टैक्स धान पर लग गया तो अगर वह चावल बनाता है तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा या केवल धान पर ही टैक्स काफी होगा। इसका भी स्पष्टीकरण आवश्यक है।

इसके अलावा एक बात की ओर आपकी आज्ञा से ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस नियम के द्वारा छोटे स्तर के बिक्रेताओं को रिलीफ दी गई है। ठीक है रिलीफ दी गई है, इसका मैं स्वागत कर चुका हूं। लेकिन वहां लाइसेन्स फी भी १०० रुपये रखी गई है। यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर लाइसेन्स की फी का मतलब है उसको रेगुलेट करना तो रेगुलेशन से उसका कोई वास्ता नहीं। अगर उन पर टैक्स लगाना है तब तो १००–२०० रुपया की बात कही जा सकती है। एक बात और सोच लीजिये। आज की तारीख में २५ हजार तक बिक्री धन को एक्जेम्पशन दिया गया है और अब आप १२ हजार तक की छूट दे रहे हैं। सौ रुपये के माने एक परसेंट से होते हैं १० हजार रुपया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह लाइसेंस फी बहुत ज्यादा है। इसके बारे मैंने यह भी सुना कि कच्चे आढ़तियों ने कहा कि यह अच्छा हुआ, चलो झंझट से छुट्टी तो मिली। लेकिन कच्चे आढ़तियों में छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। यह छोटे आढ़तियों पर बहुत ज्यादा होगा इसलिये इस लाइसेंस फी को आपको घटाना होगा।

माननीय मंत्रीजी जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि खाद्यान्न और गुड़ के लिये वे ऐसा सोच रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे दूसरी वस्तुयें कौन सी होंगी तो माननीय मंत्रीजी ने बड़ी विद्वतापूर्वक उत्तर दिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं लेकिन पहले समस्या उत्पन्न होती है तब उसका समाधान हुआ करता है। वह समस्या तो आ चुकी होगी। उन्हें विश्वास करके सदन को बताना चाहिये कि वे चीजें कौन सी हैं कि वे दो तीन चार चीजें कौन सी हैं जिसे आगे को समझने में आसानी हो। एक चीज स्वयं उनके मुखारविंद से आयी। आपने कहा कि गुड़ और खाद्यान्न के लिये ऐसा सोच रहे हैं। गुड़ उन लोगों के खाने की वस्तु है जो नीचे की श्रेणी के गरीब लोग होते हैं। लोगों में जो मधुर वस्तु के खाने की इच्छा होती है उसकी तृप्ति निम्न वर्ग के लोग गुड़ खाकर किया करते हैं। इसलिये पार्लियामेंट के एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अनुसार गुड़ को आप खाद्यान्न के साथ रख लें तो अच्छा होगा।

अन्त में मैं एक बात उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है। अगर उन्होंने प्रवर समिति का प्रस्ताव इसलिये किया है कि उनको इससे बोलने का अधिकार प्राप्त हो तब तो ठीक है अन्यथा मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति में जाने से केवल एक दो प्रकार के परिवर्तन होंगे, उनको यहां कर सकते हैं, अगर माननीय मंत्री जी उनको स्वीकार कर लें। अगर वे स्वीकार नहीं करते तो वहां ले जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि माननीय मंत्रीजी सेल्स टैक्स बिल में आमूल परिवर्तन लाते। लेकिन माननीय मंत्रीजी जो यह संशोधन लाये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन और जो बातें जिनके ऊपर वह हाई पावर कमेटी बैठी थी उसके सुझाव के अनुसार सेल्स टैक्स कमेटी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं और प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आपके जरिये मैं माननीय अग्रवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जरा माननीय मंत्री जी को कहें कि जो संशोधन आप लोगों की तरफ से आवे उसको भी यहीं पर विचार करके मान लें तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष---

कंडोशनल बात क्यों करते हैं, रिक्वेस्ट कीजिये ।

श्री रक्षपालसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव किया है, उनमें २ महीने और एक महीने का अन्तर है, तो उनमें से किसी का भी समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । वैसे माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये ऐसी अपेक्षा व्यक्त की कि उनको सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि उसने विरोधी पक्ष की मांग जो इतने रोज से एक पदोय कर लगाने की थी उसको पूरा कर दिया । परन्तु विचार करने का प्रश्न यह है कि हमारे विरोधी पक्ष में जब भी कभी इस प्रदेश में एक पदोय कर लगाने की बात कही तो उसके पीछे यही भावना थी कि उपभोक्ता पर चार स्थानों पर जो कर लगता है उससे बहुत अधिक भार पड़ता है और इससे उनको परेशानी बढ़ती है । श्रीमन्, अगर मंत्री महोदय के इस बिल के द्वारा यह हो गया होता कि टैक्स का रेट कम कर दिया गया है तब तो वह स्वागत की बात होती और बधाई की बात होती, लेकिन अगर यह कहा जाय कि माननीय मंत्री महोदय ने उस बात को सीधी-सीधी न करके बिलकुल उल्टे हाथों से नाक पकड़ने की बात की है कि एक की जगह दो टैक्स की व्यवस्था की है, जिससे उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही बुद्धि की बात कही है कि जहां पहले ४ नये पैसे टैक्स की बात थी वहां ५ नये पैसे कर दिया गया है और इस तरह से सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने की व्यवस्था है । यह केवल कहने के लिये है कि सिंगल प्वाइंट टैक्स कर दिया गया है ।

एक बात हम लोगों को प्रवर समिति में जाने के बारे में माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने बतलायी जिसकी जानकारी हममें से बहुतों को नहीं थी कि इस विधेयक की धारा ३-बी के जरिये जो व्यवस्था की गयी है उसका भाव यह है कि फर्स्ट परचेजर कौन होगा । एक बात यह कही गयी कि जो परचेजर रजिस्टर्ड डीलर होगा । लेकिन जहां रजिस्टर्ड डीलर उस कार्य को नहीं करता वहां फिर कौन फर्स्ट परचेजर होगा, यह बाद में निर्णय होगा । धारा ४ (७) में दिया हुआ है कि फर्स्ट परचेजर कौन होगा, उसको तय करने के लिये फाइनल अथारिटी असेसिंग अथारिटी होगी । उसी को देखना होगा कि कौन दूकानदार कितना टैक्स देता है, इस तरह से इसमें बहुत घपले की बातें हैं कि किसको हम फर्स्ट परचेजर मानें । अगर ये सारे के सारे अधिकार असेसिंग अथारिटी के हाथ में रहते हैं तो इससे और भी परेशानी उत्पन्न होगी और यह कहना कठिन हो जायगा कि कौन फर्स्ट परचेजर है । जैसे एक किसान को ही ले लें जो साधारणतः नहीं है अपना सामान गांव में ले जाता है और वहां से गांव की मंडी में ले जाता है तो फिर यह कहना कठिन हो जायगा कि फर्स्ट परचेजर कौन है । इसके अलावा सब की अपनी अलग-अलग योजनायें होने से एक घपले की बात और पैदा हो जायगी ।

जहां तक मंत्री महोदय ने कर में इन्क्रीज करने वाली बात कही, एक जनसंघ के प्रतिनिधि के नाते मैं उसका घोर विरोध करता हूं । हमारी मांग कम से कम सिंगल प्वाइंट टैक्स करने की थी । आपने घटाने के बजाय सिंगल प्वाइंट के नाम पर टैक्स को और बढ़ा दिया है । इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

जहां तक फी वाली बात है उन्होंने उसके बारे में सदन के अन्दर बहुत स्पष्ट कहा और उन्होंने जितनी खामियां थीं उन की ओर भी संकेत किया । वास्तव में यह जो कानून है इस में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इस को समाप्त कर के जो कमेटी की सिफारिश है उनके अनुसार और जनमत के अनुसार इस को लाना चाहिये था, लेकिन मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया । हमारा अब तक यह तजुर्बा है कि यह कानून करीब करीब साल में २ बार संशोधित होता है और इस में सरकार ने यह भी अधिकार लिया है कि हाईकोर्ट द्वारा जो फैसले हुये उनके अनुसार मंत्री जी ने जो संशोधन किये वह रिट्रास्पेक्टिव तरीके से

सन् ४८ से कर लिये और उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिये और वही सड़ी सड़ाई और पिटी पिटाई चीज यह हो गई है जिस का गूदड़ का सा स्वरूप अब हो गया है । इसमें अब बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और वह करने चाहिये । मंत्री जी ने जो इस में १०० रुपये तक फीस लेने की बात रखी है यह भी एक हमारे विरोध करने का विषय है । उन का जो रजिस्ट्रेशन डिटरमिन होगा वह कैसे होगा, केपैसिटी देखी जायगी या उस का कोई ध्यान नहीं रखा जायगा । हमारा अनुभव है कि जो १०० रुपये की आखिरी सीमा है उस तक ही पहुंच जाते हैं और कम की कभी बात नहीं होती और अधिक से अधिक ही हमेशा लगा दिया जाता है । यह विभाग की पुरानी आदत है, कभी किसी पर १५-२० रुपया नहीं लगाया जायगा । मेरा सुझाव है कि डीलर के बिजिनेस की फिगर्स के अनुसार उसकी फीस फिक्स की जाय, १०० रुपया अधिक से अधिक हो. लेकिन ५ या १० रुपया भी रखें, डीलर की हैसियत और उसके रोजगार की जानकारी सरकार को रखना चाहिये । इस तरह से आप खाद्यान्न की स्थिति पर उस को रखने के स्थान के विषय में जानकारी रख सकेंगे और यह जरूरी है कि इस को घटा कर आप कम कर दें या ग्रेडेशन इस के लिये कर दें । इसके अलावा जहां तक लाइसेंस का सवाल है उस में कोई सरकार के पास अपील का प्राविधान नहीं किया गया है । वह अधिकार दिया जाना चाहिये ऐसा करने से न्याय हो सकेगा और व्यापारियों को सुविधा हो जायगी ।

जहां तक प्रवर समिति की बात है अगर इस कानून पर विचार किया जाय वहां जा कर तो बहुत सी चीजों पर विचार किया जा सकता है जैसे कि असेसिंग अथारिटी झूठे स्टेटमेंट बनाते हैं और फिक्सेशन आफ टैक्स हो जाता है और उस का कोई आधार नहीं रहता, लोग कुछ कह नहीं पाते और कभी कभी देते नहीं पैसा । यहां सदन में भी कई बार प्रश्न किये गये और यहां बुलन्दशहर के मामले के बारे में बड़ी चर्चा हुई और एक खास जिले में लाखों रुपया एग्जेम्ट किया गया । यह बड़ी विचित्र बात है । गलत असेसमेंट होते हैं, वह पहले अपना डील करते हैं, बातचीत करते हैं और अगर निश्चित धन मिल जाता है तो वह सही फिक्स कर देते हैं वर्ना मनमाने ढंग से काम होता है । यह बात सही है कि राज्य सरकार को एग्जेम्पशन करना होता है । तो सारी व्यवस्था का प्राविधान करना और स्कोप बढ़ाने की जो बात थी वह इसलिये थी कि हम बैठकर सब बातों पर गौर कर लेते, रियलाइजेशन की, एवेजन की सब बातों पर विचार हो जाता और हम सारे प्रोसीजर में संशोधन कर लेते तो अच्छा रहता, हमारी आय भी उस से बढ़ जाती और जो ५ पैसे का कर लगता है वह भी न लगता ।

माननीय जगदीशशरण जी ने विचार व्यक्त किया कि खाद्यान्न के अन्न संकट की स्थिति में २ पैसे धारा १८ में जैसा कि बताया गया है ३ पैसे भी हो सकता है । जो कि इस बिल में नहीं है, छपी है, के संबंध में जिन भाइयों ने ध्यान आकर्षित किया है धन्यवाद के पात्र हैं । जैसा कि बताया गया है यह वास्तव में हम लोगों को चाहिये था कि हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते । परन्तु मेरे भाई ने इस पर ध्यान आकर्षित किया तो मैं समझता हूं कि वह बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया । यह बैकडोर से नाजायज तरीके से लाया गया है । यह धोखा देकर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक गलत तरीका है । इस प्रकार से गवर्नमेंट के लिये अधिकार प्राप्त कर लेना उचित नहीं है । ३ पैसे तक का खाद्यान्न पर कर रखना उचित नहीं जान पड़ता । जो कि एक एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी सभी को इसकी आवश्यकता होती है, इसलिये इस पर कर नहीं लगना चाहिये । साधारण आदमी को भी इसकी आवश्यकता होती है । हर एक के घर में यह पैदा होता है, यह बात नहीं है, हर एक को खरीद कर अपना काम चलाना पड़ता है । तो मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह खाद्यान्नों पर से इसको बिलकुल ही हटा लें ।

श्रीमन्, सही बात तो यह है कि बिक्री कर के संबंध में जो इसका एक्जीक्यूशन है वह सबसे बड़ा घपले का काम है । एजूकेशन संबंधी टैक्सेशन के जो कानून हैं, हमारे जो असेसिंग अथारिटीज हैं, उनके बारे में जबतक व्यवस्था के परिवर्तन नहीं होंगे इसका दुरुपयोग होगा और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और आगे चलकर इसका परिणाम बुरा होने वाला है ।

[श्री रक्षपालसिंह]

इसका परिणाम साधारण उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। तो मैं चाहता था कि यह संशोधन प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये तो वहां विस्तार से इस पर विचार किया जा सके। इसको प्रवर समिति के पास मंत्री जी भेज देते तो टैक्सेशन या फिक्सेशन या रियलाइजेशन के जो प्रोसीजर हैं और उपभोक्ता आदि के जो तमाम विषय हैं, उन सब बातों पर संशोधन और सुधार करें, जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो।

†श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि शुरू से मैं सदन में उपस्थित नहीं था, इसलिये उन सब बातों को सुनने से मैं वंचित रहा जो इस बिल के सम्बन्ध में यहां कही गई। फिर भी इस बिल में बहुत विस्तार से संशोधन किये हैं, हालांकि सेल्स टैक्स ऐक्ट में बहुत ज्यादा संशोधनों की आवश्यकता है और जो संशोधन हैं वह खाद्यान्नों से संबंधित हैं। मान्यवर, आज के अखबार में यह बात छपी है कि दुनिया में, भारतवर्ष ही नहीं, अन्न का संकट आने वाला है। भारतवर्ष में तो अभी भी अन्न का संकट है। मेरे भाई जानते हों, लेकिन मेरे होश में तो ऐसा संकट कभी रहा नहीं। एक तरफ तो यह मुनासिब नहीं था इस समय में ऐसा संशोधन लाने का दूसरी ओर ऐक्ट में एक व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता थी। यहां पर कोई हाई पावर कमेटी बैठी भी थी, जब तक यह पास हो उस कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिये। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर ही इसे उठाना चाहिये था। अगर हाई पावर कमेटी की इंतजार नहीं करनी है तब भी मेरे खयाल में इसको विस्तार से रखने की आवश्यकता है।

सेल्स टैक्स के संबंध में बहुत जरूरत इस बात की है कि इस सेल्स टैक्स को रेशनैलाइज किया जाय। ऐसा लगता है कि बाज बाज चीजों पर टैक्स सोच समझ कर नहीं लगाया जाता। वास्तव में गरीब आदमियों पर टैक्स कम होना चाहिये और रईसों पर ज्यादा होना चाहिये। जो वस्तुएं आम आदमियों की आवश्यकता की हैं उन पर कम होना चाहिये और जो वस्तुएं लग्जरी की हैं या बड़े आदमियों के खाने की हैं उन पर ज्यादा लगना चाहिये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस ऐक्ट में ऐसा नहीं है। मसलन जो मसाले हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी आदि, कौन है हिन्दुस्तान में ऐसा आदमी जो रोटी खाता हो और मसाले न खाता हो, लेकिन मसाले पर यहां ३ प्रतिशत टैक्स है और जो खुश्क फल है बादाम वगैरह उन पर है टैक्स २ प्रतिशत। बादाम तो सब लोग नहीं खाते हैं पर मसाले सब खाते हैं। इसलिये मसाले पर १ प्रतिशत करते और बादाम वगैरह पर २ प्रतिशत। इस तरह की चीजें इस ऐक्ट में हैं तो जब इस का संशोधन आ रहा है तो इस चीज को देखें कि टैक्स का बोझ किस पर पड़ने जा रहा है और किस को बचाया जा रहा है। एक ओर विचित्र बात इसमें है कि हलवाइयों पर २५ हजार की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर १ प्रतिशत टैक्स है। कोयले पर मोहर पर अशर्फियों की लूट हो रही है। रैस्टोरेंट जहां पर चाय पीते हैं बाबू लोग वगैरह वहां तो २५ हजार तक टैक्स माफ और मसाले पर टैक्स जो हर आदमी की आवश्यकता की चीज है। तो इस तरह के आंकड़ों के उदाहरण देने की यद्यपि आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदन में जब कि एक संशोधन आया है तो जितनी इस प्रकार की इसमें त्रुटियां हैं, वे दूर की जायं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर इस प्रदेश में टैक्स कम है और पड़ोसी प्रदेशों में ज्यादा है। मसलन पोस्त के डिब्बे। यहां पर तो २ प्रतिशत टैक्स है और पंजाब में ७ प्रतिशत। तो यहां से उधर जाय और उधर से इधर आये। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर टैक्स फ्री हैं और वहां पर उन पर टैक्स है। कुछ चीजों पर यहां पर टैक्स है वहां पर नहीं है और कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनपर वहां टैक्स नहीं पर यहां पर टैक्स है। जैसे मैदा है, सूजी है। इन पर पंजाब में टैक्स नहीं है पर यहां पर टैक्स है। तो वहां से वहां आती है। तो जो त्रुटियां इस में हैं उनको हमें देखना चाहिये ताकि हम उन सबको दूर कर सकें।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ऐसे सैल्स टैक्स बिल और ऐक्ट से क्या फायदा है । एरियर्स बढ़ते हैं । पिछले दिनों सदन में बताया गया था कि १० १/२ करोड़ रुपया बकाया पड़ा ह । म अपने जिले में गया और पूछा तो उन्होंने बताया कि १३ लाख रुपया बाकी है तो यह बहीखातों में लिखकर संतोष नहीं है । असल में कई चीजे हैं जो हमें आज सोचनी चाहिये। एक तो ऐसा हमें लगता है कि जो आदमी टैक्स लगाते हैं वे ही वसूल करने वाले हैं तो पहले वह टैक्स लगाता है और फिर वसूल करने में कोताही करता है और कुछ पैसा बना लेता है । बहराइच जिले में जंगल का ठेका लोग फरजी नाम से लेते हैं और लकड़ी काटकर बेंच लेते हैं और टैक्स बकाया रहता है । वहां भी ८ लाख का टैक्स बाकी है । यह सोचने की बात है कि सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को आराम पहुंचाने के लिये है और आमदनी बढ़ाने के लिये है या लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिये है ।

एक बात और है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टैक्सेशन की पालिसी के संबंध में यह है कि टैक्स कलेक्शन का खर्चा बढ़ रहा है और नैट आमदनी कम होती चली जा रही है। मैं नहीं जानता कि यह बात इस पर लागू होती है या नहीं । लेकिन यह सोचने की बात है कि सरकार की आमदनी कम क्यों होती जा रही है । हम इसलिये टैक्स नहीं लगाते हैं कि बहुत से लोगों को तनख्वाह मिलती है बल्कि इसलिये लगाते हैं कि सरकार की आमदनी हो, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता है । इसलिये सोचना चाहिये कि क्या करना चाहिये। गवर्नमेंट को विस्तार से इस बात पर ध्यान देना चाहिये ।

मैंने पिछले दिनों देखा कि हलर्स यानी धान काटने की मशीन हैं वे सहारनपुर जिले में बिना लाइसेंस के २०० के करीब हैं और लाइसेंस के कम हैं । केन क्रशर्स चलकर बन्द भी हो गये लेकिन किसी ने टैक्स सरकार को नहीं दिया । मैंने देखा हैं कि वही आदमी टैक्स लगाता है और वही वसूल करता है । इसलिये वह टैक्स लगाकर लोगों से कहता ह कि तुम्हार ऊपर इतना टैक्स आ गया कहो तो वसूल करूं। इस तरह से वह जनता से अपने रुपये सीधे कर लेता है । यही समस्या मालगुजारी और आबपाशी के संबंध में पैदा हुयी थी । पहल गांव में नम्बरदार होता था । यह बड़ा भारी ओहदा होता था और उसको ५ परसेंट कटौतरा मालगुजारी और आबपाशी पर मिलता था वसूल करने का । इससे उसकी काफी आमदनी हो जाती थी । १९३० के बाद जमाना बदला और हमने देखा कि उनके वारंट कटते थे और न मालगुजारी वसूल होती थी और न आबपाशी वसूल होती थी । गवर्नमेंट ने इनकी वसूली के लिये एक एजेंसी बनाई और वह अमीनों द्वारा वसूल होने लगी । आजकल न जाने कितने टैक्सेज हैं और न जाने कितने इंसपैक्टर्स हैं। मुझे एक बात याद आ गई । एक साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होकर गये थे । दौरे पर दरोगा जी ने सारे कर्मचारियों को कलक्टर साहब से इंट्रोड्यूस कराया कि यह सेल्स टैक्स इन्सपैक्टर हैं, मोटर इंसपैक्टर हैं, गरज यह कि बंदा ही सब-इंसपैक्टर है बाकी सब इंसपैक्टर हैं । यह कैफियत ठीक नहीं है ।

पंजाब ने अपने यहां कुछ यूनीफाइड एजेंसी बनाई हैं । यहां पर भी उसकी जरूरत है । अगर हम अपने यहां भी यूनीफाइड एजेंसी बनायेंगे तो जो क्षेत्र है आमदनी का वह थोड़ा हो जायगा । वह कड़ाई से जांच कर सकेगा । उसमें एक नफा और हो जायगा कि लिखने वाला और वसूल करने वाला और। इससे खर्च भी कम हो जायगा और आमदनी भी बढ़ जायगी । अगर सरकार इस पर विचार करना चाहे कि इससे कुछ नफा होता है या नहीं तो उसके लिये एक उपयुक्त मौका है । चूंकि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है इसलिये इस पर सोचना चाहिये । आप लोग दिल्ली जाते होंगे, मिनिस्टर्स तो अक्सर दिल्ली में अगर जगह नहीं मिलती है तो गाजियाबाद में जो उत्तर प्रदेश सरकार का डाक बंगला है वहां ठहरते हैं । हिंडन के पुल पर एक छावनी सी बन जाती है । बहुत से टैक्स वसूल करने वाले वहा होते है, लगता है एक शहर टैक्स वसूल करने वालों का वहां बस गया है । अगर उन सब को हटाकर एक तगड़ा आदमी रख दिया जाय जो वसूल कर ले तो क्या बुरी बात होगी ? इस पर विचार करना चाहिये कि अगर एक एजेंसी ही सारे टैक्सों के वसूल करने की रखें तो कैसा हो ।

[श्री फूलसिंह]

टैक्स की जरूरत तो सरकार को है । पैसे के बगैर काम चल नहीं सकता और हर टैक्स को सरकार न ले तो सरकार कैसे चलेगी । यह बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल तो दो हैं । एक तो जो टैक्स लगे वह टैक्स वसूल करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिये न लगे । उनको तनख्वाह तो मिले, लेकिन उसमें से ऐसी बचत हो जिससे सरकार का काम ज्यादा हो । दूसरे जो मुर्गी मोटी है उसको मारो, चूहों को मारकर क्या फायदा होगा ? जिसके पास खाने को नहीं है उस पर टैक्स लगाने से कोई बड़ा मुनाफा होने वाला नहीं है । शोर ज्यादा होगा, बेचैनी ज्यादा होगी । मेरा खयाल है कि सरकार का भी मत यही है कि जहां पर टैक्स लगाने से पैसा ज्यादा मिले वहीं लगे, लेकिन वह तो डिटेल की बात है । सरकार सम्भव है यदि फिर गौर करे इस पर तो एक कम्प्रेहेंसिव बिल आ जाय जिसमें सेल्स टैक्स और सभी टैक्सों को एक में लेकर उसकी वसूली का प्रबन्ध हो जाय ।

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कमलासिंह के प्रस्ताव का कि इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस संशोधन बिल के केवल दो उद्देश्य है । एक तो चोरी हो रहे टैक्सों को बचाना और दूसरा उद्देश्य छोटे-छोटे दूकानदारों को हिसाब किताब रखने में जो गड़बड़ होती है उस गड़बड़ को बचाना । लेकिन यह विधेयक केवल गुड़ और खाद्यान्न तक सीमित रखा गया है । पहले यह खयाल था कि एक व्यापक रूप में संशोधित बिल आयेगा जिसमें व्यापारियों और दूकानदारों को काफी सुविधा मिलेगी । इसमें यह स्वीकार किया गया है कि जो टैक्स बहुपदीय लग रहे हैं उनको एकपदीय कर दिया जाय । इसको कमेटी ने भी स्वीकार किया है और सरकारभी मानती है, लेकिन जब मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि खाद्यान्न और गुड़ के अतिरिक्त जो वस्तुयें हैं उनके लिये समय समय पर गजट में प्रकाशित होगा कि उनमें से कौन सी ली जायगी । आज जो बहुत सी वस्तुओं पर बहुपदीय टैक्स है उनसे ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसी वस्तुयें होंगी जिनपर बहुपदीय टैक्स होगा । जब सरकार सिद्धांत के रूप में मानती है कि एकपदीय टैक्स होना चाहिये तो उन सभी बातों का समावेश संशोधित बिल में होना चाहिये था यह कहा गया है । कि क्रय-कर और विक्रय-कर दोनों लगेगा तो इस बिल में जितनी वस्तुयें आज ऐसी हैं जिन पर क्रय-कर अथवा विक्रय-कर लगता है उन सबका समावेश होना चाहिये कोई जल्दी नहीं थी । थोड़ा समय और लग जाता, लेकिन थोड़ा समय लगने के बाद अगर व्यापक संशोधित विधेयक आता तो वह विधेयक उस उद्देश्य और कारणों की पूर्ति कर सकता था, लेकिन जिस तरह से यह संशोधित विधेयक लाया गया है उससे उसकी आशा जाती रही ।

सरकार का यही उद्देश्य है कि किसी तरह से अधिक धन प्राप्त करे और सरकार यह भी समझती है कि, अंगर एकपदीय कर हो जाय तो उससे धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन आज भी सरकार का दृष्टिकोण इसमें साफ नहीं हो पाया कि किन-किन वस्तुओं पर एकपदीय टैक्स करेंगे और कौन-कौन वस्तुएं बहुपदीय रहेंगी । आज खाद्य संकट है । खुले बाजार में खाद्यान्न के दाम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं । फिर भी खाद्यान्न के ऊपर टैक्स लगाना कहां तक उचित है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं । मैं समझता हूं सभी लोग एक मत के इस विषय में हैं कि सस्ता गल्ला बाजार में लोगों को मिले और आवश्यकता के अनुसार लोगों को गल्ला मिले तो उसके लिये यह आवश्यक था कि इसमें खाद्यान्न को बिक्री-कर से बरी किया जाता, लेकिन बरी करने की कौन कहे हमारे मंत्री जी यह समझते हैं कि खाद्यान्न पर टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ता के पास दाम बढ़ाकर खाद्यान्न पहुंचाया जाय । इसलिये कमेटी का सुझाव है कि जो कर अभी तक लगा रखा है उसका दुगुना कर दिया जाय । पहले का दुगुना टैक्स करने का सुझाव इस विधेयक के अन्दर रखा गया है । मैं समझता हूं आज खाद्यान्न पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है । खाद्यान्नों में दाल को भी शामिल कर लिया गया है । मैं समझता हूं जितने सदस्य इस सदन में हैं वे सभी इस बात से सहमत होंगे कि खाद्यान्न पर बिक्री-कर नहीं लगना चाहिये बल्कि उसमें इतनी सुविधा लोगों को

मिलनी चाहिये व्यापारियों को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिये जिससे वे यह महसूस करें कि अधिक कर उनके ऊपर नहीं लगाया जा रहा है ताकि खुले बाजार में तथा सस्ते गल्ले की दूकानों पर एक ही भाव में लोग खाद्यान्न खरीद सकें और कोई भाव में अन्तर न रहे । हम यह उम्मीद करते थे कि हमारे टैक्स की चोरी इससे बच जायगी । इससे चोरी बढ़ेगी क्योंकि आप टैक्स पहले से दुगुना करने जा रहे हैं । एकपदीय के स्थान पर इसको दुगुना करने जा रहे हैं तो इसमें व्यापारियों को अपना हिसाब-किताब रखने में फिर गड़बड़ करने का मौका मिलेगा । मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन पेश होंगे उनको आप मानकर खाद्यान्न को इससे मुक्त करेंगे ।

दूसरी बात यह है कि लघु उद्योग की वस्तुओं पर भी आप टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं जिनको आप प्रोत्साहन देने की योजना बना रहे थे उन वस्तुओं पर टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं । कम से कम सरकार को ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये जिससे यह मालूम हो कि कौन सी वस्तुएं हैं जो बिक्री-कर से मुक्त रहेंगी । इसमें ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी गई है । जिससे पता चले कि किनको हम मुक्त रखेंगे । केवल खाद्यान्न पर कर लगाने की बात है । बाकी चीजों पर गजट में प्रकाशित करके लगायेंगे । उसकी सीमा आपको रखना थी । खाद्यान्न पर २ पैसा रखा है और दूसरी वस्तुओं पर ५ पैसा रखा है । मैं समझता हूं यह मात्रा बहुत अधिक है । इसकी मात्रा को कम करें और उन चीजों को इसमें समावेश कर दिया जाय कि किन चीजों पर आप एकपदीय टैक्स लगाना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि जितनी भी वस्तुयें हैं सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स सब पर एकपदीय लगाना चाहिये । जैसे मसाले हैं या दूसरी चीजें हैं या जो ऐसी चीजें है जो उपभोक्ता के काम में आती है या लोगों के जीवन में उपयोगी हैं उन सब पर एकपदीय टैक्स लगना चाहिये । दूसरी बात यह है कि इसमें लाइसेंस की फीस के लिये १०० रुपया रखा गया है । यह अधिक सीमा रखी गई है । इससे कम होना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस समय संशोधन की इसमें आवश्यकता नहीं थी । व्यापक रूप में एक बिक्री-कर संशोधन विधेयक आता पूरे सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में तो आपको कर निर्धारण करने में सुविधा होती । जब अपीलेंट अथारिटी के पास अपील होती तो उसमें सुविधा मिलती । उसमें बहुत समय लग जाता है और बड़ी कठिनाई होती है । इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये कि अपीलों के फैसले जल्दी हो जायं । मैं जगदीशशरण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ओर की बात का समर्थन किया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक में प्रस्तुत हुए संशोधनों को स्वीकार करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की बात को स्वीकार करेंगे । उसमें समय की भी बचत होगी और इसकी कमियां भी दूर हो जायंगी ।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत है मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, जहां तक एकरूपता लाने का प्रश्न है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन हमें यह भी विचार करना चाहिये कि एकरूपता लाने जा कर हमने गल्ले पर रेट क्या निर्धारित किये हैं । सरकार ५ पैसा उस पर रेट निर्धारित करने जा रही है । एक समय था जब गल्ला एक रुपये का १६ सेर बिकता था . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

२ पैसा किया है, ५ नहीं ।

श्री गिरधारीलाल--

हां, यह ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजों पर रेट ५ पैसा तक है । लेकिन उसके साथ आप यह भूल जाते हैं कि प्रदेश के बाहर से जो वस्तुयें आप मंगायेंगे उन पर आपको दो पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गिरधारीलाल]

सेंट्रल सेल्स टैक्स का देना पड़ेगा। इस प्रकार उन चीजों पर यह रेट ७ प्रतिशत हो जायगा। जब प्रथम बार यह सेल्स टैक्स लगा था तो गल्ले को छूट दी गयी थी। उस समय गल्ले को इससे मुक्त रखा गया था। आज जब गल्ला एक समस्या बना हुआ है, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है उस समय उस पर बिक्री-कर लगाना और एकरूपता की बात कहना कहां तक उचित है। गुड़ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार को कोई मौका मिलना चाहिये। हमारी जो जनहित के लिये विचार करने की शक्ति थी वह शायद समाप्त हो गयी है। आज हम यही सोचते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी तरह से भी सरकारी खजाने में ज्यादा से ज्यादा रुपया आये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में साप्ताहिक वक्तव्य

*खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा ने सर्वश्री बालोजी अग्रवाल, बनवारीलाल विप्र, नेकराम शर्मा, रामेश्वर नाथ चौबे, ब्रह्मदत्त मायर तथा शिवदानसिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य इस प्रकार है :—

आगरे के भट्टी मुहल्ले में दो व्यक्तियों (पति पत्नी) के भूख से मरने का समाचार निर्मूल व निराधार है।

श्री श्यामलाल (पति) की उम्र लगभग ६५–७० वर्ष थी और कुछ दिनों से वह बीमार भी था। १९–२० अगस्त, १९६४ की रात सोते में किसी समय उनका देहान्त हो गया। दूसरे रोज मुहल्ले के लोग उनके शव को दाह संस्कार के लिये ले गये। दाह संस्कार के बाद जब वह लोग वापस घर लौटे तो श्री श्यामलाल की बेवा, श्रीमती बिस्सो की भी हालत खराब पाया। कुछ दिनों से श्रीमती बिस्सो भी बीमार थीं। वह अपंग भी थीं। श्री श्यामलाल के मरने तथा श्रीमती बिस्सो की बीमारी की खबर पाकर कुछ जनसंघ के सदस्य वहां पर उपस्थित हो गये और उन्होंने यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि श्री श्यामलाल अन्न के अभाव के कारण मरे और उनकी पत्नी की दशा भी इसी कारण खराब है। सूचना पाते ही पुलिस का द्रुतगामी दस्ता तुरन्त ही पहुंच गया और श्रीमती बिस्सो को उसी दशा में मेडिकल कालिज ले गया। जहां पर दवा के बावजूद भी उनका देहान्त हो गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से यही विदित हुआ है कि श्रीमती बिस्सो एक लम्बे अर्से से तपेदिक की मरीज थीं और देहान्त के समय मर्ज काफी बढ़ा हुआ था। उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह से खराब हो चुके थे।

श्री श्यामलाल के घर पर ४ सेर आटा, ४ रोटियां और एक कुल्हड़ में चाय पाई गयी। इसके अतिरिक्त उनके पास एक राशन परिचय पत्र (राशन कार्ड) भी मिला जिस पर १९–८–६४ को साढ़े चार किलोग्राम गेहूं लिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि श्री श्यामलाल तथा उनकी पत्नी श्रीमती बिस्सो का देहान्त अन्न के अभाव, भुखमरी के कारण नहीं हुआ।

दूसरा वक्तव्य श्री चन्द्रबली सिंह, कृष्णा राय, उग्रसेन, बांकेलाल व लखीसिंह द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के सम्बन्ध में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस दिन इस पर बयान लेने की मंजूरी हुई, मैंने कहा था कि इसे पढ़ दिया जाय। अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि जिस दिन बयान होगा उस दिन पढ़ दिया जायगा। तो कृपया पहले पढ़ दिया जाय फिर जवाब हो।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा सुन लीजिये, दिनांक २४ अगस्त, १९६४ को....

श्री चन्द्रबलीसिंह--

यह नहीं है, और है। कहिये तो मैं पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, अगर आज्ञा हो गयी है तो पढ़ दीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

"देवरिया जिला के रुद्रपुर राप्ती के बाढ़ क्षेत्र महेन घाघरा के बाढ़ क्षेत्र एवं देवरिया छोटी गंडक के बाढ़ क्षेत्र की गत साल की खरीफ की फसल बाढ़ से बर्बाद होने के बाद की रबी की फसल पर पाला पड़ने और पुनः वर्तमान खरीफ की फसल में राप्ती, छोटी गंडक और घाघरा आदि नदियों के बाढ़ से पूर्णरूप से बर्बाद होने के कारण अन्न का बेकारी का तथा खरीदने की ताकत के समाप्त होने का भयानक सवाल आ खड़ा हुआ है। फलस्वरूप उक्त इलाकों में उपवास पर उपवास होने लगे हैं। १०-१०, १२-१२ दिनों के भूखे देखे जा सकते हैं। लोगों के चेहरे पीले पड़ने लगे हैं। उपवास के बाद भूख से मरने की घटनाएं होनी प्रारम्भ हो गयी हैं।

एक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा रुद्रपर के इलाके में नौबा ग्राम के श्री रामयतन ने लिखा है कि १७ अगस्त को उनकी माता श्रीमती जिवती देवी भूख से तड़प तड़प कर मर गयीं। अन्य लोग भी भूख से छटपटा रहे हैं। हम लोग जेवर आदि बेच कर खा चुके हैं, कोई सहारा शेष नहीं है।

ग्राम प्रधान, श्री रामधीरसिंह चौहान ने उक्त भुखमरी तथा उस ग्राम की वयनीय आर्थिक हालत की तसदीक की है।

उसी क्षेत्र के कोडर ग्राम के श्री मंहगू हरिजन तथा विदेशी हरिजन ने लिखा है "हम अभागे सपरिवार उपवास पर उपवास कर रहे हैं, समूचे परिवार के सामने जीवन की समाप्ति का सवाल आ खड़ा हुआ है।"

उसी क्षेत्र के नइकल के उपप्रधान श्री बभूती कुंवर ने लिखा है कि हमारे ग्राम में जिलाधीश के वायदा के बाद भी गल्ला नहीं आया। लोगों की हालत बहुत खराब है।

उसी क्षेत्र के खीरा राम ग्राम से लिखित सूचना आयी है कि शिऊ पुत्र बनई २१-८-६४ को और करिया की मां १४-८-६४ को भूख से तड़प तड़प कर मर गयी। उक्त पत्र पर ११ व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं।

उसी क्षेत्र के विलवा ग्राम से एक व्यक्ति के भूखों मरने की तथा रुद्रपुर के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिलाधीश देवरिया को लखना घाट के पास के एक ग्राम के एक व्यक्ति के भूख से मरने की सूचना दी जा चुकी है। गायघाट के श्री रामपति यादव भी भूख से मरे थे। भिलोर में भी एक व्यक्ति भूख से मरा है। जिसकी सत्यता को छिपाने के लिये माल विभाग के कर्मचारियों द्वारा, प्रधान को धमकाया जा रहा है। उसी क्षेत्र के पथरहट ग्राम से श्री चन्द्रजोता ने लिखा है कि मेरी विधवा मां सोधारी भूख से मर गयी। मैं आठ वर्षीय अभागी बची हुई हूं कोई पुरुसां हाल नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

देवरिया क्षेत्र के मुडरा मिश्र ग्राम से सूचना मिली है कि २४-८-६४ को श्रीमती जिवती पति अकालू हरिजन भूख से मर गयी। इस सूचना को क्षेत्रीय संसोपा मंत्री श्री रामाज्ञा सिंह चौहान ने दी है ग्राम प्रधान श्री चन्द्रबली ने जन्म मृत्यु के रजिस्टर किताब नं० ४९८८६ रसीद नं० ३ में मृत्यु का कारण भूख लिखा है।

इस प्रकार वह रुद्रपुर एवं देवरिया का सारा का सारा इलाका भुखमरी का शिकार होने लगा है। सबको अपने जीवन के रह जाने की आशा नहीं रह गयी है। व्यापक क्षोभ, क्रोध, असन्तोष एवं विद्रोह व्याप्त हो गया है। जीवन मरण की विषम परिस्थिति आ उपस्थित हुई है।

अस्तु, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान खींचता हूं।"

यह है मेरा प्रस्ताव।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमारा भी पढ़ दीजिये या आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास तुं मैं पढ़े देता हूं। "दिनांक २४ अगस्त, सन् १९६४ को ग्राम मुडेरा मिश्र थाना कोतवाली जिला देवरिया निवासी श्री अकलू हरिजन की स्त्री भूख से तड़प तड़प कर मर गयी। मुडेरा मिश्र की अकाल की स्थिति की सूचना जिलाधीश व पूर्ति अधिकारी को दे दी गयी थी पर उन्होंने कोई उपचार नहीं किया। मुडेरा की सस्ते गल्ले की दूकान ३ मास से बन्द पड़ी है। बाढ़ आने पर भी भूमिहीनों को सहायता नहीं दी गयी। इससे वहां एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः उक्त विषय स्थिति पर माननीय राजस्व मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

*श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो प्रस्ताव अभी आपने पढ़ा ध्यानाकर्षणार्थ वाला उसके संबंध में मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित निवेदन करता हूं :—

देवरिया जिले में घाघरा और राप्ती नदियों में बाढ़ अवश्य आई थी, परन्तु यह बाढ़ साधारण रूप की थी और स्थिति चिन्ताजनक नहीं हुई। खुले बाजारों में खाद्यान्न स्वतंत्रता-पूर्वक मिल रहा है। भुखमरी की कोई स्थिति नहीं है और न उससे किसी की मृत्यु हुई है।

रुद्रपुर क्षेत्र के खोरा राम ग्राम में शिऊ पुत्र बनई और करिया की मां के भुखमरी से मरने की जो सूचना दी गई है, वह सही नहीं है। शिऊ ७० वर्ष का था और उसकी मृत्यु बुखार से स्वाभाविक रूप से हुई। इसकी पुष्टि वहां के सरपंच और उसके पुत्र कोदई ने की है.....

(व्यवधान)

उनके घर में एक बैल और एक बछड़ा है और एक बीघा खेती है। ये लोग मजदूरी पेशा करते हैं। जहां तक करिया की मां का सम्बन्ध है, वह अपने दूसरे पुत्र राम लोचन के साथ रहती थी। उसकी उम्र ७५ वर्ष की थी और दमा की मरीज थी। उसकी भी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई। उसके यहां एक गाय और एक बैल है और २ बीघा खेती होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखना ब्लाक से भुखमरी से मृत्यु की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । एक श्रीमती कुलवतिया के मरने की सूचना मिली है जो बीमार थी और १३ अगस्त, १९६४ को खजुर अस्पताल से लाई गई जहां १४ अगस्त, १९६४ को उसकी मृत्यु हुई ।

गाय घाट गांव में रामपति यादव के भुखमरी से मरने की जो सूचना दी गई है वह भी सत्य नहीं है । रामपति यादव की उम्र ६५ वर्ष की थी और उनकी मृत्यु भी स्वाभाविक रूप से हुई है । इनके कुटम्ब के पास ७.७ एकड़ जमीन है और एक गाय तथा एक बैल है । इसी प्रकार पथरहट ग्राम में सुश्री चन्द्रजोता की विधवा मां श्रीमती सोवारी का भी स्वाभाविक रूप से देहान्त हुआ । वे ४० वर्ष की थीं और बीमार थीं । उन्हें बराबर ७ किलोग्राम आटा और ३ किलो चावल प्रतिमास राशन की दूकान से मिला करता था ।

(व्यवधान)

सुश्री चन्द्रजोता अब अपने मामा के यहां रहती है ।

इसी प्रकार देवरिया क्षेत्र के मडेरा मिश्र ग्राम में श्रीमती जिवती जिसकी आयु ६० वर्ष थी, की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है । उनकी मृत्यु २४ अगस्त, १९६४ को नहीं बल्कि २१ अगस्त, १९६४ को हुई है । इनके कुटुम्ब में ५ प्राणी हैं और ये खाते पीते लोग हैं ।

(व्यवधान)

इनके पास एक गाय, एक बकरी और ३ मुर्गियां हैं । इन्हें गल्ले की दूकान से बराबर गल्ला मिलता रहा है ।

(व्यवधान)

अन्य गांवों से जो भुखमरी से मृत्यु की सूचना दी गई है, उस पर जांच हो रही है ।

देवरिया जिले में इस समय ३९८ दूकानें चल रही हैं, जिसमें ५० शहरी क्षेत्रों में और बाकी ३४८ देहाती क्षेत्रों में हैं । इन दूकानों से प्रति सप्ताह ९०८७ क्विन्टल गेहूं और ४५४३ क्विन्टल चावल वितरित होता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये । वक्तव्य के बाद कोई भी स्पष्टीकरण होगा । कृपया आप लोग बैठ जाइये ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

आपने कहा कि वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण होंगे । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या वक्तव्य के समय कोई जानकारी नहीं हो सकती ?

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन तब वक्तव्य सुचारु रूप से नहीं हो पायेगा । वक्तव्य होना जरूरी है । मन्त्री जी आप बोलें ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

भूमिहीनों और अति निर्धन व्यक्तियों की एक सूची बना ली गई है और उन्हें गल्ला दिया जा रहा है । वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुये सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा ज्यादा से ज्यादा गल्ला वितरण करने का प्रयास किया जा रहा है । आशा की जाती है कि स्थिति में शीघ्र सुधार हो जायगा ।

गत दो तीन महीनों से रोलर फ्लोर मिल्स को गेहूं कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा था । इस कारण सरकार ने मिलों को मैदा बनाने से रोक दिया था । परन्तु प्रदेश में देहली, मद्रास तथा

[श्री हरीदत्त काण्डपाल]

और प्रदेशों से मैदा काफी मात्रा में आ रहा था, जिससे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हुई। आज कल उपर्युक्त प्रदेशों से मैदा उचित मात्रा में नहीं आ रहा है, जिससे मैदा की कुछ कमी हो गई है। सरकार इस कमी को दूर करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

रुद्रपुर के बाढ़ के इलाके में जहां भूख से मौतें हुई हैं वहां मंत्री जी ने साधारण बाढ़ बतायी है, तो वह यह बतलावेंगे कि वहां एक दाना भी धान, कोदों, मक्का, सांवां या टांगुल का हुआ है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

धान के अभी कटने का समय नहीं आया है। औरों की बाबत मुझे मालूम नहीं है।

श्री उग्रसेन--

जब मुडेरा मिश्र गांव की सस्ते गल्ले की दूकान ३ महीने से बन्द थी तो अकलू हरिजन के घर गल्ला कहां से आया ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

खुला बाजार है, गांव में भी बिक्री होती है। दूकान के भरोसे ही दुनिया नहीं बैठी हुई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मन्त्री ने एक बार कहा कि सस्ते गल्ले की दूकान से उसे गल्ला मिला और फिर कहा कि खुले बाजार से खरीदा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे यह ठीक नहीं मालूम है कि पहले उन्होंने क्या कहा। मंत्री जी, आपने पहले क्या कहा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मैंने कहा कि उनको कार्ड से मिलता था। वह देहात की सस्ते गल्ले की दूकान से ही मिला होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं साफ कर दूं कि अगर दूकान में सामान रहा होगा तो मिला होगा जरूर। यह जरूरी नहीं है कि जहां दूकान खुल रही है वहां माल रहे ही।

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। जब कार्ड पर गल्ला लिखा हुआ है तो क्या कार्ड पर गल्ला बाजार में लिखा जाता है या कन्ट्रोल की दूकान पर लिखा जाता है ? ऐसा कहना किसी भले आदमी का काम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री विश्वनाथप्रसाद--

आप डांटते क्यों हैं ? इस तरह से आप कटु शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ठीक न होगा। मैं माफी चाहता हूं कि इस प्रकार के कटु शब्द आप इस्तेमाल न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब शोर होगा तो मुझे भी जोर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप लोग शोर न करें। आप कटु शब्द कहेंगे और सुनेंगे नहीं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

सारे देवरिया में ३६० दूकानें चल रही हैं मंत्री जी उनको किस प्रकार से राशन देंगे जबकि सरकार का जिला मैजिस्ट्रेट्स को यह सर्कुलर गया हुआ है कि १०–१५ हजार की ग्राम पंचायत में ८ मजदूरों को राशन दें। जब सारे प्रदेश में राशन की दूकानें टूटी हुई हैं तो देवरिया में भुखमरी को मानने में मन्त्री जी को क्या संकोच है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण न करें, प्रश्न करें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

देवरिया में ही नहीं सारे उत्तर प्रदेश में सरकार का आर्डर है कि मजदूरों को गल्ला मिलेगा, फिर आप के प्रदेश की सारी दूकानें बेकार हैं। तो क्या सरकार उन दूकानों को भरपूर गल्ला देने अथवा उनके तोड़ने पर विचार कर रही है ?

*श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यदि शांति से माननीय सदस्य सुनते तो समझ लेते। पहले देहाती क्षेत्र में चीनी के लिये प्रत्येक अदालती पंचायत में एक एक दूकान खोली गयी थी। उस वक्त हमारे पास २ लाख टन से अधिक गल्ला था इसलिये सरकार ने यह उचित समझा कि अदालती पंचायतों को भी गल्ला दे दिया जाय। मगर इस बीच में हमारे पास केवल १ लाख टन ही रह गया जिसमें ४० हजार टन देहात के लिये और ६० हजार टन शहरों के लिये रखा गया। इस ४० हजार टन गल्ले को सारे देहाती क्षेत्र में बांटना था। देहाती क्षेत्रों की खाद्यान्न समिति के प्रेसीडेंट डी० एम० हैं वे जहां ज्यादा आवश्यकता समझते हैं उस क्षेत्र में गल्ले का प्रबन्ध करते हैं। जहां नितान्त आवश्यक है वहां पहले देते हैं। यद्यपि यह उत्तर दिया गया है कि उसको राशन कार्ड से मिला, लेकिन जिस दूकान से उसको मिलना था अगर वह बन्द होगी तो सही बात है कि न मिला होगा। मगर भूख से न मरने का जो कारण दिया है, वह दूसरी बात है। उन्होंने कहा है कि अमुक रोग था, इतने वर्ष की आयु थी तथा उसके यहां थोड़ा सा सामान भी था। तो जैसा कि मैंने कहा—हम अपनी तरफ से अत्यन्त कोशिश कर रहे हैं और इसी हिसाब से हमने मेरठ डिवीजन व अन्य दूसरी कमिश्नरियों को गल्ला भेजा है। जहां मेरठ को पौने २ हजार टन भेजा है वहां गोरखपुर को ८ हजार टन भेजा है और इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इस वक्त बाढ़ आयी हुई है, तो हमने कोशिश करके जो पंजाब से गल्ला आया है उसमें से गोरखपुर को ३०० टन, वाराणसी को ३०० टन, फैजाबाद को २०० टन, कुमायूं व उत्तराखंड को २०० टन, मेरठ को ५० टन, आगरा को ५० टन, बरेली को ५० टन, झांसी को ५० टन, लखनऊ को ५० टन और इलाहाबाद को १०० टन दिया है। इस तरह से कुल मिला कर १३५० टन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये ही दिया है। यह ४० हजार टन के अतिरिक्त जो गल्ला बाहर से आया है वह हमने दिया। इसके अलावा पंजाब से जो चावल आ रहा है वह भी हम उन बाढ़ क्षेत्रों में भेजेंगे। जो हमारे पास उपलब्ध है वह हम दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इस अगस्त के महीने में पिछले महीनों की अपेक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अधिक गल्ला दिया है और इस तरह से अपने वादे को उन्होंने पूरा किया है। जो भी गल्ला हमें मिल रहा है उनको हम देहाती क्षेत्रों की उस गरीब जनता के लिये भेज रहे हैं जिनकी हालत खराब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

है और जो बेचारे परेशान हैं। मैं समझता हूं कि आप सब की पूरी सहानुभूति उनके साथ है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इस बात की कोशिश करें कि जो कुछ उपलब्ध है वह उनको मिल जाय तो अच्छा हो, जिनकी आवश्यकता ज्यादा है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों को पूरा कोटा दिया है जिनमें इलाहाबाद का नाम भी माननीय मंत्री महोदय ने लिया। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लगभग दो हफ्ते से नगर इलाहाबाद और जिला इलाहाबाद में खाद्यान्न बिलकुल नहीं है, इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं नहीं जानता कि आपकी सूचना किस प्रकार की है। यह मैं कैसे कहूं कि आपकी सूचना गलत है, लेकिन जहां तक मेरी सूचना है वहां खाद्यान्न है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

प्रश्न करने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय १० मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में आपके आदेशानुसार राशन आधा कर दिया गया है और २ किलो प्रति यूनिट इस वक्त है, जबकि मेरी सूचना यह है कि ३० गाड़ियां वहां स्टेशन पर लदी खड़ी हैं, और करीब २० हजार क्विंटल चावल भी लेवी का पड़ा है, तो क्या सरकार उस अन्न को वहीं वितरण करने की अनुमति देगी ताकि जो वहां भूखमरी की हालत है वह दूर हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक सहारनपुर का ताल्लुक है वहां इस वक्त काफी स्टाक है। मैंने कल ही देखा बल्कि वहां से कुछ मूव भी इधर उधर किया क्योंकि जहां कमी होने वाली होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह गल्ला भेजते हैं। जहां तक चावल का संबंध है उसे भी हम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को ही देंगे। उसमें से करीब ६ हजार टन हम गोरखपुर को भेजेंगे। टूटा हुआ चावल भी हम भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी आमद होती है उसे हम इन क्षेत्रों में भेजते ही रहते हैं। अगर हम चावल को वहीं पर बंटवा दें तो पूर्वी जिलों की हालत क्या होगी ? वहां तो जायगा ही।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मंत्री जी ने कहा कि आयात में काफी सुधार हुआ है और डेढ़ करोड़ टन गल्ला आया है तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल का जो औसत आयात बनारस डिवीजन का था उसका एक तिहाई गल्ला आपने बनारस डिवीजन को पिछले मास में दिया है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुये क्या मंत्री जी वहां की सप्लाई में बढ़ोत्तरी करेंगे ताकि उस डिवीजन में ज्यादा गल्ला पहुंच सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले साल सारे सूबे में मेरे खयाल से लाख डेढ़ लाख टन से फिगर ऊपर नहीं गया और जो कोटा दस बारह हजार टन का बढ़ता था वह १ लाख टन से भी ऊपर जा रहा है, वह घटा कहीं नहीं है हर जगह चौगुना हो गया है।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरा उत्तर नहीं मिला। अभी पिछले मास में जो बनारस कमिश्नरी में गल्ला दिया गया है वह ६५ हजार क्विंटल के करीब है यानी पिछले साल का एक तिहाई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना कोटा दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर स्पेसिफिक प्रश्न आप करें तो उत्तर मिलेगा, मैंने कहा कि वह अब कई गुना है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन का कहना है कि आप निश्चित प्रश्न करेंगे तो उत्तर दिया जायगा। वह अपने आप अन्दाजे के हिसाब से बता रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

बनारस डिवीजन का कोटा वह बतायें .....

श्री उपाध्यक्ष—

वह बता चुके।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

मेरी प्रार्थना है कि इस भुखमरी से हरिजन वर्ग ही सब से अधिक अफेक्टेड है और उन्हीं की मृत्यु हो रही हैं, जब जब यहां खाद्यान्न के संकट पर प्रश्न आये तो हम आप का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके, हमें भी प्रश्न करने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी श्री झारखण्डेराय और उसके बाद आप पूछ लें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि हमारे प्रदेश का पश्चिमी हिस्स जो हमेशा खुशहाल रहा है और जहां के लिये भुखमरी की बात एक कल्पना की चीज रही है, वहां के श्री मायर और श्री जगदीश शरण जो जब यहां आकर भुखमरी की बात करते हैं तो पूर्व में इस समय क्या हालत होगी इसका अन्दाजा हम भलीभांति कर सकते हैं, लेकिन सरकार भुखमरी की रिपोर्ट से इनकार करती है, उसको हमेशा अस्वीकार करती है कि कोई मौत नहीं हुई चाहे कोई किसी तरह भी आपको पूरी जानकारी से रिपोर्ट लाये, लेकिन सरकार उससे इनकार कर देती है। ऐसी हालत में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंत्री जी और सरकार के कोष में भुखमरी की परिभाषा क्या है ? किन आदमियों को वह भुखमरी से मरा मानते हैं और किन को वह बीमारी से मरा हुआ मानती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

रिपोर्ट जिलों से मांगी जाती है और यह कहकर मांगी जाती है कि सच्ची और सही रिपोर्ट्स दी जायं, आशा हम यह करते हैं और हमें विश्वास भी है कि उन्होंने गलत रिपोर्ट नहीं दी है। इसमें परिभाषा का क्या सवाल है। भुखमरी के मानी हैं कि कई दिन तक आदमी खुराक न मिलने से मर जाय। यह तो आदमी की कैपेसिटी की बात है कोई ७५ दिन तक व्रत कर सकता है और जिन्दा रह सकता है और अगर किसी का कमजोर शरीर है तो वह ३-४ दिन में ही मर जाता है। इस पर अलग राय हो सकती है, लेकिन हम पहले जिलों से जानकारी करते हैं और वहां की रिपोर्ट को देखते हैं, अगर कोई भूख से मरा तो वहां के और लोग, सज्जन लोग हैं, जो देहातों के बड़े सुन्दर लोग हैं, उन्होंने उसकी कोई मदद की है या नहीं? घर में उसके कोई सामान मिला या नहीं, घर में कोई आटा मिला। मैंने एक रिपोर्ट देखी जो व्यक्ति मरा रोटी बनी हुई थी और चाय वगैरह मिली। राशन कार्ड जिसका जिक्र आपने किया है तो उस राशन कार्ड के बारे में हमें पूछने का मौका नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देर होती है, नहीं तो पूछते कि राशन कार्ड पर कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या दिय.। उन्होंने लिख दिया कि बराबर राशन मिलता रहा। आइन्दा से यह करेंगे जब वह अपनी रिपोर्ट दें तो यह भी लिख दें कि किन किन तारीखों में कितना कितना राशन मिला। यह सब कमियां पूरी की जा रही हैं। पूर्वी जिलों के बारे में जैसा कि श्री झारखण्डेराय जी ने कहा उन लोगों की हालत हमेशा से सामान्य रूप में भी खराब रही है और आज तो और भी खराब हो गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जहां ५० हजार टन रखा था वहां ३ लाख टन है और जहां डेढ़ हजार टन था वहां ८ हजार टन रखा है। हमारे पास ज्यादा होता तो और ज्यादा देते। मुझे जेब में थोड़े रखना है।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का क्या सवाल है?

श्री कृष्णा--

दो तीन बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक ओर तो उन्होंने कहा राशन कार्ड पर गल्ला आदि सरकार देहातों में देती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यहां पर जो कार्यवाही हो रही है वह कायदे से चल रही है। अगर उस कार्यवाही में कोई बात गलत हो तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री कृष्णा--

मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री कृष्णा--

मंत्री जी से मैं कह रहा हूं कि अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। हम तो यह चाहेंगे आपके द्वारा मंत्री जी से कि जो इन्साम भूख से मरे हैं, उनके बारे में फिर से जांच कराई जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि व्यवस्था का सवाल कहने से तो कोई व्यवस्था का सवाल हो नहीं जाता है। व्यवस्था के माने यह हैं कि जो कार्यवाही यहां हो रही है यदि वह नियम-पूर्वक नहीं हो रही है, तो व्यवस्था होनी चाहिये। यहां नियम कायदे से कार्य हो रहा है। वह बात करें तो दूसरी बात है।

श्री श्यामलाल---

मेरा प्रश्न यह है कि देहातों में फेयर प्राइस शाप्स हैं और गांवों में कुछ चन्द व्यक्तियों के नाम से राशन कार्ड बने हुये हैं। मैं तो पहले इस चीज को मानता ही नहीं हूं कि जिनके कार्ड बने हैं, उन सबको राशन मिल भी रहा है। तो प्रश्न यह है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, माननीय मंत्री जी ने दिया है, जो एक दम गरीब हैं और भूमिहीन किसान हैं, तो क्या आपको पता है कि ऐसे भूमिहीन और बिलकुल गरीब राशन कार्ड होते हुये भी राशन नहीं ले पाते हैं चूंकि उनके पास पैसा नहीं है और उनकी खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर समाप्त हो गयी है ? तो क्या मंत्री महोदय ऐसे गरीब, भूमिहीन हरिजन और बैकवर्ड लोगों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें नई फसल आने तक फ्री राशन बांटने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

हमारा विभाग तो नहीं करता मगर टैस्ट रिलीफ वर्क से और ग्रैचुटस रिलीफ वर्क से उसकी सहायता होती है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके एक सर्कुलर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जबकि हमारे प्रदेश की एक करोड़ जनता ऐसी है जो न तो शहरों में रहती है और न ग्रामों में। आप कहते हैं कि हमने सब अर्बन एरियाज के लिये राशन कार्ड की व्यवस्था कर दी है, लेकिन मेरी सूचना है कि कानपुर और गाजीपुर में तो राशन कार्डों की व्यवस्था हो गयी है, लेकिन जो टाउन एरियाज हैं, जहां पर ज्यादा गरीब टाइप के लोग जैसे आर्टिजन, व्यापारी आदि हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। गाजीपुर जिले में जितने भी कस्बे हैं उनमें राशन कार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां। सब के लिये किया गया है। अगर नहीं है तो उनकी गलती है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि.....

श्री चन्द्रबलीसिंह---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

श्रीमन, जो प्रश्न उपस्थित है, उस पर प्रश्न नहीं होने पा रहे हैं और दूसरे दूसरे प्रश्नों पर हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। खाद्य मंत्री का स्टेटमेंट हो चुका है। आपको भी मैं मौका दे चुका हूं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं जिनके बारे में आपकी नीति यह घोषित हुयी है कि उन्हीं स्थानों पर गल्ला देंगे जहां पर लोगों को अत्यन्त आवश्यकता है? इसका मतलब यह है कि बहुत सी सस्ती गल्ले की दूकानों की संख्या आप निर्धारित करेंगे तो क्या आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि जिन लोगों की आप लिस्ट बनायेंगे उनको पूरा गल्ला दे सकेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने कभी नहीं कहा कि मैं निर्धारित करूंगा दूकानें। मैंने कहा कि जिले के अन्दर जो खाद्य समिति है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वे जहां चाहते हैं गल्ला देते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसाकि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राशन कार्ड पर गल्ला दिया गया तो क्या गांव में राशन कार्ड इशु किये गये हैं? यदि हां, तो कहां और यदि नहीं, तो कौन से कार्ड पर मरने वाले को राशन दिया गया और दूसरे कहा गया था कि गल्ला आ रहा है तो क्या सरकार ने १ १/२ किलो से २ किलो तो प्रत्येक आदमी को पहले मिलता था देने का प्रयास किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कार्डों का जहां तक सवाल है अभी माननीय सदस्य गाजीपुर ने सवाल किया था, उसके जवाब में मैंने कह दिया कि मैं कार्ड नहीं भेज रहा हूं। जिले के अन्तर्गत खाद्य समिति और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने व्यवस्था की है। उसको पर्ची कहिये या जो सुविधा हो वह कहिये। दूसरा सवाल यह है कि ६ किलोग्राम मिलेगा, चाहे शहर में हो या देहात में हो।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय समाप्त हो गया है। हम अब उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दनमित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ सितम्बर, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

स्वच्छ पेय जल योजना के अन्तर्गत गोंडा जिला के विकास खंड करनैलगंज और परसपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाये गये हैंड पम्प तथा बनवाये गये कूपों और उनके लिये दिये गये अनुदान का विवरण

(विकास खंडवार)

विकास खंड करनैलगंज

क्रम-संख्या	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य का स्थान	दिया गया अनुदान
			रु०
१	नव कूप निर्माण	सकतपुर	२३०-००
२	हैंडपम्प ..	सकरोरा	१६७-००
३	कूप मरम्मत	शीशामऊ (पूरे लाला)	१००-००
४	,, ...	,,	८५-००
५	,, ...	रेकसड़िया	२००-००

विकास खंड परसपुर

सूचना शून्य है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

तालिका

सन् १९६४ में उत्तर प्रदेश आबकारी इन्स्पेक्टरों के चुनाव में लिये गये अभ्यर्थियों का विवरण

जमरत्न अभ्यर्थी का नाम	उसकी योग्यता
१--हरनारायण सिंह	एम० एस-सी०
२--अशोक कुमार सक्सेना	बी० एस-सी०, एल-एल० बी०
३--कृष्ण कान्त पांडेय	एम० ए०
४--राजेन्द्र नारायण गुप्ता	बी० ए० एल-एल० बी०
५--राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	बी० काम०, एल-एल० बी०
६--काजी हुसैन मेहदी	एम० एस-सी० (प्रीवियस)
७--हीरालाल शर्मा	एम० ए० एल-एल० बी० (प्रीवियस) ।
८--दिनेश चन्द्र अग्रवाल	एम० ए०
९--ललता प्रसाद त्रिपाठी	एम० ए०
१०--सूरज प्रसाद रतरा	एम० एस-सी० (प्रीवियस)
११--नरेन्द्र कुमार जौहरी	एम० ए० (प्रीवियस) एल-एल० बी० ।
१२--किशन चन्द्र केसरवानी	एम० काम० एल-एल० बी० (प्रीवियस) ।
१३--प्रेम चन्द्र केसरवानी	एम ०ए०
१४--बद्री नाथ तिवारी	इन्टरमीडिएट
१५--जगत सिंह	एम० ए०
१६--हीरा लाल पान्डेय	इन्टरमीडिए
१७--चन्द्र किशोर यादव	एम० ए०
परिगणित जाति	
१--शुक देवराम	एम० ए०
२--दयाराम	बी० ए०
३--भूपेन्द्र नाथ	एम० ए०
४--जालिम प्रसाद	बी० ए० ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

विकास खंड रामनगर, बाराबंकी के अन्तर्गत पशुशाला निर्माण हेतु वितरित अनुदान प्राप्त कर्त्ताओं की सूची वर्ष १९६१–६२, ६२–६३ तथा ६३–६४

क्रम-संख्या	अनुदान प्राप्त कर्त्ता का नाम तथा पता	१९६१–६२ स्वीकृत होने की तिथि	प्रोजेक्ट का अनुमानित व्यय	निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	बजट हेड जिससे अनुदान दिया गया	प्रोजेक्ट पूरा हो गया अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण
			रु०	रु०		
१	श्री जगत बहादुर सिंह, अमोली कीरतपुर।	२४–१–६२	१०७५–००	२००–००	४७–ए–एन–इ–एस स्टेथ १ ब्लाक	अपूर्ण
२	श्री रंगीलाल, अमोली कीरतपुर ..	,,	१०२५–००	२००–००	एनी० हसबैन्डरी	,,
३	श्री बाबूसिंह, तिलवारी ..	,, १९६२–६३	९२०–००	२००–००	,,	आरम्भ नहीं हुआ
४	श्री शिवकरनसिंह, तिलवारी ..	,,	९२०–००	२००–००	३७-कम्युनिटी डवलप० प्रोजेक्ट	,,
५	श्री चन्द्रिका सिंह, तिलवारी ..	,,	९२०–००	२००–००	एन-इ एस २ एनी० हस-बैन्डरी	,,
६	श्री सुखराजसिंह, किशुनपुर ..	,,	९४०–००	२००–००	,,	,,
७	श्री रामप्रसादसिंह	,,	९२८–००	२००–००	,,	,,

क्रम-संख्या	अनुदान प्राप्त कर्त्ता का नाम तथा पता		१९६१–६२ स्वीकृत होने की तिथि	प्रोजेक्ट का अनुमानित व्यय	निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि	बजट हेड जिससे अनुदान दिया गया	प्रोजेक्ट पूरा हो गया अथवा नहीं यदि नहीं तो कारण
				रु०	रु०		
८	श्री गंगा प्रसाद, किशुनपुर	..	१९६२–६३	८२८–००	२००–००	एन० ई० एस २ एनी० हसबैण्डरी	अपूर्ण
९	श्री भवानीबख्श सिंह, देवसानी	..	,,	९००–००	२०००–०	,,	,,
१०	श्री रामफलसिंह, किशुनपुर	..	,,	९२८–००	२००–००	,,	आरम्भ नहीं हुआ
११	श्री सूर्यलाल, किशुनपुर	..	,,	९३०–००	२००–००	,,	,,
१२	श्री फतेहबहादुरसिंह, किशुनपुर	..	,,	९१२–००	२००–००	,,	अपूर्ण
१३	श्री लालतासिंह किशुनपुर	..	,,	९२८–००	२००–००	,,	आरम्भ नहीं हुआ
१४	श्री रामहरसिंह, अगानपुर	..	,,	८४६–००	२००–००	,,	,,
१५	श्री रामसिंह, बरौलिया	..	,,	९००–००	२००–००	,,	,,
			१९६३–६४				
१६	श्री उदयराजसिंह, कुम्हरावां	..	३१–१०–६३	९१५–००	२००–००	,,	अपूर्ण
१७	श्री रामग्रासरे, शाहपुर, चकबहेरवा	..	,,	९६८–००	२००–००	,,	,,
१८	श्री पूत्तूलाल	..	२१–६–६३	११५०–००	२००–००	,,	पूर्ण
१९	श्री कन्हैयाबख्शसिंह, अगानपुर	..	,,	६००–००	२००–००	,,	अपूर्ण
२०	श्री शिवरतन, गगियापुर	..	,,	८२५–००	२००–००	,,	,,

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० १२६ एल० ए० १९६४—८६० ।